खण्ड २—अंक २७

३१ मार्च, १९५५ (गुरुवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

35 LSD

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक-सभा

गुरुवार ३१ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाटिल समिति की सिफारिश

*१७२३. **श्री भक्त दर्शन:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सत्तरह छावनियों के असैनिक क्षेत्रों का समीप के स्थानीय निकायों में मिला देने के लिये पाटिल समिति द्वारा की गई सिफारिश के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : विभिन्न छावनियों के लिये बनाई गई एक्सीयन कमेटियों की सिफारिशों की जांच करने के बाद और लोकमत को ध्यान में लाते हुए नीचे दिये हुए फैसले किये जा चुके हैं और इन को अमल में लाया जा रहा है :—

(१) अहमदाबाद, बेलगाम, देवलाली, फिरोजपुर, किरकी, मेरठ और सागर इन ७ छावनियों की काट छांट नहीं होनी चाहिये ।

(२) नैनीताल और लैंडूर छावनियों को छोड़ देना चाहिये ।

(३) झांसी और दिल्ली छावनियों की काट छांट होनी चाहिये । दिल्ली छावनी की काट छांट पूरी हो चुकी है ।

आगरा, अलाहाबाद और कानपुर के बारे में एक्सीयन कमेटियों की सिफारिशें उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और अहमदनगर और बनारस के बारे में सिफारिशों की केन्द्रीय सरकार जांच कर रही है । पूना छावनी के बारे में उस के नये चुने हुए मैम्बरों के विचारों का इंतिजार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि साढ़े तीन वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक केवल विचार विमर्श किया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन सी अड़चनें हैं जिन की वजह से इतनी देरी हो रही है ?

सरदार मजीठिया : आनरेबुल मेम्बर ने ठीक नहीं समझा । मैं ने कहा है कि सात छावनियों के बारे में फैसला हो चुका है । कुल १७ छावनियां थीं, दो छावनियों को छोड़ दिया गया है, इन में केंटूनमेंट एक्ट लागू नहीं होना चाहिये और दो छावनियों के बारे में कांट छांट पूरी हो चुकी है, इसलिये यह कहना सदस्य महोदय का ठीक नहीं है कि कोई ऐक्शन नहीं लिया गया, ऐक्शन लिया गया है, सिर्फ उन छावनियों के सम्बन्ध में जिन के कि बाबत स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक जवाब नहीं आया है, और जैसा कि मैं ने अभी बताया, दो, तीन, छावनियों की बाबत अभी स्टेट गवर्नमेंट विचार कर रही है,

अलबत्ता वहां पर अभी तक कुछ नहीं हो सका है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि इन सम्बन्धित छावनियों की जनता कई वर्षों से प्रतीक्षा करती आ रही है, क्या कोई ऐसी निश्चित् अवधि रक्खी गयी है जिस के कि अन्दर इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया जायगा ?

सरदार मजीठिया : मैं ने तीन, चार छावनियों में खुद जा कर देखा और वहाँ की राय यह मालम हुई कि वह एक्सीयन नहीं चाहती हैं ।

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग

***१७२४. श्री डाभी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार को दूर करने के विभिन्न उपायों के समायोजन के लिए और उन सरकारी विभागों में जहां भ्रष्टाचार होने की संभावना है, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय सुझाने के लिये, सरकार एक क्या भ्रष्टाचार विरोधी विभाग स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह विभाग कब से काम करने लगेगा ; और

(ग) इस के कृत्य क्या होंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, इस प्रयोजन के लिये एक संस्था स्थापित करने का विचार है ।

(ख) यह शीघ्र काम शुरू कर देगी ।

(ग) यथार्थ ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । प्रश्न के भाग (क) में जो सुझाव दिया गया है, उसे ध्यान में रखा जा रहा है ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि सरकार ने एपलबी रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों को देख कर इस विभाग को स्थापित करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

श्री दातार : यह भी एक कारण था जिस से सरकार को प्रेरणा मिली है ।

श्री डाभी : क्या इस समाचार में कुछ सचाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा और सूचना सचिव श्री गोविन्द नारायण को इस विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा ?

श्री दातार : अन्तिम चुनाव अभी नहीं किया गया ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या एपलबी समिति रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच के लिये और इन्हें क्रियान्वित करने के लिये कोई समिति स्थापित की गई है ?

श्री दातार : एपलबी समिति की सिफारिशों से सामान्यतया इस का कोई सम्बन्ध नहीं । उस की एक सिफारिश क्रियान्वित की जा रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जहां तक भ्रष्टाचार के मामलों का सम्बन्ध है ?

श्री दातार : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, आवश्यक कर्मचारी वृन्द सहित एक पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस साल पिछले वर्ष से भी ज्यादा करप्शन है ?

श्री दातार : जी नहीं ।

वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल व्यक्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर

*१७२५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा टेक्निकल व्यक्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर में दी गई जानकारी के अनुसार देश में कुल कितने वैज्ञानिकों और टेक्नालोजिस्ट्स के पास काम है और कितने अभी बेकार हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : ९२६१ वैज्ञानिकों और टेक्नालोजिस्ट्स में, जिन के नाम अब तक रजिस्टर-किये गये हैं, ८४४६ काम म लगे हुये हैं और ८१५ बेकार हैं ।

श्री झलन सिंह : यह कैसे है कि इतनी नदी घाटी योजनाओं और अन्य कार्यों के होते हुये, जिन में विशेषज्ञों के ज्ञान की आवश्यकता है लगभग ८०० वैज्ञानिक अभी तक बेकार हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस का उत्तर देना मेरे लिये बहुत कठिन है ।

अध्यक्ष महोदय : यह श्रम मंत्री से पूछना चाहिये ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस शिकायत को ध्यान में रखते हुये कि देश में टेक्निकल व्यक्तियों की कमी है, इन बेकार टेक्निकल व्यक्तियों की सेवाओं से लाभ उठाने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार आवश्यकतानुसार टेक्निकल व्यक्तियों को नियोजित करती है किन्तु बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जिन की सेवाओं की मांग अधिक नहीं है । यदि प्राथमिकता सूची के अनुसार उन्हें आज नियोजित नहीं किया जा सकता तो कल कर लिया जायेगा ।

हिन्दी में ब्रेल पुस्तकें

*१७२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून के केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय ने हिन्दी में ब्रेल पुस्तकें प्रकाशिक की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित की गई पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) आठ ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये ब्रेल पुस्तकें वास्तव में प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती हैं ?

डा० एम० एम० दास : हां । ये ब्रेल पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित की जा रही हैं ।

कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पुस्तकों के प्रकाशन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

डा० एम० एम० दास : इन पुस्तकों के प्रकाशन पर हुये कुल व्यय की जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, किन्तु सपूर्ण योजना को चलाने के लिये चालू वर्ष के आय व्ययक में ७०,००० रुपये का उपबन्ध है ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि किन अन्य प्रादेशिक भाषाओं में ये पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं ?

डा० एम० एम० दास : गुजराती भाषा में, गुजराती प्राईमर और नवयुग-वाचनमाला रीडर १, मराठी में मराठी प्राईमर, और तेलगू में तेलगू प्राईमर ।

गृह मंत्रियों का सम्मेलन

*१७२७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) ६ और ७ जनवरी, १९५५ को दिल्लीमें हुए गृह मंत्रियों के सम्मेलन में नम्न लिखित विषयों पर क्या निर्णय हुए :—

(१) अपराधों की जांच करने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार ;

(२) पुलिस और जनता के बीच के सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता ; और

(३) विभिन्न राज्यों में डाकुओं के बढ़ते हुए उपद्रवों को रोकने के लिये उपाय ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में पुलिस में भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों पर भी विचार किया गया था, और यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्यों में अपराधों की पहली रिपोर्ट को लिखने से इंकार कर दिया जाता है ताकि अपराधों की संख्या में कमी दिखाई जा सके और इस चलन को रोकने के लिये गृह मंत्रियों के सम्मेलन ने किन उपायों के सुझाव दिये ?

गृह-कार्य उपबंत्री (श्री दातार) : (क) इस विषय पर एक आम वाद-विवाद हुआ था परन्तु कोई निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इंडियन पीनल कोड को अमेंड करने के लिये कोई तजवीज इस कान्फ्रेंस के सामने आई थी ?

श्री दातार : इंडियन पीनल कोड के विषय में कान्फ्रेंस में कोई चर्चा नहीं हुई ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में तमाम राज्यों के होम मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेंस की जाने वाली है जिसमें इस बात पर विचार किया जायगा, और यदि इस का उत्तर "हां" में है, तो कब तक यह होगी ?

श्री दातार : केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है, कान्फ्रेंस की बात अभी सरकार के सामने नहीं है ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों में डाकुओं के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के उपायों में, इन डाकुओं की मुक्ति के प्रश्न पर भी चर्चा की गयी थी ?

श्री दातार : राज्य सरकारें इस प्रश्न पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं और सक्रिय कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या हमारे पदाधिकारियों को भ्रष्ट करने वाले बड़े बड़े व्यक्तियों को पकड़ने के उपायों पर तथा साधनों पर चर्चा की गयी थी ?

श्री दातार : माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत शब्दों में प्रश्न रखा है । इस सम्मेलन का उद्देश्य उन कतिपय प्रश्नों पर विचार करना था जो दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के पारित किये जाने के कारण उत्पन्न हुए थे और यह देखना भी उस का उद्देश्य था कि पुलिस अनुसंधान और पुलिस व जनता के बीच के आपसी सम्बन्धों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है । सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था ।

श्री एम० एस० द्विवेदी : पहली मार्च को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के उत्तर में मंत्री महोदय ने बतलाया था कि देश की क्राइम सिचुएशन पर विचार किया गया था, म जानना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर्स कान्फ्रंस ने इस विषय म क्या क्या सिफारिशें कीं और इन पर अमल करने के लिय क्या सरकार सोच रही है ?

श्री दातार : रेकमेंडशंस की जरूरत नहीं थी, उस में तो पूर्ण वाद-विवाद किया गया और हर एक ने अपना अपना दृष्टिकोण रखा और उन पर परस्पर विचार विमर्श हुआ ।

भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी

*१७२९. **श्री हेडा :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्त्तमान शासन व्यवस्था से उस का क्या सम्बन्ध होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या १७२४ के सम्बन्ध में आज मेरे द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकृष्ट करता हूं ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि भ्रष्टाचार पदाधिकारी नियुक्त किया जा चुका है ?

श्री दातार : भ्रष्टाचार पदाधिकारी नहीं, भ्रष्टाचार विरोधी पदाधिकारी । यह पदाधिकारी नियुक्त किया जाने को है और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या यह नाम उचित है अथवा नहीं ।

श्री हेडा : चूंकि भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग प्रारंभ नहीं किया गया है, तो इस स्थिति में अभी यह पदाधिकारी किस विभाग के अधीन कार्य करेगा ?

श्री दातार : यह पदाधिकारी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा । विशेष पुलिस स्थापना पहले ही से गृह-मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है और वह अनुसन्धान कर रही है और अभियोग चला रही है ।

श्री हेडा : उन का कार्यक्षेत्र कहां तक होगा ?

श्री दातार : व्यक्तियों के सम्बन्ध में, मैं यह कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी सरकारी कर्मचारी इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आयेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के पारित हो जाने के बाद जिस के अधीन घूस देना और घूस लेना दोनों ही दांडिक अपराध घोषित किये गये हैं, कितने बड़े आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर अभियोग चलाया गया है ?

श्री दातार : जहां तक इन दो अपराधों का सम्बन्ध है, मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं । किन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि बड़े आदमियों को भी इस के अधीन लिया जा रहा है ।

भूतपूर्व आई० एन० ए० कर्मचारी

*१७३०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** ३० नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन आई० एन० ए० कर्मचारियों को, जो भतपूर्व देशी राज्यो के

सैनिक बलों से सम्बन्धित थे, उन भारतीय सेना-पदाधिकारियों के समानस्तर पर समझा जाता है, जो गत महायुद्ध में भारतीय राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो देशी राज्यों की सेनाओं के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें भारतीय सेना में पुनः नये सिरे से कमीशन दिये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) वह सभी भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के पदाधिकारी, जिन्होंने युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात् सम्राट के अधीन सेवा की थी और बाद में आई० एन० ए० में सम्मिलित हो गये थे, १, ३, या ५ वर्षों के लिये अल्पसेवा नियमित कमीशन के अधिकारी हैं, और वे व्यक्ति, जिन्हें भारतीय सेना में अधि-आरोपित आयात कमीशन प्राप्त थे, उन्हें उन्हीं शर्तों पर, जो भारतीय सेना के उन भूतपूर्व अनियमित पदाधिकारियों के लिये, जो आई० एन० ए० में सम्मिलित हो गये थे, लागू हैं, स्थायी नियमित कमीशन के अधिकारी हैं ।

( ) अभी तक कोई नहीं, क्योंकि आदेश अभी हाल में ही जारी किये गये हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि (क) के अधीन कर्मचारियों की संख्या का कोई अनुमान है ?

सरदार मजीठिया : नहीं, हमारे पास कोई अनुमान नहीं है, किन्तु जो नये सिरे से कमीशन के लिये आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं और हम उन पर विचार करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : यह निर्णय कब किया गया था ?

सरदार मजीठिया : जनवरी १९५५ में ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निर्णय को विज्ञापित करने के लिये कोई कार्यवाहियां की गयी हैं जिस से कि गांवों में रह रहे व्यक्तियों को भी इस की जानकारी मिले ?

सरदार मजीठिया : यह किया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अब तक कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : अभी तक कोई नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय सदन के पटल पर यह रखने की कृपा करेंगे कि भारत के भूतपूर्व देशी राज्यों से कितने अफसरों और सैनिकों ने इस में भाग लिया था ?

अध्यक्ष महोदय : भारतीय देशी राज्यों के कितने पदाधिकारी सेवा मुक्त किये गये थे ? क्या माननीय मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखेंगे ?

सरदार मजीठिया : यह कदाचित् ही इस प्रश्न से उत्पन्न होता है जो आई० एन० ए० कर्मचारियों के सम्बन्ध में है । यदि कोई अलग प्रश्न पूछा जाये, तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

भूतपूर्व सैनिक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

*१७३१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष में पंजाब सरकार के द्वारा भतपूर्व सैनिक

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में से कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अधीन कितनी धनराशियां व्यय की गयी हैं ; और

(ग) १९५४–५५ में निधि से कितनी धनराशियां मंजूर की गयी हैं तथा उन योजनाओं के नाम क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट, ८, अनुबन्ध संख्या ५०**]

श्री डो० सो० शर्मा : मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट लोक सभा-पटल पर रखा है उस में पार्ट 'सी' का कोई जवाब नहीं है ।

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने कहा, मंजूर की गयी निधियों की व्यवस्था पूर्णतया राजकीय बोर्ड करते हैं । वह विवरण में दिया हुआ है । यदि माननीय सदस्य ने उसे पढ़ा होता और ठीक अर्थ लगाया होता, तो उन्हें उत्तर मिल जाता ।

श्री डो० सो० शर्मा : माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में इस संस्था की जो शाखा है उस से उन को हर साल रिपोर्ट मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है, तो उस पर यहां पर विचार होता है या नहीं ?

सरदार मजीठिया : हां, रिपोर्ट मिलती है, हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड कैसे काम करता है और उस पर पूरा विचार होता है ।

श्री डो० सो० शर्मा: क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अगले साल के लिये उन्होंने इस फंड के अन्तर्गत किसी नई योजना की बुनियाद डाली है, और अगर कोई योजना है तो उस का कोआॅपरेटिव सोसाइटियों के साथ कोई सम्बन्ध है ?

सरदार मजीठिया : इस के मुताबिक फंड के जो आब्जैक्ट्स रखे गये हैं उन के मुताबिक स्टेट बोर्ड काम करता है, और उन को पूरा अधिकार है कि इन आब्जैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वह जैसा भी मुनासिब समझें वैसा काम करें ।

बुनियादी शिक्षा साहित्य

***१७३२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "प्रौढ़ों के लिये बुनियादी शिक्षा" पर साहित्य प्रकाशित करने के लिये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या स्वयं इस पुस्तकालय की ओर से वयस्कों के पढ़ने के लिये कोई किताबें प्रकाशित की जाती हैं, और यदि की जाती हैं, तो गवर्नमेंट का उस से क्या सरोकार है, क्या वह उस के वितरण का कोई प्रबन्ध करती है ?

डा० एम० एम० दास : दिल्ली जनता ग्रंथालय ने प्रौढ़ों के पढ़ने के लिये अब तक तीन किताबें प्रकाशित की ह ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार किन्हीं सार्वजनिक संस्थाओं को, जो प्रौढ़ों के लिये पुस्तकें प्रकाशित करती हैं, कोई अनुदान या सहायता देती है ?

डा० एम० एम० दास : नहीं । जहां तक मैं जानता हूं अब तक किसी भी सार्वजनिक संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया है किन्तु मैं इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी कोई पुस्तक किसी ऐसी संस्था के द्वारा प्रकाशित की गयी है जिसको सरकार ने सहायता दी हो या क्या सरकार ने स्वतः ऐसी कोई पुस्तक छपवायी है ?

डा० एम० एम० दास : प्रश्न स्पष्ट नहीं है । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हों कि क्या सरकार ने किसी अभिकरण के द्वारा कोई पुस्तकें प्रकाशित करवायी हैं, तो मेरा उत्तर "हां है" । सरकार ने एक अभिकरण विशेष के जरिये अनेक पुस्तकें प्रकाशित करवायी हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उस अभिकरण का नाम क्या है और उसे कितनी सहायता या अनुदान दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : वह जामिया मिलिया है । उस विशिष्ट संस्था को कितनी सहायता दी गयी है इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : ये पुस्तकें किस प्रकार वितरित की जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम अब अगला प्रश्न लेंगे । अभी अनेक प्रश्न निबटाने हैं ।

राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा बोर्ड

*१७३३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा बोर्ड कब स्थापित किया गया था

(ख) देश में इस क्षेत्र में किये गये कार्य का समन्वय करने में वह कहां तक सफल रहा है ;

(ग) भारत में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के लिये उपयुक्त साधन सामग्री बनाने में गैर-सरकारी संस्थायें कहां तक आगे आयी हैं ; और

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिये विदेशों से कोई वस्तुयें भेंट के रूप में प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५१]

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कोलम्बो प्लॉन के अनुसार आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो वेन्स हम लोगों को दिये हैं उन की कीमत क्या है और वह कहां इस्तेमाल किये जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : वह आस्ट्रेलिया सरकार की भेंट है । हम नहीं जानते कि उन दो गाड़ियों की क्या कीमत है ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से मालूम होता है कि किसी प्राइवेट फर्म को प्रकाशन के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया है क्या मैं जान सकता हूं कि बजट में इस के लिये कितना पसा मुकर्रर किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : क्या वह कृपा कर के अपना प्रश्न दोहरायेंगे ?

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कुछ निजी संस्थाओं को कुछ धनराशियाँ देने के लिये आयव्ययक में कोई आवंटन किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : अब तक कोई निजी संस्था इस काम को करने के लिये आगे नहीं आयी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : यदि ऐसा है, तो क्या दृश्य-श्रव्य शिक्षा सम्मेलन की तीन महीने तक प्रशिक्षण देने की सिफारिश को कार्यान्वित किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : हम ने उस सम्मेलन की सिफारिशें राज्य सरकारों को परिचालित कर दी हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाना राज्य सरकारों का काम है ।

विदेशी विशेषज्ञ

*१७३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि विदेशी कार्यकरण प्रशासन ने अभी हाल में भारत में एक अमरीकी यांत्रिक शिल्पिक नियुक्त किया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : हां, श्रीमान् ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि इन की संख्या क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : ऐसे २१ शिल्पिक हैं जिन में से सात पहले ही आ चुके हैं और पांच शीघ्र ही आने को हैं । नौ अब तक चुने नहीं गये हैं और उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने के सम्बन्ध में हम चर्चा कर रहे हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : इस कार्यक्रम के अधीन पदाधिकारियों की मंजूरी दिये जाने और भारत में उन के पहुंचने के पहले, क्या गृह मंत्रालय अथवा वैदेशिक कार्य मंत्रालय उन के नामों की सावधानी से जांच करता है और यह देखता है कि क्या वे सामरिक महत्व की सेवाओं के संगठन के साथ सम्बद्ध रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री ए० सी० गुह : मेरे विचार से, उन व्यक्तियों को यहां लाने के पूर्व सरकार ने अवश्य ही पर्याप्त सावधानी बरती होगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन विशेषज्ञों के सम्बन्ध में क्या यह नियम है कि भारत सरकार किसी विशिष्ट विषय के विशेषज्ञ की मांग करे अथवा क्या अमरीकी सरकार इन विशेषज्ञों को हमें योंही दे देती है चाहे हमें उन की आवश्यकता हो या न हो ?

श्री ए० सी० गुह : यह पारस्परिक समझौता है । जब तक कि कोई व्यक्ति हमारे लिये उपयुक्त नहीं होता है, तब तक हम उसे नहीं लेते हैं और हम विशेषज्ञों को केवल उन्हीं विषयों के लिये लेते हैं जिन के लिये हमें उन की आवश्यकता होती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : खर्च कौन वहन करता है ?

श्री ए० सी० गुह : खर्च अमरीकी सरकार वहन करती है । हम दफ्तर आवास, साधन सामग्री, संभरण, शीघ्रलिपिक और सचिवीय सहायता, अनुवाद तथा दुभाषिया जैसी सेवाओं का खर्च वहन करते हैं, और ऐसी ही अन्य कार्यालय सम्बन्धी बातों का खर्च उठाते हैं ।

अल्पसेवा कमीशन

*१७३७. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९५४ में बहुत से असैनिक शिल्पिक स्नातकों को अल्पसेवा कमीशन दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, सेना और विमान बल में ।

(ख) सेना में २९ और विमान बल में आठ ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का पढ़ाया जाना

*१७३८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किये गये हिन्दी शिक्षा केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों ने हिन्दी सीख ली है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : जहां तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली में चलाये गये हिन्दी शिक्षा केन्द्रों का ताल्लुक है, नवम्बर, १९५४ तक उन केन्द्रों में ७१९ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हिन्दी सीख चुके थे और आजकल लगभग ६५० सीख रहे हैं । उन केन्द्रों के बारे में जो दूसरे मंत्रालयों ने चलाये हों, हमारे पास इस समय जानकारी नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : यह केन्द्र किस तारीख से शुरु हुए थे और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और क्या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ केन्द्रों की संख्या भी बढ़ी है या यह उतनी ही है जितनी कि शुरु में थी ?

डा० एम० एम० दास : यह केन्द्र १९५२ में शुरू हुए थे और इन की संख्या बढ़ती जाती है ।

सेठ गोविन्द दास : १९५२ में जब इस काम को शुरु किया गया था उस समय यह केन्द्र कितने थे, १९५३ में कितने रहे और १९५४ में कितने हुए ?

डा० एम० एम० दास : १९५२–५३ की छात्र संख्या हमारे पास नहीं है । कितना रुपया इन पर खर्च किया जा रहा था यह हम दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न का उत्तर दें । माननीय सदस्य धनराशि नहीं जानना चाहते हैं वह केन्द्रों की संख्या जानना चाहते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : यदि इन की संख्या नहीं दी जा सकती है तो कितना रुपया खर्च हुआ, यह भी मैं पूछना चाहूंगा ।

डा० एम० एम० दास : १९५२–५३ में २,८०० रुपये, १९५३–५४ में १४,०० रुपये और १९५४–५५ में २१,०००० रुपये ।

१८५७ के भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास

*१७४२. **श्री वोडयार** : क्या शिक्षा मंत्री २४ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम का नया और वस्तुरूप इतिहास कब तक प्रकाशित हो जायेगा ; और

(ख) इस प्रकाशन के लिये कुल कितने व्यय का नियतन किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १० मई, १९५७ ।

(ख) मुद्रण व्यय के अतिरिक्त अनुमानित व्यय ३५,००० रुपये है ।

श्री वोडयार : क्या इस का प्रकाशन प्रादेशिक भाषाओं में किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : अभी जो योजना सरकार के सामने है वह इसे अंग्रेजी में प्रकाशित रहने के सम्बन्ध में है । अंग्रेजी

में प्रकाशित हो जाने के बाद हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इसे अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाये या नहीं ।

सहायक अधीक्षक

*१७४४. **श्रीमती गंगादेवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से सरकार अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों को जो इस समय केन्द्रीय सचिवालय में स्थाई सहायकों के रूप में काम कर रहे हैं, पर्याप्त संख्या में सहायक अधीक्षक नियमित अस्थायी संस्थापन में सम्मिलित कर लेने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार प्रस्तावित व्यवस्था को कब तक अन्तिम रूप देने की आशा करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). हां । यह प्रस्थापित किया गया है कि तृतीय श्रेणी में पदोन्नति करने के लिए सहायकों को छांटने के विभिन्न संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगात्मक परीक्षा के परिणामों के आधार पर चार वर्ष तक प्रतिवर्ष पांच अनुसूचित जाति के सदस्यों को सहायक अधीक्षकों के नियमित अस्थायी संस्थापन में नियुक्त किया जाये इस प्रकार की प्रथम परीक्षा मई, १९५५ में होने वाली है ।

श्रीमती गंगादेवी : रेगुलर टेम्पोरेरी एस्टेब्लिशमेंट आफ असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट्स पहले से ही इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो फिर ऐसे टेस्ट की क्या जरूरत है ?

श्री दातार : अनुसूचित जाति के तथा अन्य प्रकार के सदस्यों के अधिक संख्या में लिये जाने क कारण यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार एक परीक्षा भी हो जिस से कि उनको जो दक्ष हैं अच्छा अवसर मिल सके ।

श्रीमती गंगादेवी : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने शेड्यूल्ड कास्ट सुप्रिंटेंडेंट्स हैं ?

श्री दातार : इस समय चार सहायक अधीक्षक हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस परीक्षा के फलस्वरूप कितने सहायक अधीक्षक लिये जायेंगे और क्या कुल संख्या में से पांच स्थान अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित रखे जायेंगे या वे भी अधिमान क्रम के अनुसार लिये जायेंगे ?

श्री दातार : जहां तक लोगों को नियमित अस्थायी संस्थापन में लेने का प्रश्न है, प्रति वर्ष बीस लिये जायेंगे और चार वर्ष तक पांच अनुसूचित जातियों के लिये जायेंगे ।

श्री वेलायुधन : क्या यह परीक्षा प्रतियोगात्मक है या केवल अर्हता सम्बन्धी है, और यदि प्रतियोगात्मक है तो क्या अनुसूचित जातियों के व्यक्ति इस अभ्यंश का लाभ उठाने से वंचित नहीं रह जायेंगे ?

श्री दातार : अनुसूचित जाति के जो लोग इस परीक्षा में उतीर्ण होंगे उस में से पांच तक तो सभी ले लिये जायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश अभ्यर्थी पंद्रह से बीस वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति होंगे क्या उनके प्रति यह अनुचित व्यवहार न होगा कि उन से कहा जाय कि वे भी नवयुवकों के साथ बैठ कर परीक्षा में भाग लें और क्या उस अनुभव पर भी कोई ध्यान दिया जायेगा जो उन्होंने इतने वर्षों में प्राप्त किया है ?

श्री दातार : कार्यकुशलता की दृष्टि से यही विचार किया गया है कि वे भी इस प्रकार की परीक्षा में भाग लें।

आयकर जांच आयोग

*१७४५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर जांच आयोग के भंग होने के बाद से अनिर्णीत मामलों में से कितने मामले विभागीय रूप से निपटाये जा चुके हैं ; और

(ख) लगाये गये तथा वसूल किये गये कर की राशि कितनी है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) कोई नहीं। (२ दिसम्बर, १९५३ के आदेश में जिस के द्वारा आयोग की अवधि को बढ़ा कर ३१ दिसम्बर, १९५५ कर दिया गया था, अभी तक न कोई संशोधन किया गया है और न कोई रूपभेद ही किया किया है)

(ख) कुछ नहीं।

पंडित डी० एन० तिवारी : कितने मामले ऐसे हैं जो अभी तक अनिर्णीत हैं ?

श्री एम० सी० शाह : आय कर जांच आयोग अब तक न निबटाये गये मामलों की संख्या ? उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ८१९ मामलों पर इस का प्रभाव पड़ा।

पंडित डी० एन० तिवारी : इन ८१९ अनिर्णीत मामलों से सम्बन्ध रखने वाली धन राशि कितनी है ?

श्री एम० सी० शाह : स्थिति यह है कि धारा ५ (४) के अन्तर्गत, सब मामलों पर फिर से विचार किया जाना था। आयोग द्वारा निर्णीत मामलों के सम्बन्ध में यह धनराशि बीस करोड़ रुपये के लगभग होती है। धारा ५ (४) के अनुसार सभी मामलों पर फिर से विचार किया जाना है। धारा ५ (१) के अन्तर्गत मामलों की संख्या २३ है और इन से सम्बन्धित धनराशि लगभग ५८१ लाख रुपये होगी। धारा ५ (१) के अनुसार उन मामलों पर जो जुलाई १९५४ अध्यादेश के जारी होने की तिथि से पहले निर्णीत किये गये थे, पुनः विचार नहीं किया जायेगा परन्तु उन मामलों पर जो अनिर्णीत रह गये हैं पुनः विचार करना होगा। जहां तक धन राशि का सम्बन्ध है। मेरे पास अनुमानित आंकड़े नहीं हैं।

श्री मुरारका : क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कोई समझौता किया गया था और क्या कुछ मामलों का प्रतिसंहरण किया गया है, यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं ?

श्री एम० सी० शाह : प्रतिसंहरण के कोई आंकड़े मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि धारा ५(४) के अनुसार लगभग सभी मामलों में सूचनायें जारी कर दी गई हैं। धारा ५ (१) के अन्तर्गत भी,२६५ मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है। धारा ५ (४) के अन्तर्गत १९१ मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ मामले अब भी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा विचार किये जाने के लिये हैं। जैसा कि सभा को ज्ञात है धारा ३४ (१) (क) के अन्तर्गत सूचना जारी करने के पहले कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

श्री एन० बी० चौधरी : आय कर जांच आयोग के समाप्त होने के बाद आय कर प्राधिकारियों द्वारा आय कर अपवंचन के कितन मामले चलाये गये हैं। विशेषतः उस अवधि के सम्बन्धित मामले में जो आयोग के विचाराधीन था ?

श्री एम० पी० शाह : मैं बता चुका हूं कि आय कर जांच आयोग को विधि द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ८१९ मामलों पर प्रभाव पड़ा था और ४८४ मामलों में सूचनायें भी जारी की जा चुकी हैं। अन्य मामलों की जांच की जा रही है और २६३ मामलों में शीघ्र ही सूचनायें जारी की जायंगी।

बंदूक की अनुज्ञप्तियां

*१७४७. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक त्रिपुरा के आदिम जातियों के लोगों द्वारा, कितनी बंदूकें सरकार की अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिये दी गई हैं ; और

(ख) कितने मामलों में इस प्रकार अनुज्ञप्तियों का नवीकरण किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा अर्जित की गई बहुत सी बंदूकें बेकार हो गई हैं क्योंकि वे गत आठ वर्षों से पुलिस अभिरक्षा में पड़ी हुई थीं ?

श्री दातार : जानकारी न होने के कारण मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार का विचार सारी बंदूकों को उनके वास्तविक स्वामियों को तुरन्त लौटा देने का है ?

श्री दातार : जानकारी प्राप्त होने पर सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य राज्यों में भी नवीकरण के संबंध में रिश्वत देना, परेशानी का सामना करना पड़ता है, रिश्वतें दी जाती हैं, और असाधारण विलम्ब होता ही है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार नवीकरण की प्रक्रिया को और उदार बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य के विचारों को मानने को तैयार नहीं हूं। परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन देने को तैयार हूं कि हम इस प्रश्न पर शस्त्र अधिनियम तथा शस्त्रनियमों के प्रस्थापित संशोधन के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : वह लाया कब जायेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

बेल पहाड़ी (मिदनापुर) का भूतत्वीय परिमाप

*१७४८. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मूल्यवान खनिज पदार्थों की खोज करने के लिये, पश्चिमी बंगाल के जिला मिदनापुर के स्थान बेलपाहाड़ी में एक भूतत्वीय परिमाप किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिमाप का अन्तिम परिणाम क्या निकला है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५२]**.

श्री सुबोध हासदा : क्या यह परिमाप वहां पर पेट्रोलियम तथा टंग्स्टन की खोज करने के लिये किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे ज्ञात नहीं है, इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सुबोध हासदा : गत वर्ष कितने स्थानों पर भूतत्वीय परिमाप किया गया था और उस अवधि में कौन कौन सी नई वस्तुओं का पता लगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत विस्तृत है । मूल प्रश्न जिला मिदनापुर स्थित बेलपहाड़ी के सम्बन्ध में है । मुझे अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक कड़ाई का व्यवहार करना होगा । कितने ही अनुपूरक प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो प्रश्नों के क्षेत्र से बाहर होते हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं उस अभिकरण का नाम जान सकता हूं, जो इस परिमाप को कर रहा है और क्या मैं उन खनिज पदार्थों तथा अन्य पदार्थों के नाम जान सकता हूं जिन के लिये वह परिमाप किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसे सामान्य प्रश्न का उत्तर मेरे पास यही है कि इस का संचालन भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस परिमाप विशेष के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : संचालक, भारतीय भूतत्वीय परिमाप, स्वयं अपने विभाग द्वारा इस परिमाप का संचालन करा रहे हैं ।

श्री बी० के० दास : किये गये परिमाप का कार्यकाल कितना था तथा क्या यह परिमाप अब भी जारी है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह १९५०-५१ में निर्दिष्ट क्षेत्र में किया गया था ।

अनाथ

*१७४९. **डा० रामा राव** : क्या शिक्षा मंत्री ११ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे अनाथों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है जिन की सहायता और देखभाल करने की आवश्यकता है ; और

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले अनाथालयों की संख्या पृथक् पृथक् कितनी हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). यह विषय मुख्यतः राज्य सरकारों का है भाग 'ग' तथा 'घ' में के राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैंने ऑरफन्स के सम्बन्ध में एक बिल इस सदन के सामने रखा था और सदन ने आम तौर से उसे स्वीकार किया था, लेकिन सरकार ने यह वादा किया था कि वह शीघ्र ही एक ऐसा बिल सरकारी तौर पर रखेगी । इस को लगभग साल भर से ज्यादा हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह बिल अब तक सदन के सामने क्यों नहीं आया है, और कब तक आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : राज्य सरकारों से जो जानकारी मांगी गई है क्या उस में यह जानकारी भी अलग अलग एकत्रित की जा रही है कि इन में से कितने अनाथालय बालकों के लिये हैं और कितने बालिकाओं के लिये हैं ।

डा० एम० एम० दास : इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है, इस की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

डा० रामा राव : क्या इस बात का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का अपना कोई एक भी अनाथालय नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का सम्बन्ध है, उस ने ऐच्छिक सामाजिक कल्याण संगठनों को अनुदान दिये हैं जिन में अनाथों की देखरेख करने वाली संस्थायें भी सम्मिलित हैं । मैं अनुदानों की राशियां बता सकता हूं और यह बता सकता हूं कि बोर्ड द्वारा कितनी संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं ।

सहायक अधीक्षक

*१७५०. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अधीक्षकों की श्रेणी में नियुक्ति की परीक्षा के लिये केवल उन्हीं स्थायी सहायकों को अभ्यर्थी होने के लिये अर्ह घोषित किया गया था जिन की वरिष्ठता १ जनवरी, १९५१ से पूर्व की किसी तिथि से मानी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में उन अस्थायी सहायकों को भी जिन की १ जनवरी, १९५४ से स्थायी हो जाने की संभावना थी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, परन्तु जो सहायक १ जनवरी, १९५१ तथा १ जनवरी १९५४ के बीच स्थायी हुए थे उन को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(ग) यदि उपरिलिखित भाग (क) और (ख). के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) यह सच नहीं है । १ जनवरी, १९५४ अथवा इस से पूर्व स्थायी हुए सभी सहायकों को परीक्षा में बठने की अनुमति दी गई थी, यदि उन की वरिष्ठता की गणना १ जनवरी, १९५१ के बाद किसी तिथि से नहीं की गई थी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या यह सच है कि परीक्षा के नियम के अनुसार किसी अस्थायी सहायक परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे तथा अभी तक नियम बदले नहीं गये हैं इसलिये यह सभी व्यवस्था अनियमित है ?

श्री दातार : व्यवस्था अनियमित नहीं है । दूसरी ओर क्योंकि स्थायी सहायकों की संख्या १,८०० से बढ़ कर २,५०० हो जाने से अधिक व्यक्तियों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिल रहा है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मेरा प्रश्न था कि क्या आप के नियमों के अनुसार अस्थायी सहायकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति है ?

श्री दातार : मेरे विचार से नहीं, परन्तु मेरी बात में संशोधन किया जा सकता है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : यदि ऐसा है, तो जिन व्यक्तियों को अवसर नहीं दिया उनके साथ न्याय करने के लिये आप नियमों में परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं ?

***श्री दातार :** सरकार इस समय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है । परन्तु कर्मचारियों की श्रेणी 'नियमित अस्थायी कर्मचारी'

---

* इस उत्तर को बाद में शुद्ध किया गया । देखिये लोक-सभा वाद-विवाद भाग २, दिनांक ७-५-५५, स्तम्भ संख्या ६०७० ।

श्रेणी है । उन में एक प्रकार की वरिष्ठता है । इस प्रकार से कुछ अस्थायी सरकारी कर्मचारी भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं ।

प्रारम्भिक और बुनियादी स्कूल

*१७५१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर १९५४ तक कितने प्रारम्भिक और बुनियादी स्कूल खोले गये और उन में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इस विषय का मुख्य रूप से राज्य सरकारों से ताल्लुक है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश से जो शिक्षा विशेषज्ञों का दल ग्रामीण शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पद्धति का अध्ययन करने के लिये डेनमार्क भेजा गया था, उस ने रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो किस रूप में और किस हद तक उस को ग्रामीण शिक्षा पद्धति में लागू करने की योजना है ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में है । जो टीम डेनमार्क गई थी उस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सभा-सचिव ने बताया कि इस का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा प्राथमिक स्कूलों के लिये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या सरकार को सूचना है कि देश में ऐसे कितने स्कूल खोले गये हैं तथा लक्ष्य की कितने प्रतिशत पूर्ति हो चुकी हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है । योजना आयोग ने भी बताया है कि जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । ये प्रश्न सम्बन्धित राज्य सरकारों से पूछे जाने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

संयुक्त गूढ़ लेख कार्यालय

*१७५२. **श्री आर० डी० मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूढ़ लेख कार्यालय में, गूढ़ लेखों के सम्बन्ध में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को काम में लाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी संकलन कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस कार्य को कब प्रारंभ करने का विचार करती है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). संयुक्त गूढ़ लेख कार्यालय रक्षा सेवाओं तथा गूढ़ लेखों का व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा मांग किये जाने पर ही गूढ़ लेखों का निर्माण करने के लिये उत्तरदायी है । हिन्दी गूढ़ लेखों के निर्माण के लिये संयुक्त गूढ़ लेख कार्यालय से कोई मांग नहीं की गई है । फिर भी कुछ प्राथमिक कार्य प्रारंभ किया जा चुका है जिस से कि हिन्दी गूढ़ लेखों की आवश्यकत होने पर, संयुक्त गूढ़ लेख कार्यालय हिन्दी गूढ़ लेखों को बनाने की स्थिति में हो सके ।

श्री आर० डी० मिश्र : क्या सरकार को ज्ञात है कि हमारी गूढ़ लेख पद्धति के अंग्रेजी

भाषा पर आधारित होने के कारण इसे दूसरे देशों में आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह बात हमारे देश के लिये हानिकारक है ?

श्री सतीश चन्द्र : दूसरे देशों द्वारा गूढ़ लेखों के पढ़ लिये जाने के भी कुछ उदाहरण हैं ।

श्री आर० डी० मिश्र : यदि हम यथा शीघ्र हिन्दी पद्धति को प्रारंभ कर दें तो यह हमारे देश के हित में नहीं होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : हिन्दी पद्धति तभी लागू की जा सकती है जब कि गूढ़ लेखों को व्यवहार में लाने वाले सभी व्यक्ति इस भाषा को जानते हों तथा प्राविधिक शब्दकोष अन्तिम रूप से बनाया जा कर निश्चित कर दिया जाये ।

कनिष्ठ कमीशन प्राप्त पदाधिकारी

*१७५४. **श्री राम दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सशस्त्र सेवाओं में नियुक्त कनिष्ठ कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को जो पिछले महायुद्ध में भर्ती किये गये थे, नियमित अथवा स्थायी घोषित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) उन का कार्यकाल युद्धकाल तथा उस के पश्चात् १२ मास पश्चात् तक के लिये था, और इस के बाद से उन को उस अवधि के पर्यन्त, उन की सम्मति से, उस समय तक के लिये जब तक उन की सेवाओं की आवश्यकता है, उन को रख लिया गया है ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ए० ओ० सी० ग्रुप "बी" के जे० सी० ओ० में से किसी को भी रेगुलर नहीं बनाया गया है ?

सरदार मजीठिया : मैं बता चुका हूं कि उन की सेवायें युद्धकाल तथा उस के पश्चात् १२ मास तक के लिये थीं । इस के पश्चात् उन को उन्हीं आधारों पर, जिन के अनुसार उन को मूलतः नियुक्त किया गया था उन की सम्मति से रोक लिया गया था ।

श्री राम दास : क्या मैं समझूं कि उन्होंने यह रजामंदी जाहिर की है कि उन को रेगुलर न बनाया जाये ?

सरदार मजीठिया : उन्हें यह शर्तें बता दी गई थीं और उन से कहा गया था कि हम उन्हीं शर्तों पर उन को रखने को तैयार हैं । उन्होंने स्वीकृति दे दी थी । दूसरा मार्ग सेवा छोड़ देने का था ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है कि इरेगुलर्स को रेगुलर बनाया जाये ?

सरदार मजीठिया : ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है । परन्तु इस समय यह प्रश्न मंत्रालय के विचाराधीन है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो जूनियर कमिशन्ड आफिसर्स काम कर रहे थे, वह आज तक कितने रेगुलर लाइन में लाये गये हैं ?

सरदार मजीठिया : वे नियमित नहीं हैं । परन्तु यदि माननीय सदस्य उन की संख्या जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं कि नियमित तथा अनियमित दोनों प्रकार के जे० सी० ओ० की कुल संख्या ११,००० के लगभग थी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वह १४ अथवा १५ वर्ष से देश की लगातार सेवा कर रहे हैं क्या सरकार उन को स्थायी सेवा के लाभ देने का विचार कर रही है ?

सरदार मजीठिया: इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : डा० सत्यवादी ।

डा० सत्यवादी : मेरे इस प्रश्न संख्या १७५५ के साथ मेरा दूसरा प्रश्न संख्या १७७० जो कि इसी विषय पर है इस के साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सुविधाजनक होगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : वे साथ साथ लिये जायेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में खनिज संपत्

*१७५५. **डा० सत्यवादी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २२, नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में खनिज संसाधनों के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) इन संपत्तियों के उपयोग के लिये, अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५३**]

(ख) खनिजों के उपयोग करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है ।

हिमाचल प्रदेश में सोना

*१७७०. **डा० सत्यवादी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहड़ तहसील हिमाचल प्रदेश के बढ़शाल गांव के निकट सोना मिली हुई मिट्टी पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई है ; और

(ग) इस जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). जी नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन धातुओं के बारे में कोई योजना पेश की है, या कोई सहायता की मांग की है ?

श्री के० डी० मालवीय : हिमाचल प्रदेश से तो पूछा गया था । हमारी पिछली कान्फ्रेंस में वहां से कोई सुझाव नहीं आया लेकिन हमने बिना उनके सुझाव के ही वहां खोज बीन का कार्यक्रम अपने बड़े कार्यक्रम में शामिल कर लिया है । मैं माननीय सदस्यों को सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि इन तमाम हिस्सों में (हिमालियन रीजन क्षेत्र में) बहुत से ऐसे मिनरल्स जरूर पाये जाते हैं (कम या बेशी तादाद में) जिन की तफसीली खोज की जा सकती है, लेकिन प्राथमिक अन्वेषण में ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि कम्युनिकेशन के बिना डेवलप हुए ही उनकी खोज करने का कार्यक्रम निश्चय किया जाये । इसलिये कार्यक्रम की प्रायरिटी में उन को बहुत ऊपर नहीं रखा गया है ।

राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश

*१७५७. **श्री गोपी राम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **राज्य** समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड, हमाचल प्रदेश द्वारा यात्रा भत्तों तथा वतनों । के रूप में कितना धन व्यय किया तथ कल्याणकारी गतिविधियों के सम्बन्ध अभी तक क्या परिणाम हुए हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : यह सूचना वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर प्राप्त होगी । राज्य बोर्ड ने राज्य को आवंटित, पांचों कल्याण विस्तार परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

श्री गोपी राम : क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बो के सभी सदस्य नगरीय क्षेत्रों से चुन गये हैं, तथा यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास : हम ज्ञात नहीं कि सभी सदस्य नगरीय क्षेत्रों के हैं ।

श्री गोपी राम : क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड के सभापति को समाज कल्याण कार्य का कोई पूर्व अनुभव नहीं है तथा क्या सरकार को सभापति के विरुद्ध कोई प्रतिनिधान अथवा आपत्ति प्राप्त हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे व्यक्ति गत प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जायगी ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

*१७५८. **श्री रघुवीर सहाय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के संशोधन के पश्चात् भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७, के अधीन कितने अभियोग (राज्यवार तथा वर्षवार) चलाये गये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५४**]

श्री रघुवीर सहाय : विवरण से मुझे त होता है एक वर्ष विशेष में—उस का नाम नहीं दिया गया है ; मेरे विचार से वह १९५३ है,—दिल्ली राज्य में २२ अभियोग चलाये गये थे जिन में से १९ छोड़ दिये गये थे तथा केवल दो में दंड दिया गया था । क्या इस का आशय यह है कि यहां भ्रष्टाचार कम हो रहा है , अथवा दंड दिलाने में कठिनाई होने के कारण ऐसा हुआ है ?

श्री दातार : सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इतने व्यक्ति कैसे छोड़ दिये गये । माननीय सदस्य जो परिणाम निकाल रहे हैं वह ठीक नहीं है ।

श्री रघुवीर सहाय : क्या सरकार ने ऐसे मामलों में विभागीय रूप से कार्यवाही किये जाने की संभावना की जांच की है, तथा यदि हां, तो क्या उसे कुछ सफलता मिली है ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि जब भी जांच के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि अभियोग चलाया जा सकता है, तो मामला न्यायालय को सौंप दिया जाता है । अन्यथा विभागीय कार्यवाही की जाती है, तथा उपयुक्त मामलों में समुचित दंड दिया जाता है ।

श्री रघुवीर सहाय : क्या विवरण में दिये गये सभी मामले भ्रष्टाचार से सम्बन्ध रखते हैं जिन में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को धन दिया गया है अथवा वह भ्रष्टाचार के अन्य मामलों से भी सम्बन्धित हैं जिन में अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है ?

श्री दातार : में ब्यौरे नहीं बता सकता हूं । वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट मामले थे ।

श्री डाभी : जिन व्यक्तियों को प्रविधिक आधार पर छोड़ दिया गया था, क्या उनके वरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई थी ?

श्री दातार : इसी विषय पर सरकार विचार कर रही है कि मामले के गणावगुणो में गये बिना प्रविधिक आधार पर छोड दिये गये मामलों में क्या विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसे मामलो में भी क्या कोई ऐसा भी अभियुक्त थ जिस के कब्जे में पाई गई सम्पत्ति उस के सामान्य साधनों से बहुत अधिक थी ?

श्री दातार : जब भी कभी ऐसा ज्ञात होता है तुरन्त नोटिस दिये जाते हैं, जांच की जाती है तथा हम उस से इस अतिरिक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में बताने को कहते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन मामलों में कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन में, उन पदाधिकारियों के पास जिन के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी उन के साधनों से कहीं अधिक सम्पत्ति थी ?

श्री दातार : इस प्रकार के कुछ मामले हो सकते हैं क्योंकि कुछ मामलों में बहुत अनेक अर्थदंड दिया गया था ।.

अल्पकालिक भर्ती (इनरोलमेंट)

*१७५९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "अल्पकालिक भर्ती (इनरोलमेंट)" के अधीन काम करने वाले कितने पदाधिकारियों तथा सैनिकों को सेना से अलग किया गया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : १ सितम्बर, १९४७ से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक ५३६ अलग हुए अफसरों को शार्ट-सर्विस कमीशनें दी गईं और ४५,९४१ अलग हुए अन्य श्रेणी सैनिकों को शार्ट टर्म इनरोलमेंट पर दुबारा नियुक्त किया गया ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है कि इन शार्ट टर्म एनरोलमेंट वालों को, जिन को नौकरी से निकाला जा रहा है, इतने वर्षों तक काम कर चुके होने के कारण क्यों न स्थायी कर दिया जा ?

सरदार मजीठिया : इन को पहली मर्तबा एक या डेढ़ साल के लिये एनरोल किया गया था मगर चूंकि उन की सर्विसेज की जरूरत अभी तक थी इसलिये उन को रखा गया । अब उन को आर्डर्स मिल गये हैं कि उन को रिलीज कर दिया जाये और १ अप्रैल, १९५६ से सब रिलीज हो जायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन अफसरों और सैनिकों को इस प्रकार नौकरियों से हटाया जा रहा है उन को ग्रेच्युइटी या दूसरी विशेष सुविधायें देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : यह जो लोग हैं वह अक्सर एक्स आर्मी पर्सनेल हैं । पहली

सर्विस के मुतालिक जो कुछ उनका बकाया था वह उन को मिल चुका है, जहां तक शार्ट टर्म एनरोलमेंट वालों का सवाल है, यह देखने की बात है कि वह उस में आते हैं या नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि इन लोगों को दूसरे महकमों में नौकरी दिलाई जाये ?

सरदार मजीठिया : खास तौर से आर्मी के लिये नहीं, मगर यह जैनरल क्वैश्चन है कि जितने एक्स सर्विसमेन हैं जिन्होंने कि अपने आप को एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्टर कराया हुआ है, उन को नौकरी दिलाने का प्रबन्ध किया जाये ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

*१७६०. **श्री डाभी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले नवम्बर में बनाये गये कार्य-क्रम में कहां तक प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : नवीन कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड ने ६९४ संस्थाओं को अनुदानों की स्वीकृति दी है । बोर्ड ने दो परामर्शदात्री समितियां —एक तो सेवा निवृत्ति के बाद की देखभाल के लिये और दूसरी सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम को लागू करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये बनाई है ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान देने के लिये कोई शर्तें रखी गयी ह, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : अधिकांश अनुदान तो समानता के आधार पर दिये जाते हैं अर्थात् ५० प्रतिशत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जायेगा और ५० प्रतिशत अन्य साधनों से एकत्र करना होगा । एक बात तो यह है । दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति इन कल्याण परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं उन्हें यथासंभव प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

श्री डाभी : किन राज्यों में यह कार्यक्रम संतोषप्रद रीति से चलाया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : पता नहीं माननीय सदस्य का आशय किस विशेष कार्यक्रम से है ?

श्री डाभी : उस कार्यक्रम से जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपनाया गया है ।

डा० एम० एम० दास : यदि उनका निर्देश नवीन कार्यक्रम की ओर है तो यह कार्यक्रम तो पिछले नवम्बर से ही अपनाया गया है और हम इसे परिचालित करने तथा लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं । बोर्ड की इस नवीन योजना के अनुसार दो अनाथाश्रम स्थापित किये गये हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजना के अन्तर्गत इस बोर्ड के लिये पांच करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास, जो कोई बोर्ड को पचास प्रतिशत अनुदान दे रही विभिन्न संस्थाओं के जिन को कि धन दिया जा रहा है, कार्यकरण की जांच करने के लिये कोई साधन है ?

डा० एम० एम० दास : पहली बात तो यह है कि जो धन निश्चित किया गया है वह पांच करोड़ नहीं बल्कि चार करोड़ है । दूसरे बोर्ड के पास निरीक्षण कर्मचारी हैं जो विविध स्थानों पर जाते हैं और लेखों इत्यादि की जांच करते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : मुझे खेद है कि मेरे मित्र सभा-सचिव केवल चार करोड़ ही बता रहे हैं। पिछले सप्ताह ही तो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन हमें परिचालित किया गया है जिस में पांच करोड़ रुपय दिय गय हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार के पास, जिस ने कि देश की इन विभिन्न संस्थाओं को इतना धन दिया है इस बात की जांच करने के लिये कोई साधन है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा यह रुपया ठीक प्रकार से खर्च किया जाता है या वह केवल राज्य-बोर्डों द्वारा भेज गये प्रतिवेदनों पर ही निर्भर रहती है ।

डा० एम० एम० दास : मैं ने अभी कहा है कि बोर्ड ने निरीक्षक नियुक्त किये हुए हैं जो उन स्थानों का दौरा करते हैं जहां यह योजनायें चलाई जा रही हैं। वह लेखाओं की जांच करते हैं और स्वयं जा कर इस बात को देखते हैं कि उक्त क्षेत्र में वास्तव में क्या किया जा रहा है ।

पंजाब के भूतपूर्व सैनिक

*१७६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त राज्य में १९५३ और १९५४ में कितने भूतपूर्व निकों को रोजगार दिया गया ; और

(ग) क्या नियुक्तियों के विषय में उन्हें कोई वरीयता दी जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) लगभग २,३७,००० ।

(ख) नौकरी दफ्तरों के द्वारा १९५३ में १,१७३ भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया और १९५४ में १,९८७ को । इस में वे भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित नहीं हैं जिन्होंने स्वयं अपने परिश्रम से सीधे ही काम तलाश किया ।

(ग) हां । पुलिस, उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, सुरक्षा, तथा प्रतिपालन विभाग तथा कर विभाग तथा उन अन्य विभागों में जिन में सैन्य शिक्षा एक विशेष योग्यता समझी जाती है । नियुक्तियां करते समय उन्हें वरीयता दी जाती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न सेवाओं में भर्ती होने के लिये तथा सेवा-निवृत्ति के बाद उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था की देखभाल करने के लिये ये भूतपूर्व सैनिक रक्षा मंत्रालय के अधीन एक पृथक नौकरी दफ्तर की मांग करते रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : रक्षा मंत्रालय के अधीन एक निदेशालय है जो इस की देखभाल करता है, किन्तु जैसा कि मैं ने पहले कहा, सेवा त्याग करने के बाद, ये नौकरी दफ्तर ही उन के हितों की देखभाल करते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि उन के प्रविधिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं, और क्या इस सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय के पास कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ?

सरदार मजीठिया : रक्षा मंत्रालय को इन भूतपूर्व सैनिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अतः यह समझा जाता है कि जो प्रबन्ध अब तक किये गये हैं वह उन की प्राविधिक शिक्षा के लिये पर्याप्त हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : इन भूत पूर्व सैनिकों में से कितने व्यक्तियों को

भूमि पर बसाया गया है अथवा उन को सरकार द्वारा जमीनें दी गई हैं ।

सरदार मजीठिया : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है क्योंकि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

*१७६२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में उन संस्थाओं के नाम दिये गये हों जहां सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां प्राप्त व्यक्ति विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : अपेक्षित विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५५**]

डा० राम सुभग सिंह : इन दस संस्थाओं में जिनके नाम विवरण में दिये गये हैं, मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृति पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इन दसों संस्थाओं में प्रत्येक छात्रवृत्ति बराबर मूल्य की है ?

डा० एम० एम० दास : छात्रवृत्तियों की रकम सभी मामलों में बराबर है, किन्तु यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हों कि प्रत्येक छात्र के लिये किस संस्था विशेष अथवा निरीक्षक का अनुमोदन किया गया है, तो इस में अधिक समय लगेगा । ४९ छात्र छांटे गये हैं जिन को यह छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ; और इस के लिये मुझे ४९ नाम पढ़ने होंगे तथा यह बताना होगा कि वह कहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं !

डा० राम सुभग सिंह : १९५४ में छात्रवृत्तियों की कुल रकम कितनी थी ?

डा० एम० एम० दास : यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है ।

संस्थाओं को अनुदान

*१७६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में ऐसी शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को, जो धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्धित हैं या जिनके नाम धार्मिक व्यक्तियों के ऊपर रखे गये हैं, सरकार द्वारा कितनी राशि के आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और बाद में सदन के सामने रख दी जायेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि उर्दू साहित्य के सम्बन्ध में ऐसी कौन कौन सी संस्थायें हैं जिन्हे सहायता दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : इस सवाल के बारे में अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

*१७६४. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री पटल पर इस बात को दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा (क्रमानुसार) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये लागू की गई विभिन्न योजनाओं में कितना व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सूचना एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूं कि जहां तक १९५३–५४ का सम्बन्ध था ; केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को २,२०,००० रुपये और बिहार सरकार को १,३०,००० रुपये का अनुदान दिया था । १९५४–५५ में ये आंकड़े क्रमश: ४,९०,००० रुपये और २,७३,००० रुपये थे ।

सरकारी कर्मचारी

***१७६५. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन में सरकारी कर्मचारियों का सम्मिलित होना निषिद्ध है ;

(ख) १९५४ में इन अधिसूचनाओं के उल्लंघन के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं ; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) किसी भी संस्था के सम्बन्ध में ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

एक भूतपूर्व सेनापति का पाकिस्तान को प्रव्रजन

***१७६६. श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक मेजर जनरल ने जो सेना के प्रधान कार्यालय में संभरण तथा परिवहन के महानिदेशक के पद पर काम कर रहा था, अवकाश ग्रहण करने पर अपनी पेन्शन लघूकृत करा दी है और सब धन यह कह कर एक साथ ले लिया है कि उसे अपने लड़के को लन्दन में शिक्षा दिलाने के लिये उस की जरूरत थी ;

(ख) क्या वह अफसर लन्दन हो कर पाकिस्तान चला गया है ; और

(ग) क्या सेना का भेद जानने वाले ऐसे अफसरों का पाकिस्तान चले जाना भारत की रक्षा के लिये खतरनाक नहीं है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) उक्त अफसर ने अपने आधी पेन्शन लघूकृत करा दी है । इस का कारण ज्ञात नहीं है ।

(ख) हां ।

(ग) यह व्यक्तिगत मामले तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर है । साधारणतया किसी भी अवकाश प्राप्त अफसर को भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य देश में नौकरी नहीं करनी चाहिये । इस मामले की अग्रेतर जांच की जा रही है ।

श्री गिडवानी : क्या पाकिस्तान में नौकरी करने से पहले उस ने भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की थी ?

डा० काटजू : उस ने ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी ।

श्री गिडवानी : पाकिस्तान जाने से पहले उस ने कितना धन ले लिया था ?

डा० काटजू : उस ने पेंशन के लघूकरण के लिये नवम्बर १९५३ में आवेदन किया था और उस का लघूकृत मूल्य लगभग एक लाख रुपये है ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उसे अभी कोई रकम या पेंशन का कोई भाग दिया जा रहा है।

डा० काटजू : अगस्त, १९५४ से उसे कोई पेन्शन नहीं दी है और न उस ने मांगी है।

श्री गिडवानी : इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय कब होगा ?

डा० काटजू : शीघ्र ही होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

समुद्र पार छात्रवृत्तियां

*१७२८. **श्री राधा रमण** : क्या शिक्षा मंत्री पटल पर इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ और १९५४-५५ में भारत सरकार की समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल कितने आवेदन-पत्र (राज्यवार) प्राप्त हुए ;

(ख) कितने आवेदकों (राज्यवार) को छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ग) इस अवधि में उन आवेदकों की संख्या कितनी है जो इन छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं कर सके ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५६]**

विशेषज्ञों की परामर्श तालिका

*१७३६. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छात्रों को अग्रेतर अध्ययन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों की एक परामर्श तालिका बनाने के लिए कुछ कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसे कहां तक सफलता मिली है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां।

(ख) शिक्षा मंत्रालय ने देश के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की एक परामर्श तालिका बनायी है जो विदेशों में अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये इच्छुक विद्यार्थियों को परामर्श देगा। मंत्रालय शिक्षा विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रज्ञों आदि की एक द्वितीय 'तालिका' बनाने का विचार कर रहा है। इसी प्रकार भारत में अग्रेतर अध्ययन अथवा गवेषणा कार्य करने के इच्छुक विद्यार्थियों को परामर्श देने के लिये इसी प्रकार की एक 'तालिका' बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) इन विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों का दी गई सूचना तथा परामर्श अग्रेतर अध्ययन के लिए किसी देश को पसन्द करना संस्था तथा विषय विशेष को चुनना आदि जैसे विषयों में लाभदायक सिद्ध हुई है।

सरकारी कर्मचारी

*१७३९. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे

(क) भारत सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या जिनको फरवरी १९५२ से २८ फ़रवरी, १९५५ तक की अवधि में राजनैतिक कारणों से सेवा मुक्त किया गया।

(ख) उन राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं जिन से इन व्यक्तियों को सम्बद्ध पाया गया था ; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जो इसी आधार पर अभी तक विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). आचरण नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने की मनाही है। इन नियमों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा जिन्हें दंड देने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं, कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में सेवा मुक्ति का दंड दिया गया है उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

***१७४०. श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री १५ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के मुख्य उद्देश्य तथा कृत्य क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५७]**

जूमिया लोगों को बसाया जाना

***१७४१. श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूमिया लोगों को जो भूमि आवंटित की गई है वह उनको इस कारण नहीं दी जा रही है कि वह भूमि खालकेदारों की है ; और

(ख) सरकार निकट भविष्य में जूमिया लोगों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्तापना करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राष्ट्रीय संग्रहालय

***१७४३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने की कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एस०—१११/५५]**

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवसला

***१७४६. डा० एन० बी० खरे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवसला में कार्य कर रहे अधिकारियों के बच्चों के लिये एक स्कूल चलाने का भार एक विदेशी धर्म प्रचारक संस्था को, जो कि पूना में सेंट विन्सैन्ट स्कूल चला रही है, सौंपा गया है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवसला में सेवा युक्त कर्मचारियों के बच्चों के लाभार्थ एक गैर सरकारी स्कूल पूना की जेसुयेट स्कल सोसाइटी की सहायता से खोला गया है।

(ख) पूना खड़कवसला से दूर है और खड़कवसला में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है ।

रांची में खाली कैम्प

*१७५३. **श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची में स्थित खाली सैनिक कैम्पों के सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारिवर्ग पर प्रति मास कितनी रकम व्यय की जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सेना के सात खाली कैम्पों पर, जिन में से चार जनवरी, १९५५ में अतिरेक घोषित कर दिये गये थे, सुरक्षा तथा प्रतिपालन के स में २,१७० रुपये की रकम व्यय की जा रही है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना

*१७५६. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय छात्र सेना के लड़के तथा लड़कियों के विभागों के अगले समाज सेवा शिविर कब लगेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५८]**

श्रेणी ४ के सरकारी कर्मचारी

*१७६७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी ४ के सरकारी कर्मचारियों की वर्दियों में १९४७ से कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां तो वे परिवतन किस प्रकार के हुए हैं ,

(ग) कौन कौन से मंत्रालय ऐसे कर्मचारियों को खादी की वर्दिया दे रहे हैं; और

(घ) ये मंत्रालय खादी की वर्दियों पर वार्षिक कितना खर्च करती हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जो वर्दियां आजकल इस्तेमाल की जाती हैं ; तथा १९४७ से उन में जो परिवर्तन हुए हैं, उस को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ग) और (घ). वर्दियों के लिये खादी इस्तेमाल करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

*१७६८. **श्री सुबोध हांसदा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भूतत्वी सर्वेक्षण करने वाले कुछ दलों ने अभी हाल ही में इस बात की खोज की है कि बांधीगढ़ क्षेत्र में अभ्रक, खड़िया मिट्टी, कच्चा लोहा, फायर क्ले बाल क्ले और संगमरमर है?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६०]**

बीमा समवाय

*१७६९. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अपनी सम्पत्ति को आग तथा चोरी इत्यादि के खतरे से बचाने के हेतु उस का बीमा करवान के लिये सामान्य बीमा समवायों को १९५३–५४

में यदि कोइ बीमे की किश्त दी, तो वह कितनी दी ; और

(ख) सरकार किस प्रकार की सम्पत्ति का बीमा करवाती है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). जसा कि सामान्य वित्तीय नियमों (अंक १) के नियम २८८ में उपबन्धित है, सामान्यत: सरकार की नीति यह नहीं है कि वह अपनी सम्पत्ति का बीमा करवाये । जिन कतिपय मामलों में यह नियम शिथिल किया गया है, उन के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रखा जायेगा।

कोलम्बो योजना

*१७७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार के कोलम्बो योजना के प्रशासक श्री नीरकैवेल अभी हाल ही में दिल्ली आये थे और उन्होंने सरकार से इस बारे में चर्चा की कि कोलम्बो योजना की शेष अवधि में कनाडा भारत को जो सहायता देगा, उस का क्या कार्यक्रम होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम निकला है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जिन योजनाओं पर चर्चा की गई थी, उन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । उनका अनुमोदन एक ओर तो कनाडा सरकार द्वारा होता है, और दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा ।

संयुक्त राष्ट्र विद्यार्थी संथा छात्रवृत्ति

*१७७२. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र विद्यार्थी संथा भारत की एक स्नातिका को बिरियारक्लिफ कालेज में पढ़ने के लिये एक छात्रवृत्ति दे रहा है; और

(ख) क्या पहले यह छात्रवृत्ति दी जाती थी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) भारत सरकार इस छात्रवृत्ति से अवगत नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता

५२०. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता को अनुदानों अथवा अन्य वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या सरकार इस संस्था के कार्य संचालन पर कोई नियंत्रण रखती है ; और

(ग) क्या योजना आयोग को द्वितीय पंच वर्षीय योजना तैयार करने के लिये विशेष रूप से भौतिक योजना की कार्य विधि के सम्बन्ध में कोई सहायता मिलती है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :

(क) १-४-१९४७ से अब तक भारतीय सांख्यकीय संस्था को निम्नलिखित धन-राशियां दी गई हैं :

(१)	पूंजी अनदान	८,०५,००० रुपये (जिसमें से १,१०,००० रुपये संस्था को ऋण पर उपकरण के लिये दिये गये हैं)।
(२)	गवेषणा तथा प्रशिक्षण स्कूल, अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यकीय शिक्षा केन्द्र, सांख्यकीय प्रकार विशेष नियन्त्रण एकक, संचालन गवेषणा एकक, इत्यादि चलाने के लिये वित्तीय सहायता	३९,१२,२०० रुपये
(३)	भारत सरकार की एम० एस० एस० तथा अन्य परियोजनायें चलाने के लिये	१,०२,८९,९०० रुपये
	कुल	१,५०,०७,१०० रुपये

(ख) भारतीय सांख्यकीय संस्था पर सरकार निम्नलिखित रूपों में नियंत्रण रखती है :—

(१) सरकार भारतीय सांख्यकीय संस्था के आय-व्यय क का परीक्षण करती है और आवश्यक वित्तीय उपबन्ध करती है।

(२) भारतीय सांख्यकीय संस्था में जो काम किये जाते हैं, वे लगभग सभी भारत सरकार के लिये होते हैं, अतः काम का निश्चय भी सरकार द्वारा ही किया जाता है।

(३) इस संस्था के गवेषणा तथा प्रशिक्षण स्कूल के शासक निकाय में सरकार के प्रतिनिधि हैं।

(ग) जी हां।

साधारण निर्वाचन

५२१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **विधि मंत्री** १९५२ के सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) प्रत्येक दल के सारे अभ्यर्थियों की, जिन्होंने लोक-सभा तथा विभिन्न राज्य विधान मंडलों के लिये चुनाव लड़े, पृथक् पृथक् संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक दल के अभ्यर्थियों ने विभिन्न राज्यों में पृथक् पृथक् कुल कितने मत प्राप्त किये ; और

(ग) पेप्सू, त्रावनकोर-कोचीन और आन्ध्र में जो द्वितीय सामान्य निर्वाचन हुए, उन में विधान मंडलों के लिये प्रत्येक दल के कितने अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा तथा इन राज्यों में प्रत्येक दल के सारे अभ्यर्थियों ने पृथक् पृथक् कुल कितने मत प्राप्त किये ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और पूरी होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

छात्रवृत्तियां

५२२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ के लिये हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने के लिये केन्द्र ने पंजाब राज्य को कुल कितनी धनराशि की बांट की?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये जो धन है, उस का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। उक्त तीन सालों के लिये पंजाब राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने के लिये कुल ७,६६,४०० रुपये खर्च किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू

५२३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ फरवरी, १९५५ को मद्रास में हुए अखिल भारतीय उर्दू सम्मेलन ने सरकार से निवेदन किया है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा घोषित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां।

(ख) सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की है।

त्रिपुरा में अग्निकांड

५२५. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में त्रिपुरा के बाजारों में कितनी बार आग लगी ;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं, जिन की क्षतिपूर्ति की गई है ;

(ग) जिन व्यक्तियों को आग से नुक्सान हुआ था उन को अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई ; और

(घ) भविष्य में आग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) दस बार आग लगी।

(ख) ११९।

(ग) अधिकतम १७५ रुपये।

न्यूनतम रुपये।

(घ) अगरतल्ला, कैलाशहर में आग बुझाने वाले दल बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। दूसरे नगरों में, उपविभागीय अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में आग बुझाने के उपकरणों का उपबन्ध करने को कहा गया है।

विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

५२६. **सरदार अकरपुरी :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिये भारत सरकार से कितने विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ;

(ख) वे किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं ; और

(ग) ये विद्यार्थी किन किन देशों के हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). सभापटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८ अनुबन्ध संख्या ६१]**

लोक सभा

वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५

	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१--८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४--१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४--९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९--१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६--१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२--१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८--४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७--५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२--५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९--६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७--७८

अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९--८०
पटल पर रखा गया पत्र--	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया	१५८०--१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१--८४
श्री गाडगील .	१५८४--८९
श्री तुलसीदास	१५८९--९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६--९९
श्री वेंकटरामन	१५९९--१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५--१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८--२२
श्री पुन्नूस	१६२२--२६

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ । स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—९८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनस्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि २४२१

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—

पुरःस्थापित . . २४२१—२२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— २४२२—२५५४

मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . २४२२—४०

मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . २४२२—४०

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २४२२—४०

मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय २४२२—४०

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय २४३९—२५५४

मांग संख्या ४२—वन २४३९—२५५४

मांग संख्या ४३—कृषि . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . २५५६—९६,२६१०-११,२६५९—६४

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २५५६—६८

मांग संख्या ४२—वन . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २५५६—६८

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . २५५६—६८

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९१८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

	स्तम्भ
मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय	२९१४—४७
मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें	२९१४—४७
मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य	२९१४—४७
मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२९१४—४७
मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२९१४—४७
मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय .	२९४७—९८
मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८१—खानें . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण	२९४७—९८
मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	२९४७—९८
मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	२९९९
राज्य सभा से सन्देश	२९९९—३०००
वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	३०००
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३०००-०१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३००१
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . .	३००१-०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक सभा

गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ में समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ के द्वारा जोड़ी गई धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमा शुल्क अधिसूचनायें संख्या ३१ और ३२, दिनांक २६ फरवरी, १९५५ की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[**पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस–१०३/५५**]

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचना देनी है–– कि लोक-सभा द्वारा १२ मार्च, १९५५ को पारित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५५ को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है, और वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) विधेयक की एक प्रति राज्य सभा के सचिव ने मुझे भेजी है ।

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक, १९५५ को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखता हूं ।

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि माननीय गृह-मंत्री का स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि वे खड़े हो कर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करें, अतः मैं उन को हमेशा बैठ कर ही बोलने की अनुमति देता हूं ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : मैं इस के लिये आप को धन्यवाद देता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि हैदराबाद राज्य से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर कतिपय शुल्क लगाने तथा उनके वसूल करने को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि हैदराबाद राज्य से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर कतिपय शुल्क लगाने तथा उन के वसूल करने को मान्यता देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं ।

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं रेलवे सामान के अवैध कब्जे के अपराध के लिये दंड सम्बन्धी विधि का, जैसी कि वह अब प्रवर्तित है, सारे भारत में विस्तार करने का उपबन्ध करने वाले तथा इस के उपबन्धों को पुनः अधिनियमित करने वाले विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में उपस्थित करता हूं ।

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करने के लिये नियत समय ३० अप्रैल, १९५५ तक और बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें**

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बारे में मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान-संख्या २१, २२, २३, २४ और ११३ की मांगों पर चर्चा की जायेगी । इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने के लिये ५ घंटे नियत हुए हैं ।

अनेक मांगों के बारे में बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं । माननीय सदस्य चुने हुए कटौती प्रस्तावों को १५ मिनट के अन्दर ही मुझे सौंप दें । सामान्यतः, प्रत्येक भाषण के लिये १५ मिनट दिये जायेंगे, किन्तु दलों के नेताओं को, यदि आवश्यक हुआ तो, २० मिनट भी दिये जा सकते हैं ।

वर्ष १९५५-५६ के लिये अनुदानों की ये मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२१	आदिम जाति क्षेत्र	५,३४,११,०००
२२	वैदेशिक-कार्य	६,२१,००,०००
२३	पांडिचेरी राज्य	१,८९,८३,०००
२४	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध-व्यय	१,८८,०००
११३	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी-व्यय	२२,९२,०००

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जो स्थिति आज हमारे समक्ष है, यदि उस के सम्बन्ध में मैं कुछ विस्तार से कहूं तो संभवतः लाभदायक होगा. यद्यपि हमारे पास अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित विषय हैं और निःसंदेह ऐसे विभिन्न कटौती प्रस्तावों से सम्बन्धित हैं जिन में से कुछ अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। सामान्यतः वैदेशिक कार्य का सारा ही मंत्रालय हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों के लिये उत्तरदायी है और आजकल संभवतः अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विश्व में बहुत अधिक महत्व है और अन्य किसी बात की अपेक्षा आन्तरिक नीति पर भी इस का बहुत प्रभाव पड़ता है।

हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हमें प्रतिदिन यह भय रहता है कि संभवतः कोई ऐसी बात हो जाय जिस से युद्ध या शान्ति की गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाय। यह सच है कि मैं युद्ध का कोई तुरन्त खतरा या निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं देखता, तब भी मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सामान्यतः विश्व की परिस्थिति कठोर हो गई है और उस का हल कठिन हो गया है और ऐसी घटनायें घट रही हैं जिस से न केवल परिस्थिति के बिगड़ने का भय है वरन् भयावह संकट पैदा हो जाने का भी खतरा है। संभवतः जब भविष्य में इस काल का इतिहास लिखा जायेगा तो दो बातें महत्वपूर्ण समझी जायेंगी—अर्थात् अणु शक्ति का आविष्कार और दूसरे एशिया का स्वतंत्र होना। निस्सन्देह और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं परन्तु मैं समझता हूं कि ये दो बातें ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और अन्य किसी भी बात की तुलना में अधिक महत्व की हैं। बाद की बात, अर्थात् एशिया की स्वतंत्रता के प्रतीक-स्वरूप, जैसा कि सभा को भली प्रकार विदित है, इंडोनेशिया के बांडुंग नामक स्थान पर लगभग ढाई सप्ताह में एक सम्मेलन हो रहा है जिस का नाम एशिया-अफ्रीका सम्मेलन है जिस में एशिया और अफ्रीका के सभी स्वतंत्र राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया है। मेरा विश्वास है कि यह सम्मेलन ऐतिहासिक महत्व का है। निस्सन्देह यह अभूतपूर्व सम्मेलन है जोकि पहले कभी नहीं हुआ और यह तथ्य कि १४०० करोड़ व्यक्तियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा है, चाहे उन का पारस्परिक मतभेद हो, एक अत्यन्त महत्व की बात है।

सभा को भली प्रकार याद होगा कि पहले यह नियमित प्रथा थी कि एशिया के कार्यों सम्बन्धी निर्णय यूरोप के कतिपय बड़े राष्ट्र अथवा अमरीका किया करते थे और इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता था कि उन विषयों के सम्बन्ध में एशिया के लोगों के भी कुछ विचार होंगे। यह सच है कि अब उन विचारों को कुछ महत्व दिया जाता है क्योंकि वे उन की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो भी एशिया से बाहर के देशों का यह उच्च विशेषाधिकार ही प्रतीत होता है कि वे एशिया का भार अपने कन्धों पर वहन करते हैं और बार बार ऐसी बातें होती हैं और ऐसे निर्णय किये जाते हैं जिन का एशिया पर प्रभाव पड़ता है और एशियन की कोई राय नहीं ली जाती। परन्तु यह स्पष्ट है कि एशिया की स्थिति बदल चुकी है, वह परिवर्तन अच्छा हुआ है या बुरा, यह तो लोगों की राय पर निर्भर करता है, परन्तु परिवर्तन हुआ है और बहुत हुआ है और एशिया के देश यह पसन्द नहीं करते कि अन्य लोग एशिया के देशों का भाग्य-निर्णय करें। मैं अनुमान से दूसरे लोगों के सम्बन्ध में नहीं कह सकता परन्तु मैं समझता हूं कि मैं जो यह कह रहा हूं, वह ठीक ही है। अतः यह

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में क्या होगा, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो देश वहां आ रहे हैं उन की नीतियां भिन्न हैं, दृष्टिकोण भिन्न हैं, कुछ विरुद्ध नीतियां भी हैं और मैं जानता हूं कि उन के लिये कुछ सामूहिक दृष्टिकोण या विचारधारा बनाना संभव नहीं होगा। फिर भी यह बात स्पष्ट है कि भले ही उन में विरोध हो उन में कुछ सामान्य बातें हैं, नहीं तो वे इस प्रकार सम्मेलन बुलाने के लिये सहमत ही न होते।

अतएव मुझे आशा है कि सभा इस बात को याद रखेगी कि यह जो सम्मेलन हो रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन किसी के विरुद्ध नहीं है, यह यूरोप या अमरीका के विरुद्ध नहीं है और विश्व में जो बड़ा संघर्ष हो रहा है और खींचातानी चल रही है, उस में सम्मेलन किसी का पक्ष नहीं लेगा। यह तो केवल एशिया और अफ्रीका के देश परस्पर मिल रहे हैं। तब अफ्रीका और एशिया के देशों का उद्देश्य क्या है? स्पष्टतः उन सब के उद्देश्य दो हैं, शान्ति-स्थापन और प्रगति करने का अवसर प्राप्त करना। वे सभी इस के लिये उत्सुक हैं। उन्हें अन्य लोगों के झगड़ों और विवादों में कोई अभिरुचि नहीं है। वे जीवित रहना चाहते हैं। वे अपने अपने देशों में अपना परिष्कार करना चाहते हैं जैसे हम अपने देश में परिष्कार के इच्छुक हैं। और इस प्रयोजन के लिये हमें विश्व में शान्ति की आवश्यकता है। अतएव मैं समझता हूं कि शान्ति के लिये जो अत्यधिक प्रेरणा विश्व भर में विद्यमान है वह अन्य सभी देशों की अपेक्षा एशिया और अफ्रीका के देशों में इसी प्रकार अधिक है जैसे कि विश्व भर में स्वतंत्रता की प्रेरणा विद्यमान है, परन्तु उन देशों में वह प्रेरणा अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है जिन्हें बहुत समय से स्वतंत्रता नहीं मिली थी और जिन्हें या तो हाल ही में स्वतंत्रता मिली है और या जिन्हों ने अभी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इन के लिये उन देशों की अपेक्षा स्वतंत्रता का मूल्य अधिक है जिन्हें बहुत समय से स्वतंत्रता प्राप्त है। अतएव उन देशों में यह शान्ति और प्रगति का अवसर प्राप्त करने की उत्कट आकांक्षा है और यह पारस्परिक सम्बन्ध का साधन है।

जैसा मैं ने बताया, मैं आशा करता हूं कि यह सम्मेलन बड़े राष्ट्रों की गुटबन्दी में हिस्सा नहीं लेगा। परिस्थितियों के अनुसार ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि जो देश इस सम्मेलन में आ रहे हैं, उन के इस विषय के सम्बन्ध में विरुद्ध विचार हैं। सभा को पता है कि किसी विषय पर तर्क अथवा औचित्य के आधार पर विचार करना प्रायः सम्भव नहीं हुआ। हमें यह बताया जाता है कि अब प्रत्येक विषय पर इस दृष्टि से विचार किया जाता है कि इस से साम्यवादी उद्देश्य की पूर्ति होती है अथवा उस का विरोध होता है——वह साम्यवादी है अथवा साम्य-वाद-विरोधी है। जब तक आप साम्यवादी या साम्यवाद-विरोधी संघर्ष की बात न उठायें तब तक कुछ राष्ट्र या प्राधिकारी किसी परिस्थिति को किसी प्रकार हल नहीं कर सकते। इस से किसी प्रश्न को हल करने की बात जाने दीजिये उस प्रश्न को समझना भी कठिन हो गया है। विश्व का यह सीधा वरन् साधारण दृष्टिकोण है कि किसी-न-किसी गुट का सदस्य होना आवश्यक है। और आप सदस्य नहीं हैं तो या तो आप बहुत मूर्ख हैं या आप यह बात नहीं समझते कि विश्व में क्या हो रहा है, या आप की प्रवृत्ति में कोई शरारत भरी है। समस्याओं

का इस ढंग से हल करना किसी भी समय कठिन होता परन्तु जब हम आज की तरह अणुशक्ति के युग को आरम्भ कर रहे हैं तो इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रायः खतरनाक ही है और केवल इस दृष्टिकोण के कारण संभवतः यह विश्व को अकस्मात ही तबाही की ओर ले जायेगा ।

हम ने प्रयत्न किया है कि हम इन बड़े राष्ट्रों के गुट में न आयें और मैं उन सब के प्रति सम्मान रखता हूं । मैं उन्हें यह नहीं कहना चाहता कि क्या ठीक है और क्या गलत है ; परन्तु मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि मैं अन्य देशों के सम्बन्ध में—कभी कभी अपने के सम्बन्ध में भी—अपनी राय बताते हुए मुझे संकोच होता है क्योंकि जो समस्यायें हमारे समक्ष हैं वे बहुत कठिन हैं । नई समस्यायें पैदा की जा रही हैं और यदि लोग कुछ नारे अथवा अपने समय के दृष्टान्त द्वारा कोई हल ढूंढना चाहें तो मुझे भय है कि यह सर्वथा गलती होगी । अतः इन विषयों के सम्बन्ध में कहते हुए मुझे बहुत संकोच होता है । मैं यह नहीं समझ सकता कि आज के बड़े राष्ट्र किस प्रकार से आज की समस्याओं को हल कर रहे हैं ।

गत वर्ष जेनेवा में जिस ढंग से समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया, वह तर्कसंगत ढंग था । यह ढंग वस्तुतः समस्या के हल के लिये था । इस से कम-से-कम अस्थायी हल निकल आया था क्योंकि जो लोग सम्मेलन में आये थे वे कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते थे और चूंकि इस समस्या पर इसी प्रकार से विचार किया गया था और वह केवल साम्यवादी और साम्यवाद-विरोधी देशों के बीच होने वाले संघर्ष की छींटाकसी के रूप में नहीं थी । इसलिये इस का हल निकल आया था । जेनेवा में एक सफलता प्राप्त करने के पश्चात् विश्व के देश पुनः एक दूसरे की ओर दूर से घूरने लगे हैं और मुझे यह बहुत असाधारण बात लगती है, कि वे पुनः दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और जहां-तहां शान्ति और सुरक्षा के नाम पर सैनिक संधियों और समझौतों पर ज़ोर दे रहे हैं ।

अब इस प्रश्न पर सिद्धान्ततः तर्क किया जा सकता है कि क्या इन संधियों से शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है अथवा नहीं ; परन्तु हमें इस के सिद्धान्त को नहीं लेना चाहिये क्योंकि वास्तविक तथ्य हमारी आंखों के समक्ष है और हम जानते हैं कि क्या हो रहा है । जेनेवा सम्मेलन के पश्चात् हिन्दचीनी राज्यों में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी जो भले ही कठिन थी परन्तु उस में आशा की झलक दिखाई देती थी । कुछ मास तक वह समस्या रही और उस के आयोगों के सभापतित्व का श्रेय भारत को प्राप्त हुआ जिसने सन्तोषजनक रूप से तथा शान्तिपूर्वक कार्य किया था । फिर एक प्रकार के सैनिक समझौते द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया में सुरक्षा और शान्ति की प्राप्ति के लिये एक तथाकथित प्रयत्न किया गया जिस की नींव मनीला में रखी गई थी । उस समय मैं नहीं समझ सका था कि उस समझौते से किस प्रकार शान्ति और सुरक्षा प्राप्त हो सकती है । अब मुझे स्पष्ट रूप से पता लगा है कि मनीला संधि और उस के पश्चात् होने वाले बैंकाक सम्मेलन से उस क्षेत्र में जो पहले शान्ति की भावना विद्यमान थी और जेनेवा सम्मेलन में जो सह-अस्तित्व का भाव निहित था वह सब आमूलतः नष्ट हो गया है । हिंदचीनी के राज्य यदि एक दूसरे को मान्यता न देते और यदि अन्य बड़े राष्ट्र उन की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार न करते और इस प्रकार का समझौता न कर लेते कि वे उन की स्वतंत्र

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सत्ता में कोई बाधा नहीं डालेंगे तो उन राज्यों का अस्तित्व न रहता । इसी आधार पर जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया था । आज के विश्व में कठिनाई क्या है ? संभवतः किसी देश के आक्रमणकारी उद्देश्य का डर नहीं है, यद्यपि कतिपय देशों की ऐसी इच्छा हो सकती है, परन्तु प्रत्येक देश को यह भय है कि दूसरा देश उस पर आक्रमण करना चाहता है । और दूसरे को आक्रमण से रोकने के पश्चात् आप स्वयं आक्रमणकारी बन जाते हैं। यह सर्वथा असाधारण स्थिति है और हिन्द-चीनी के राज्यों की यही स्थिति थी क्योंकि बड़े देशों में से प्रत्येक को यह भय था कि अन्य देश उस के विरुद्ध हिंदचीनी से लाभ न उठायें । और उस का केवल एक सुझाव यही था कि वे दोनों राष्ट्र हिन्दचीनी के राज्यों को उन के हाल पर अकेला छोड़ दें और किसी भी प्रकार उन को अपने गुट में लाने का प्रयत्न न करें क्योंकि ज्योंही एक गुट ने अपना प्रभाव या अपना दबाव बढ़ाना चाहा या वह उन क्षेत्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आया, जैसाकि उसे पहले 'प्रभाव का क्षेत्र' जैसे कोमल शब्द द्वारा अभिहित किया जाता था, तो तुरन्त ही दूसरा राष्ट्र वहां पर आ धमकता था और पुनः संघर्ष आरम्भ हो जाता था जिसे आप शीत-युद्ध या किसी भी नाम से पुकार सकते हैं ।

दुर्भाग्यवश, वह सुखद स्थिति हिन्द चीनी में अधिक दिन नहीं रही। मैं यह नहीं कहता कि वह पूर्णतः नष्ट हो गई है परन्तु आज परिस्थिति अधिक कठोर है । उस से सर्वथा भिन्न एक आश्चर्य चकित करने वाली स्थिति की बात, संभा आज प्रातः के समाचारपत्रों में देख सकती है जिस में कहा गया है कि दक्षिण वियतनाम में गृह-युद्ध आरम्भ हो गया है । जेनेवा करार की कई प्रकार से व्याख्या की जाती है, और मैं यह कहूंगा कि जेनेवा करार का प्रारम्भ इतनी जल्दी में तैयार किया गया था कि उस की कई व्याख्यायें हो सकती हैं । अतः मैं केवल लाओस के सम्बन्ध में जेनेवा करार की बात कह रहा हूं और सारे करार को नहीं ले रहा । कठिनाइयां पैदा हो रही हैं । मैं इन विषयों को विस्तारपूर्वक नहीं लेना चाहता, परन्तु मैं केवल यह बता रहा हूं कि ऐसी कठिनाइयां पैदा होती हैं । मैं नहीं कहना चाहता कि उस में दोष किस का है परन्तु इन कठिनाइयों को हल करने के लिये हमारे कतिपय उत्तरदायित्व हैं । यह बताने से कि कौन लोग दोषी हैं, कठिनाई के हल करने में सहायता नहीं मिलती । सभा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि दूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में कतिपय घटनाओं के कारण सारा वातावरण बदल चुका है—अर्थात् युद्ध का खतरा और एक व्यक्ति का दूसरे का शोषण करने का और एक देश का दूसरे पर आघात करने का खतरा बढ़ गया है । मैं ने मनीला संधि और उस के बाद के बैंकाक सम्मेलन का उल्लेख किया था । चीन में चीन देश और फारमोसा के बीच की स्थिति भी बहुत खतरनाक है । मैं उस बात को बार बार दोहराना नहीं चाहता परन्तु कुछ ऐसी बात है कि अन्य कुछ देश हम से सहमत नहीं । निस्सन्देह कोई कह सकता है कि फारमोसा एक प्रकार का पृथक् राज्य है क्योंकि वह चीन का ही अंग होने का दावा करता है जिस प्रकार कि चीन यह दावा करता है कि फारमोसा उस का एक अंग है । परन्तु एक स्पष्ट तथ्य के सम्बन्ध में प्रायः सभी सहमत हैं और वह तथ्य यह है कि मात्सू और क्यूमाय द्वीप जो इस देश से चार-पांच मील की दूरी पर हैं निश्चय ही इसी देश के अंग हैं, अतः शत्रुओं की सेना के वहां रहने से निरन्तर

खतरा रहेगा और तनातनी पैदा होगी । चीन की जनवादी सरकार के प्रति मैत्री न रखने वाले देशों ने भी अब अन्त में यह मान लिया है फिर भी मात्सू और क्यूमाय द्वीपों पर दूसरी सेनाओं का कब्जा चल रहा है और यह कहा जाता है कि यदि चीन की जनवादी सरकार ने उन पर आक्रमण किया, तो वह महान् शक्ति अपनी पूरी ताक़त उन की रक्षा करने में लगा देगी, क्योंकि उन में उस महान् शक्ति की सुरक्षा अन्तर्निहित है । मैं सविनय कहूंगा कि यह अजीब बात है । यदि आप बड़ी बड़ी लड़ाइयां न चाहें, तो यह निश्चित है कि प्रत्येक तर्क के आधार पर ये द्वीप चीन देश को मिलेंगे और युद्ध का परिणाम कोई नहीं जानता । तो क्या आप युद्ध का आयोजन चाहते हैं, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, यह तर्क और व्यावहारिक ज्ञान के सर्वथा विपरीत है । यह मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बातें ऐसे पैमाने से नापी जाती हैं, जिसे मैं नहीं मानता । विदेशी प्रेस में मैं अपने प्रति निकले लेख पढ़ता हूं "अब वह इधर झुक रहे हैं, अब उधर, आदि" । कोई भी यह नहीं सोचता कि मैं एक भारतीय हूं और भारत के प्रति ही झुका हूं किसी और के प्रति नहीं——मानो मैं अमरीका, रूस या चीन की ओर झुका हुआ होऊं । मैं उन से मैत्री चाहता हूं । मैं उन की ओर झुकूं क्यों ? मैं जैसा हूं खुश हूं और अपने देश और देशवासियों के लिये काम करना चाहता हूं । पर मैं विश्व शान्ति इसलिये चाहता हूं, क्योंकि वह मेरे देश के लिये और सभी देशों के समान बहुत ही महत्वपूर्ण है । सारी दुनिया लड़ाई में कूद पड़े, हम उस के चक्कर में न पड़ेंगे । इस में कोई भी सन्देह नहीं है कि हम कभी भी युद्ध न करेंगे । पर यदि सारी दुनिया में युद्ध छिड़ता है, तो हम उस के प्रतिफलों से बच नहीं सकते और हम दुनिया को नष्ट होता हुआ देख भी नहीं सकते । इस से हम पर प्रभाव पड़ेगा । माननीय सदस्यों को प्रो० आइन्सटाइन की यह बात याद होगी कि आगामी युद्ध के बाद जो युद्ध होंगे वे धनुष-बाण से लड़े जायेंगे । अर्थात् अगले युद्ध के प्रतिफल ऐसे होंगे कि केवल धनुष-बाण बचेंगे और सभ्यता की धनुष-बाण वाली स्थिति होगी । यह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का और उन लोगों का विचार है, जो आधुनिक अस्त्रों के बारे में सोचते हैं ।

अतः हमें परिस्थिति का यथार्थ पहलू देखना चाहिये और शान्ति की अस्पष्ट बात मात्र करते हुए प्रत्येक काम ऐसा नहीं करना चाहिये, जिस से भय और युद्ध का वातावरण पैदा हो । यह अजीब बात है और मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि कुछ पागलों को छोड़ कर दुनिया में कोई भी युद्ध नहीं चाहता, फिर भी हम अनिवार्य रूप से काम वही करते हैं, जो दुनिया को युद्ध की ओर ले जाते हैं । आप कह सकते हैं कि दोष इस देश या इस राजनीतिज्ञ का है, पर इस से विशेष लाभ नहीं होगा । शायद हम सभी कुछ सीमा तक दोषी हैं । मैं ने दक्षिण-पूर्वी एशिया का नाम लिया था । अब मध्यपूर्व को लें । छोटी-मोटी सैनिक सन्धियों और गठबन्धनों के लिये एक भावावेश चल रहा है । सब प्रकार के लोग जाते हैं, मिलते हैं और फिर वक्तव्य निकलते हैं कि इस देश और उस देश के बीच सैनिक सन्धि हो रही है । उस सैन्य सन्धि से विश्व या उस क्षेत्र की राजनीतिक या सैनिक स्थिति में क्या अन्तर पड़ जाता है——यह मैं आज तक न समझ सका । यदि इस से कुछ अन्तर पड़ जाता हो, तो मैं अपनी ग़लती सुधार लूंगा, क्योंकि इस से परिवर्तन पड़ता है और बुरा परिवर्तन ही पड़ता है ।

मुझे आज अन्य देशों की आलोचना करते हुए बहुत खेद है, क्योंकि वह जो चाहें करने के लिये स्वतंत्र है । पर मध्यपूर्व की संधियों को लें । कुछ मास पहले मध्यपूर्व

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

या पश्चिमी एशिया के दो देशों के बीच सैन्य सन्धि की बात थी । वे ऐसा करें, यह स्वागत योग्य है । मैं उस समय मिश्र हो कर आ रहा था और २-३ दिन काहिरा ठहरा और प्रेस वालों ने इस बारे में मेरी प्रतिक्रिया पूछी । मैं ने स्पष्ट और व्यक्त रूप में बता दिया कि मेरे विचार से ये सैन्य सन्धियां लाभ न कर के हानि ही करेंगी ; सुरक्षा या शान्ति के आश्वासन के स्थान पर वे उलटा ही काम करेंगी । इस मध्य-पूर्व समझौते का ही प्रभाव देखें । आज सवेरे के एक समाचार पत्र में इस का उल्लेख है कि एक बड़ी शक्ति इस से संलग्न है । पहला प्रतिफल यह हुआ कि अरब लीग कमज़ोर हो गई और उस में फूट पड़ गई । इस अरब लीग ने अरब देशों को सहयोगात्मक कार्य के लिये एकत्र किया था । दूसरा फल यह हुआ कि अब भारी फूट चल रही है । मिश्र इस के बहुत विरुद्ध है । सीरिया में बहुत कुछ इसी के कारण उस समय सरकार भी बदल गई और आज वह इन सन्धियों के बहुत विरोध में है । साउदी अरब इस का विरोध करता है । येमन भी है और भी बहुत से देश हैं, जो इस के विरोध में हैं अर्थात् इस सन्धि के होने के कारण मध्यपूर्व कई शत्रु गुटों में बंट गया है ।

इस सन्धि को जन्म देने वालों को ही लें । क्या इस में उन का भी हित है--दूसरों के हित की बात तो छोड़ दें --कि मध्य पूर्व की एकरूपता को तोड़कर वहां परस्पर वैमनस्य बढ़ जाये ? यूगोस्लाव सरकार के बारे में भी बताया जाता है कि वह मध्य-पूर्व की स्थिति में होने वाले विकासों से चिन्तित है, क्योंकि सीरिया और अन्य के ऊपर शामिल होने के लिये दबाव डाला जा रहा है और ये सरकारें उस का विरोध करती आई हैं और मुझे आशा है आगे भी करती रहेंगी क्योंकि अब बहुत अधिक काम दबाव और जोर डाल कर तथा धमकियां दे कर कराये जाने लगे हैं ।

अतः दक्षिण-पूर्व एशिया, सुदूरपूर्व और पश्चिमी एशिया में होने वाली बातों की दृष्टि में सदस्यगण देखेंगे कि चित्र कुछ उज्ज्वल नहीं है । यह फूट और संघर्ष और चारों ओर की खींचतान का दृश्य है । एक ओर हम जागते हुए, उठते हुए और हाथ पैर फैलाते हुए एशिया को देखते हैं । उसे अपना रूप प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है । और दूसरी ओर एशिया की सहायता करने के नाम पर, एशिया में शान्ति रखने के नाम पर फूट और लड़ाइयां बढ़ाने के प्रयत्न चल रहे हैं । स्पष्ट ही हमें इस से विशेष सन्तोष नहीं हो सकता ।

वास्तव में एक-दो को छोड़ विश्व की कई महत्वपूर्ण समस्यायें आज एशिया को प्रभावित कर रही हैं । जर्मनी की एक बड़ी समस्या हम पर प्रभाव नहीं डालती । मैं जर्मनी के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता । सभा को केवल यह याद दिला सकता हूं कि यह बड़ी-से-बड़ी समस्याओं में से एक है । जर्मनी में जो कुछ होता है, उस में दोनों जर्मनियों का एक होना ही नहीं, जर्मनी के पुनःशस्त्रीकरण का प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त है । अब जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण का निर्णय किया गया है । इस समय कहीं पर एक निःशस्त्रीकरण सम्मेलन चल रहा है और वह कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ; मुझे आशा है कभी प्रभावी होंगे । मैं नहीं जानता कि इस का क्या फल होगा । साथ ही बड़ी-बड़ी नीतियां कुछ ऐसी शक्तियों के पुनःशस्त्रीकरण पर भी आधारित हैं, जो इस समय भारी तरह से सशस्त्र नहीं हैं । यह बहुत तर्कसंगत नहीं लगता है ।

तो हमारा ठीक ठीक लक्ष्य क्या है । हमें बड़े चार और बड़े पांच की बात उन

की बातचीत बैठकों की चर्चा बार-बार सुनने को मिलती है---मैं नहीं जानता कि कितने बड़े हैं कितने छोटे । कभी कहा जाता है कि कार्यक्रम के बिना एक अनौपचारिक बैठक होगी । पिछले ढाई वर्ष से हम यह सुनते चले आ रहे हैं । फिर भी उन की बैठक में अविभाज्य कठिनाइयां आती हैं । यदि एक व्यक्ति सहमत हो जाता है, तो उसे दूसरा रोक लेता है और यदि दो सहमत हो जाते हैं, तो तीसरा सहमत नहीं होता । अतः स्थिति बिगड़ती जाती है और लोग एक दूसरे के सामने आ कर बात करने का साहस नहीं जुटा पाते । क्योंकि वे चाहते हैं कि बातचीत से पहले ही स्थिति पैदा हो जाये, जो उन के शब्दों में शक्ति की स्थिति हो---"हमें शक्ति के द्वारा बातचीत चलाने दो" यह सूत्र है । पर वे यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष भी शक्तिशाली बन रहा है । अतः जब तक आप सशक्त हुए होंगे, तब तक शायद अन्य देश या राष्ट्र अपेक्षतया अधिक सशक्त हुआ हो । अतः वे अपनी सही स्थिति नहीं समझ पाते ।

अणु बमों और हाइड्रोजन बमों की बात करते समय कुछ अधिक या कम शक्ति का प्रश्न नहीं उठता । इस का अर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि अब स्थिति यह है कि एक शक्ति यह करती है और दूसरी शक्ति अपेक्षतया दुर्बल भी हो तब भी दोनों पर प्रायः वही असर पड़ता है । अणु बमों और हाइड्रोजन बमों के बारे में इसे चरम् बिन्दु की स्थिति कहा जाता है । अतः एक दूसरे से बहुत बड़ा भी हो और उस के पास बहुत से बम, बहुत शक्तिशाली भी हों, अन्त में दोनों को भयानक हानि उठानी पड़ेगी । वास्तव में घाटा दुनिया को होगा । इसी से मैं ने बताया कि दुनिया की स्थिति आशाजनक नहीं अपितु निराशा-जनक है । मैं नहीं कहता कि अचानक कोई विपत्ति आ रही है क्योंकि देश इस से भय-भीत हैं कि वे इसे टालना चाहते हैं । फिर भी ये बातें उस दिशा में हो रही हैं और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ कभी कभी बहुत हलके रूप में कहने लगते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो वे क्या करेंगे, किस प्रकार अपने सभी अणु-बमों की ताकत को लगा देंगे ।

दुनिया की इस विस्तृत परिस्थिति में हमें क्या करना है ? क्या हम भी इन बातों, शक्ति-संघर्षों और इधर-उधर होने वाली संधियों में शामिल हो जायें ? मैं चाहता हूं कि सभा इस पर सभी आदर्शवाद को भूलते हुए न्यूनतम अवसरवादी और व्यावहारिक दृष्टि से देखे, यद्यपि आदर्शवाद भी आवश्यक है और इस समय अन्य समयों की अपेक्षा भी, उस की अधिक आवश्यकता है । क्या हम इस पागलखाने में घुस कर अन्य पागलों की भांति काम करें ? किसी के पास हाइड्रोजन बम है इस का मतलब यह नहीं कि उस का मस्तिष्क भी हाइड्रोजन बम जितना शक्तिशाली है । आज दुर्भाग्य यह है कि अणु जैसी महान् शक्ति हमें मिल गई है यह मानवता की प्रगति और प्रकृति की विशाल शक्ति, आदि के ऊपर उस के नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती है । पर यह बड़ा सन्देहास्पद विषय है कि मानव-मस्तिष्क ने उस के नियंत्रण में कितनी प्रगति की है । इस पर विचार करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि अणु शक्ति का मुकाबिला अणु शक्ति से नहीं किया जा सकता अर्थात् अन्य शब्दों में हिंसा की शक्ति का अन्त हिंसा की शक्ति नहीं कर सकती । इस समय हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हैं जब शक्ति इतनी अधिक तेज है कि वह प्रयोक्ता और जिस के ऊपर उस का प्रयोग किया गया है, दोनों को ही पदाक्रान्त करेगी और जब तक हमारे पास इस का नियंत्रण और निरोध करने का कुछ और तरीका न हो, हम अवश्य-मेव अभिभूत हो जायेंगे ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अन्य उपाय क्या हैं ? लोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं कि अणु अस्त्रों पर रोक लगा दी जाये, उन का उत्पादन नहो । मैं ने भी कभी कभी इस के बारे में बात की है । पर जितना मैं इस पर विचार करता हूं उतना ही क़ायल हो जाता हूं कि अब इस या उस बात पर रोक लगाने की बात करना व्यर्थ है । अब इस का कोई मूल्य नहीं या थोड़ा-सा ही मूल्य है । शीघ्र ही एक ऐसा समय आने वाला है, जब हाइड्रोजन बम एक छोटे से देश द्वारा भी बड़ी सुविधा से बनाया जा सकेगा--कुछ अतिशयोक्ति-पूर्वक ध्वनि में एक वैज्ञानिक ने मुझे बताया कि यह गृहोद्यान तक में बन सकेगा । यह अतिशयोक्ति हो सकती है, पर इस से पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है । जब सर्वत्र हाइड्रोजन बम बनने लगेंगे, तो दुनिया का क्या होगा । हम दुनिया की इस विभीषिका का सामना किस प्रकार करेंगे--यदि आप सर्वथा विभिन्न स्तर पर --उन्हें आप नैतिक, आध्यात्मिक या चाहे कुछ कहें--मैं उस शब्द को संकीर्ण अर्थ में प्रयुक्त नहीं कर रहा हूं--आप उसे सभ्य तरीका कह सकते हैं । आखिर मानवता सभ्यता के ऐसे स्थल पर पहुंच चुकी है, जिस ने इसे व्यवहार में संयम दिखा दिया है । हम वह संयम भूल रहे हैं । गत दो महा-युद्धों ने मानवता को नृशंस बना दिया । हम भाग्य के चौराहे पर खड़े हैं कि अब मानवता नृशंस पशु बनेगी या सभ्यता की ओर बढ़ेगी । यह सभ्यता और संस्कृति की बात है । यह मूल्यांकन के उस स्तर की बात है, जो हम अपनाना चाहते हैं । और मैं समझता हूं कि गान्धी जी ने हमें जो सिखाया था उस का पहले से भी अधिक आज महत्व है । मैं देशों के लिये गान्धी का सन्देश अपनाने के सिवा और कोई चारा नहीं ढूंढ पाता । शक्ति या युद्ध इस का इलाज नहीं हैं, बल्कि युद्ध आज एक अन्तिम बुराई है और हिंसा नैतिक मूल्यों के अलावा भी निरर्थक है और उस से कुछ लाभ नहीं होता । सभा को तथा-कथित पंचशील--पांच सिद्धान्तों-- का ज्ञान है । कुछ लोगों ने उन की आलोचना की । कुछ लोगों ने बताया--एक देश के प्रधान मंत्री ने कहा--कि यह सब कम्युनिस्ट चाल है । वस्तुस्थिति यह है कि यह सिद्धान्त जिन्हें हम पंचशील कहते हैं, संसार को एक चुनौती है और हम संसार के प्रत्येक देश से पूछना चाहते हैं कि वह उन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं । सभी देश कहें कि हम उस से सहमत हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि प्रत्येक देश को इसे स्वीकार करना चाहिये पर इस के अतिरिक्त शान्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है । अतः प्रत्येक देश को साहस के साथ इसे स्वीकार करना चाहिये ।

आखिर ये सिद्धान्त क्या हैं ?--वे इस प्रकार हैं :--प्रत्येक देश के प्रभुत्व तथा प्रादेशिक स्वातंत्र्य को मान्यता देना, किसी देश पर आक्रमण न करना, किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक सम्मान, समता, आदि । क्या कोई देश इस से असहमत होगा ? यदि वह दूसरों पर आक्रमण के पक्ष में है तो हो; इसी प्रकार यदि वे दूसरे देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो करें काफी हस्तक्षेप हो भी रहा है, मैं जानता हूं पर कोई इसे स्वीकार नहीं करता और मैं ज़ोरदार शब्दों में कहता हूं कि पंचशील दुनिया के सारे देशों को एशिया की ओर से एक चुनौती है । प्रत्येक देश को इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना पड़ेगा और मैं आशा करता हूं कि इस एशिया-अफ्रीका सम्मेलन में यह प्रश्न पूर्णतः स्पष्ट और सीधे तरीके

से रखा जायेगा । प्रत्येक देश को अपने हृदय को टटोल कर उत्तर देना चाहिये कि क्या वह किसी पर आक्रमण न करने और हस्तक्षेप न करने की नीति से सहमत है ।

कभी कभी आरोप लगाया जाता है कि कम्युनिस्ट दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, यह ठीक है । स्पष्ट है कि वह देश भी दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जो कम्युनिस्ट नहीं हैं । हम इसे कैसे रोक सकते हैं । आज के सैनिक साधनों द्वारा हम दूसरे दल को कुचल डालने के लिये अधिक शक्तिशाली बनते हैं । इस प्रकार के कार्य द्वारा अपने को कुचलते और संसार को कुचलते हैं । समस्या का हल ढूंढने के लिये यह कोई समझदारी का उपाय नहीं है ।

पंचशील में कहा गया है कि सभी लोगों को बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार के हस्तक्षेपों से अलग रहना चाहिये । हो सकता है कि इन सिद्धान्तों से सहमत होने वाला एक देश अपने वचनों का पालन करे ; ऐसा होने की गुंजाइश सदैव रहेगी चाहे आप सन्धि करें, समझौता करें या वचनबद्ध हों । पर फिर भी, समझौते के लिये यह एक दृढ़ आधार है । यदि कोई देश जो इसे स्वीकार करता है और अपने शब्दों का पालन नहीं करता तो स्वभावतः उसे कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी । अतः यह पंचशील या सह-अस्तित्व का सिद्धान्त आप को स्वीकार करना पड़ेगा । चाहे आप सह-अस्तित्व स्वीकार करें या संघर्ष तथा पारस्परिक विनाश । यही उस का विकल्प है ।

एशिया-अफ्रीका सम्मेलन सह-अस्तित्व का एक ज्वलंत उदाहरण है । इस में विभिन्न दृष्टिकोणों और विविध साधनों पर विश्वास करने वाले देश सम्मिलित होंगे । उन में से कुछ देशों ने सैनिक संधियां कर ली हैं । पर फिर भी वह लोग इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और सह-अस्तित्व के मामले पर चर्चा करेंगे ।

फिर, साम्यवाद तथा साम्यवाद के विरोध के बारे में भी काफी चर्चा होती है । दोनों महत्वपूर्ण हैं--मैं इसे स्वीकार करता हूं । पर अफ्रीका महाद्वीप में होने वाली अनुचित बातों के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ? नये औपनिवेशिक क्षेत्रों में घटने वाली बातों के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ? दक्षिण अफ्रीका में घटित होने वाली मानवीय दुःखद घटना के बारे में क्या हो रहा है ? सैकड़ों और हजारों लोगों को उन के घरों से निकाल कर दूसरे स्थानों पर ले जाया जा रहा है । स्वतंत्रता के सेनानी इस सम्बन्ध में कुछ बात क्यों नहीं करते ? वे इस सम्बन्ध में मौन हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते । पर उन्हें विदित होना चाहिये कि एशिया और अफ्रीका के लोग, वह इस सम्बन्ध में अधिक शोर भले ही न मचावें, इन बातों की गम्भीरता पर अवश्य विचार करते हैं । और कभी कभी वह इस बात को साम्यवाद और साम्यवाद-विरोधी बातों से भी अधिक गम्भीर मानते हैं । जातीयवाद की यह समस्या समस्त मानव की समस्या है और यह बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है । जातीयवाद या जातीय पृथकत्व की यह समस्या संसार की भीषणतम समस्या बन सकती है । मैं चाहता हूं कि यूरोप, अमरीका, एशिया और अफ्रीका के देश इस बात को महसूस करें और यह न सोचें कि औपनिवेशिक क्षेत्र और जातीय क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है हम उसे यों ही सहन करते रहेंगे । यह सब बातें हमें चोट पहुंचाती हैं । केवल इसी कारण कि इसे रोकने के लिये हम कोई प्रभावोत्पादक कार्यवाही नहीं कर सकते और केवल शोर मचा कर हम अपना महत्व खोना नहीं चाहते, हम शान्त रहते हैं । पर इन बातों ने हमारे हृदय और मस्तिष्क

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पर काफ़ी प्रभाव डाला है और हम इन्हें बहुत महसूस करते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में विचार करते हुए भी हम देखते हैं कि हमारे दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में भिन्न हैं कि कौन सी बात अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सी कम महत्वपूर्ण है।

इन में से कुछ मामलों के सम्बन्ध में मैं ने संक्षेप में संकेत किया है ; अब मैं कई वर्तमान समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जैसे गोआ और श्रीलंका की समस्यायें। श्रीलंका के सम्बन्ध में मैं इन तर्कों को नहीं लाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात कहना जिस से उन्हें कष्ट पहुंचे, या जिस से समस्या के हल में अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हों, अच्छी बात नहीं है।

एक दिन, एक प्रसंग में, कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की भी ओछी बातें कहीं थीं। इन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन में बुद्धि या सामान्य ज्ञान का अभाव है। मेरा उद्देश्य उन की आलोचना करना नहीं है।

जहां तक श्रीलंका का प्रश्न है, हम वहां सदा सहयोग देते रहे और हम ने धैर्य भी रखा। हम ने श्रीलंका के निवासियों और वहां की सरकार की कठिनाइयों को समझने और उन्हें दूर करने का सामर्थ्य से अधिक प्रयत्न किया है। पर हमें निराशा है कि जो हमारा लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पा रहा। उदाहरण के लिये कुछ आंकड़े लीजिये। मैं आप को भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों के पंजीयन के आंकड़े देता हूं जो श्रीलंका के नागरिक बन गये हैं। यह एक मुख्य समस्या है, अन्यथा, ये लोग किसी भी राज्य के नागरिक नहीं रहेंगे। वे भारत के नागरिक नहीं हैं जब तक कि एक अन्य प्रक्रिया के द्वारा उन्हें भारतीय राष्ट्र जन के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाता। वे लोग न यहां के हैं न वहां के ; वे वहां इसलिये रह रहे हैं कि आखिर उन्हें बाहर निकाल कर कहां भेज दिया जाये। हम इस बात से सहमत थे कि हम उन लोगों को अपने नागरिकों के रूप में पंजीकृत कर लेंगे जो इस बात के इच्छुक होंगे और जो हमारे संविधान में उपबन्धित नियमों को पूरा करेंगे। हम ने श्रीलंका सरकार पर भी जोर डाला कि वह भी अपने पंजीयन कार्य को आगे बढ़ावे ताकि वहां के इन भारतीय उद्भव के लोगों का मामला धीरे धीरे निबट जाये। हमें आशा थी कि बहुत से लोग अपने को श्रीलंका के नागरिक के रूप में पंजीकृत करवा लेंगे क्योंकि, वस्तुतः, वे श्रीलंका के निवासी हैं। उन के पिता वहीं पैदा हुए थे और वहीं रहे। दिसम्बर १९५३ से सितम्बर, १९५४ तक, कुल नौ महीनों में श्रीलंका में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या ७,५०५ थी। ४५,२३६ व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये थे। इन ९ महीनों में अस्वीकृति की तुलना में पंजीयन का अनुपात बहुत थोड़ा यानी ४५ हजार पर ७,५०० था। अब अक्तूबर १९५४ से जनवरी तक के चार महीनों को लीजिये। पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या २१ थी और ३६,२६० व्यक्तियों के आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये। स्पष्ट है कि पहले कुछ थोड़े से लोगों को पंजीकृत किया जाता था और अधिकांश लोगों के आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जाते थे पर अब ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी का आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाता। चार महीनों में ३६ हजार अस्वीकृतियां

और २१ व्यक्तियों का पंजीयन, अर्थात् सवा ५ व्यक्तियों का प्रति मास पंजीयन ।

जहां तक हमारे यहां भारतीय नागरिकों के पंजीयन का सम्बन्ध है हमारी प्रगति सामान्य रही है । मैं आंकड़े बता दूंगा । जनवरी से दिसम्बर १९५४ तक उम्मीदवारों की संख्या ८,००० थी और उस में से ५,६०० पंजीकृत हुए । सच तो यह है कि कोई भी आवेदनपत्र अस्वीकृत नहीं किया गया । शेष की अभी छानबीन हो रही है । इस प्रकार हज़ारों आवेदन पत्र स्वीकृत हो चुके हैं । हम काफी तेज़ी से यह काम कर रहे हैं ।

भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों की अन्तिम भेंट में यह निश्चित किया गया था कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका में ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करे जो भारतीय उद्भव के हैं ताकि यह जाना जा सके कि वे कौन व्यक्ति हैं, क्योंकि श्रीलंका सरकार को सदैव यह शिकायत रही है कि अवैध आप्रवासी आते रहते हैं । हमें पता लगाना चाहिये कि वे कौन लोग हैं । चूंकि प्रायः ऐसा हुआ है कि काफी समय से वहां निवास करने वाले व्यक्ति को भी अवैध निवासी बताया गया है । अभी वह सूची भी तैयार नहीं हो पाई है । मैं सभा को बता भी चुका हूं और मैं पुनः सभा से अपील करता हूं कि इस मामले में और पाकिस्तान के मामले में भी हमारा प्रयत्न मित्रता का और सहयोगपूर्ण रहेगा और हम अपने सिद्धान्तों को छोड़ेंगे नहीं ।

मैं ने गोआ की बात कही । माननीय सदस्यों ने देखा है कि कुछ सत्याग्रही २६ जनवरी को वहां गये थे, जिन्हों ने हिंसा या इस प्रकार का अन्य कोई अपराध नहीं किया ; सिवाय इस के कि वे वहां गये जोकि एक प्राविधिक अपराध है । यदि उन्हें दण्ड दिया जाय तो मैं इस की कोई शिकायत नहीं करूंगा ; यदि कोई व्यक्ति सत्याग्रह करता है और उसे दण्ड मिलता है तो उसे या उस की ओर से अन्य किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । यह तो सत्याग्रह का अपरिहार्य परिणाम है; अन्यथा वह सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता । यदि उन्हें दण्ड दिया गया होता तो उन्हें कोई आपत्ति न होती पर जब इन व्यक्तियों को या इन में कुछ को २८ वर्षों का कठोर कारावास दिया गया है तो मेरा हृदय कांप उठता है उन में से कुछ को विविध अवधि का कारावास दिया गया और कुछ को २८ वर्षों का कारावास दिया गया है और उन्हें पुर्तगाल नहीं बल्कि उन उपनिवेशों में भेज दिया गया जहां पुर्तगाल के कैदी भेजे जाते हैं । मैं इसे जंगलीपन ही कहूंगा । वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि कोई भी सरकार इस प्रकार का व्यवहार करे और विशेष रूप से वह सरकार जो हमारी सद्भावना और धैर्य के कारण भारत के कोने में स्थित है । मैं पुर्तगाल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह यह समझ ले कि वह यहां पर हमारे धैर्य्य और सद्भावना के कारण ही है । ऐसी बात नहीं कि हम परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते बल्कि हम आगे की बात सोच कर शान्त रहते हैं ; हम जानते हैं कि आज संसार की स्थिति क्या है और हम इसी कारण हिंसा आदि का कोई छोटा-सा भी ऐसा काम नहीं करना चाहते, जिस की बाद में भयानक प्रतिक्रिया हो । हम थोड़े समय के लिये और प्रतीक्षा कर सकते हैं क्योंकि इस का अन्त अनिवार्यतः वही होगा जो हमारा लक्ष्य है । हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा । इस की कल्पना भी नहीं की जा सकती और यह असम्भव है, और मुझे इस की कोई चिन्ता नहीं कि संसार की कौन-कौन सी शक्तियां पुर्तगाल का समर्थन करेंगी, कि पुर्तगाल के लोग गोआ में रहें ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं ने अन्य शक्तियों की ओर संकेत किया । अभी हाल में इस सम्बन्ध में अधिक बात नहीं हुई है । पर कुछ समय पूर्व कुछ देशों ने नाटो संधि के आधार पर गोआ के बारे में हम से बातें की थीं । उस के बाद नाटो संधि की विस्तृत शर्तें हमारे सामने आईं । उत्तर अतलान्तिक सन्धि संगठन का निर्माण उत्तर अतलान्तिक देशों के रक्षात्मक प्रयोजनों के लिये किया गया था । उत्तर अतलान्तिक सन्धि संगठन की एक शर्त तो महाद्वीपों और महासागरों को पार कर एशिया और भारत तक भी लागू हो गई । वह भारत के एक औपनिवेशिक क्षेत्र की रक्षा करने के लिये भारत में लागू की गई । यह काम नाटो के सम्मान के लिये उचित नहीं था । इस से पता लगता है कि उस के प्रशंसनीय उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य खराब भी हैं जिन्हें बुरे कामों के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकता है ।

मैं ने क्यूमाय और मात्सू की ओर भी संकेत किया है । और एक दो देशों को छोड़ कर सभी देश स्वीकार करते हैं कि क्यूमाय और मात्सू द्वीप चीन देश के ही अंग हैं । गोआ एक द्वीप नहीं है ; गोआ भारत देश में है ; यह क्यूमाय और मात्सू की भांति समुद्र द्वारा पृथक् भी नहीं होता । फिर भी इस मामले में यह तर्क पेश किये जाते हैं और इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार भी किया जाता है ।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में सभा को विदित है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इस महीने की २८ तारीख को यहां आने वाले थे । बाद में हम लोगों ने विभिन्न कारणों ——कार्य की अधिकता आदि—— से इस भेंट को स्थगित कर दिया और इस एशिया-अफ्रीका सम्मेलन के बाद नई दिल्ली में १४ मई को हम फिर मिलेंगे । मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि पाकिस्तान के नेता और विशेष रूप से पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भारत-पाकिस्तान मामलों को तय करने के लिये बहुत आतुर हैं । मैं चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि यह सभा भी इस बात के लिये आतुर होगी कि इन मामलों को मैत्रीपूर्ण ढंग से तय करने में कोई हस्तक्षेप न किया जाय । पाकिस्तान और भारत की जनता में एक दूसरे के प्रति काफी सद्-भावना है, ऐसा मैं समझता हूं । अभी हाल में हमें इस का एक सजीव प्रमाण मिला है, कि बड़े बड़े नेता चाहे जो कहें या करें, जनता में एक दूसरे के प्रति यह मूल सद्भावना है । हमारे देश के लोग पाकिस्तान गये थे और वहां के लोग यहां आये । ये दोनों बातें बड़ी सहायक और उचित हुईं ; पर यह सत्य है कि इतना समय होने के बाद भी जिन समस्याओं को हमें सुलझाना है वह सरल नहीं हो पाई हैं । पाकिस्तान का जन्म होने के बाद इन सात या आठ वर्षों में सभी प्रकार की बातें हुईं । और इस इतिहास को मिटाना बहुत कठिन है । हम उन की बातों पर विचार करेंगे । पर, हमें उन पर यथार्थ-वादी रूप में विचार करना पड़ेगा इस बात की अवहेलना न करते हुए कि क्या घटनायें हो चुकी हैं । उन बड़ी समस्याओं में निष्क्रान्त सम्पत्ति और नहरी पानी की समस्यायें भी हैं । जहां तक नहरी पानी का सम्बन्ध है, हम इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों से विश्व बैंक से बातचीत कर रहे हैं । अब हम एक विशेष अवस्था पर पहुंच गये हैं । यह प्रगति बड़ी धीमी रही है । पर हम ने कुछ प्रगति की है । कल या आज विश्व बैंक के प्रति-निधियों, पाकिस्तान के इंजीनियरों, का एक शिष्टमंडल आया है और उन के साथ हमारे इंजीनियर भी होंगे । यह शिष्टमंडल भारत में सिंधु के कछार के विभिन्न स्थानों

और पाकिस्तान में सिंधु के कछार के विभिन्न स्थानों को देखेंगे और विश्व बैंक की उन सिफारिशों के आधार पर, जिन्हें हम ने और पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है, योजनायें बनायेंगे । कुछ भी हो हम उस ओर बढ़ रहे हैं, यद्यपि हमारी गति बहुत धीमी है । निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिक आन्दोलन नहीं हुआ । मेरे सहयोगी पुनर्वास मंत्री पुनः इन मामलों की चर्चा करने के लिये उन के निमंत्रण पर चार पांच रोज में ही पाकिस्तान जाने वाले हैं ।

एक पेचीदा प्रश्न काश्मीर का है । निस्सन्देह भारत एवं पाकिस्तान के बीच के प्रश्नों में से यह सब से टेढ़ा प्रश्न है । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि काश्मीर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे भारत तथा पाकिस्तान मिल कर लूट सकते हैं । उस की अपनी आत्मा है और उस का अपना व्यक्तित्व भी है——भारत के लिये, निस्सन्देह पाकिस्तान के लिये भी यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर कि दोनों देश अपने राजनैतिक दावपेच चला सकें । काश्मीर की जनता की सद्भावना के बिना कुछ नहीं हो सकता है । मैं इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं ।

सभा को, यदि वह अभी नहीं जानती है तो, यह सुन कर प्रसन्नता होगी कि हाल के कुछ महीनों में काश्मीर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । आर्थिक दृष्टि अथवा अन्य दृष्टि से भी कदाचित् ही काश्मीर पहिले इतना समृद्ध रहा हो । निःसन्देह आज यह पहिले कई वर्षों की अपेक्षा अधिक समृद्ध है । उस की खाद्य, एवं कई योजनायें जोकि हाथ में लीं गई थीं, सफलता के सन्निकट हैं । वहां का सिन्धु घाटी जल-विद्युत कारखाना, काश्मीर की समग्र उपत्यका में न केवल प्रकाश के हेतु अपितु अन्य प्रयोजनों के लिये भी विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा । मोहरा का ४०-५० वर्ष पूर्व निर्मित कारखाना गिरने को है । अब हम बानिहाल सुरंग की विशाल परियोजना प्रारम्भ कर रहे हैं । यह विशाल कार्य प्रारम्भ हो चुका है । वास्तव में कई छोटी छोटी परियोजनायें जम्मू एवं काश्मीर राज्य में नवीन वातावरण उत्पन्न कर रही ह । इसलिये राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से वहां की स्थिति कई वर्ष पूर्व की स्थिति की अपेक्षा अच्छी हो गई है । मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि सभी चीजें पूर्णतः सन्तोषजनक हैं ; हां, यह ज़रूर है कि वे प्रगति के पथ पर अवश्य हैं ।

उस दिन सभा के दो सदस्यों ने मेरे पास प्रश्न भेजे थे । मैं उन प्रश्नों का उपयुक्त समय पर उत्तर दूंगा । प्रश्न काश्मीर के प्रधान मंत्री द्वारा विधान-सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में था । मुझ से पूछा गया था कि क्या शेख अब्दुल्ला ने इस वक्तव्य के सम्बन्ध में मुझ से पत्र-व्यवहार किया था । वक्तव्य इस प्रकार का था कि काश्मीर के प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद के पास इस प्रकार के पत्र इत्यादि हैं जिन से १½ वर्ष पूर्व हुई बातों पर प्रकाश पड़ता है, किन्तु वह मेरे तथा भारत सरकार के बीच में पड़ने के कारण उसे प्रकाशित नहीं कर सके । मुझे उन के यद्यपि शब्द याद नहीं हैं किन्तु उन्होंने कुछ इसी प्रकार की बातें कही थीं । इस पर मुझे शेख अब्दुल्ला का इस आशय का एक तार प्राप्त हुआ कि उन्होंने यह वक्तव्य देखा है तथा वह उक्त पत्रों एवं मसौदों को प्रकाशित करवाना चाहते हैं तथा उन्हें आशा है कि भारत सरकार बीच में नहीं पड़ेगी ।

यह सब बातें, निःसन्देह एक, डेढ़ अथवा दो ढाई वर्ष पूर्व हुई बातों से सम्बन्ध रखती हैं । मैं सीधे यह बात कहूंगा कि जहां तक भारत सरकार और मेरा सम्बन्ध है मैं इस मामले में जम्मू और काश्मीर की सरकार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के बीच नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं ने पुरानी बातें स्मरण करने का प्रयत्न किया। मैं यह भी बता दूं कि पत्रों में प्रकाशित बख्शी गुलाम मुहम्मद के भाषण का संवाद सही नहीं है। बीच के कतिपय वाक्य छुट गये हैं। सामान्य रूप से वह इस प्रकार का था। मैं जम्मू तथा काश्मीर सरकार के स्वविवेक के बीच नहीं पड़ना चाहता। उन्हें ही स्वयं इस का निर्णय करना है। मेरे पास ये पत्र नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि वे क्या हैं। यद्यपि मेरे पास कुछ पत्र हैं मेरे पास शेख अब्दुल्ला के साथ किया गया पत्र व्यवहार भी है, कुछ पत्र श्री रफी अहमद किदवई के पास थे। श्री ए० पी० जैन तथा श्री मौलाना आजाद के पास भी कुछ पत्र हैं। पत्र-व्यवहार के अलावा कई वार्तायें भी हुई थीं। उन वार्ताओं को प्रस्तुत करना कठिन है। पत्र-व्यवहार इन्हीं वार्ताओं से सम्बन्धित है और वे वार्तायें उपलब्ध नहीं हैं। १९५२ के तत्काल उपरान्त १९५३ के पूरे वर्ष हुई घटनाओं का चित्र खींचना बहुत कठिन है।

इस प्रश्न के एक अन्य पहलू से मैं तथा सभा दोनों ही सम्बन्धित हैं। मैं आशा करता हूं कि हम सभी समस्याओं को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं तथा शत्रुता बढ़ाना नहीं चाहते। सभा इस बात पर स्वयं विचार करे कि डेढ़ या दो वर्ष पूर्व हुई वार्ताओं की रिपोर्टों, उन दिनों के आरोपों एवं प्रत्यारोपों के प्रकाशन से कहां तक मैत्रीपूर्ण निपटारे का वातावरण प्रस्तुत होगा या कहां तक उस से मैत्रीपूर्ण वातावरण में बाधायें प्रस्तुत होंगी। इसलिये मैं ने इसे जम्मू एवं काश्मीर की सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। मेरे पास सभी पत्र नहीं हैं। मैं ने बता दिया है कि मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता हूं। यदि कुछ कागजात हों तो वे उन पर विचार करें तथा उन्हें प्रकाशित करें।

एक बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि १० अगस्त, १९५३ को मैं ने यहां एक वक्तव्य दिया था यह शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के एक दो दिन बाद की बात है। एक महीने पश्चात् कदाचित् १७ सितम्बर को मैं ने एक अधिक विस्तृत वक्तव्य दिया। मैं १७ सितम्बर का वक्तव्य पढ़ रहा था उस में बहुत कुछ था। यदि मैं इस मामले को पुनः लेना चाहूंगा तो मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। जो सदस्य इस मामले में रुचि रखते हैं उन से मैं इस वक्तव्य का निर्देश करूंगा क्योंकि मैं ने उस परिस्थिति का कुछ विस्तार से विवेचन किया था। स्वाभाविक रूप से तब भी मैं ने कोई ऐसी बात न कहने का प्रयत्न किया जिस से परिस्थिति बिगड़ जाती। एक मामले के सम्बन्ध में अब भी आरोप लगाये जाते हैं।

शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के उपरान्त काश्मीर की घाटी में हुई भयावह घटनाओं, १५०० व्यक्तियों की सामूहिक हत्या, इत्यादि के सम्बन्ध में हाल ही में काश्मीर की विधान-सभा में पुनः आरोप लगाये गये थे। उस समय भी मैं ने उन की पूरी जांच करने का दायित्व अपने ऊपर लिया था। यह जांच काश्मीर की सरकार के द्वारा नहीं प्रत्युत हमारे, सूचना विभाग के तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक होनी थी। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि हमारी जांच से, भले ही वह जांच शत प्रतिशत सही न हो, फिर भी लगभग ९८ प्रतिशत सही अवश्य थी, उस से काश्मीर सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों की पुष्टि हुई। हमारे तथा उन के आंकड़ों में केवल चार-पांच का अन्तर था मैं ने यह बात उन व्यक्तियों को बताई जोकि यह आरोप लगा रहे थे कि डेढ़ हजार व्यक्तियों को मारा एवं क़त्ल किया गया। यह प्रत्यक

स्थान तथा गांव का विस्तृत प्रतिवेदन था जिस में वास्तव में नाम इत्यादि सभी चीजें दी गई थीं। मैं ने कहा यह प्रतिवेदन है। इस पर उन्हों ने कुछ नहीं कहा। एक वर्ष पश्चात् उन्हों ने फिर वही प्रश्न उठाया। मेरे विचार से इस प्रकार आरोप लगाते रहना नितान्त अनुचित है। उन्हें यह जानना चाहिये कि उन के आरोप बिल्कुल मिथ्या हैं।

कुछ दिनों में विदेशों के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे यहां आने वाले हैं। उन में मिश्र के प्रधान मंत्री, अफगानिस्तान के उपप्रधान एवं विदेश मंत्री होंगे। उन के बाद सूडान के प्रधान मंत्री आयेंगे। उस से भी पहले—अगले सप्ताह अथवा दस एक दिन में यदि हाल की घटनाओं के कारण उन के दौरे में बाधा न हुई तो, दक्षिणी वियतनाम सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल, तथा वियतनाम के विदेश मंत्री आने वाले हैं। कुछ समयोपरान्त उत्तरी वियतनाम का प्रतिनिधि मंडल तथा वहां के विदेश मंत्री इत्यादि आने वाले हैं ये सभी आठ या दस दिन के अन्दर आने वाले हैं। सभा जानती है कि कम्बोडिया के राजकुमार, वहां के प्रधान मंत्री तथा अन्य व्यक्ति यहां आये। इन सभी बातों से हमारे ऊपर अतिरिक्त भार एवं दायित्व पड़ता है, तथा हम इस दायित्व को सभा की सद्भावना एवं सौहार्द से ही निभा सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : प्रधान मंत्री ने जो कुछ भी कहा हम उस की प्रशंसा करते हैं, पर कुछ अन्य अपकारक बातों को भी हमें छोड़ना पड़ेगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मुझे प्रसन्नता है कि हम बांडुंग सम्मेलन के अवसर पर मिल रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने बताया है कि बांडुंग सम्मेलन में हम पंचशील के सिद्धान्तों को संसार के सम्मुख उपस्थित करेंगे और यही पंचशील एक ऐसी शक्ति को जन्म दे सकता है जिस के सहारे मानवता को शान्ति की प्रत्याभूति दी जा सकती है। पंचशील के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें उस धारणा को त्यागना पड़ेगा जिस ने हमें १९४८ से १९५३ के बीच हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में बड़ी हानि पहुंचाई है।

आज दुनिया में केवल एक ही युद्धवादी गुट है। एक और भी गुट है जो शान्ति गुट है। इस में सोवियत रूस और चीन का गणराज्य सम्मिलित हैं और ये राज्य दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्ध में पंचशील के सिद्धान्तों को मानते हैं और पंचशील को मानने को तैयार हैं। पर आंग्ल-अमरीकी गुट पंचशील के सिद्धान्तों को नहीं मानता और इसी कारण आज संसार की ऐसी स्थिति है।

इस बांडुंग सम्मेलन में हमें अमरीकी सरकार और पश्चिमी यूरोपीय प्रजातंत्रात्मक देशों की परीक्षा करनी है। यह काम विशेष रूप से भारत को करना है, क्योंकि भारत ही इस में अगुआ रहा है।

एशिया के सम्बन्ध में पंचशील के सिद्धान्तों को लागू करने से कोई विशेष लाभ नहीं। हमें इन सिद्धान्तों को एशिया में संयुक्त राज्य की स्थिति पर लागू करना चाहिये। इस के लागू करने से फारमोसा जलउभह मध्य से सातवें जहाज़ी बेड़े को हटाना होगा रयूक्यू द्वीप को खाली करवाना होगा तथा सैनिक अड्डों को तोड़ना होगा। इस सम्बन्ध में हम क्या करने जा रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं प्रधान मंत्री की बात मानता हूं कि इस के लिये नैतिक बल की आवश्यकता है। यह नैतिक बल कैसे पैदा किया जाय और कैसे उस का उपयोग

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

किया जाय । इसी कार्य के लिये हम दिल्ली में एशिया के देशों का सम्मेलन करने जा रहे हैं और इसी कारण हम बांडुंग सम्मेलन का स्वागत करते हैं । और इसी कारण पश्चिमी यूरोपीय प्रजातंत्रात्मक राज्य बांडुंग सम्मेलन के विरोध में हैं और उस के सफल संचालन में बाधा डालना चाहते हैं ।

पंचशील के सम्बन्ध में श्री जान फास्टर डलेस ने ८ मार्च को कहा कि सह-अस्तित्व की बात एक चाल है और उन्हों ने एशिया की जनता को संयुक्त राज्य के गुट में शामिल होने की राय दी । संयुक्त राज्य सरकार के सूदूरपूर्व कार्यों के उपराज्य सचिव श्री राबर्टसन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बहुत समय से अमरीका सुदूरपूर्व के राज्यों पर कब्जा जमाये हुए हैं और जमाये रहना चाहता भी है । इस प्रकार अमरीका इस प्रकार का कार्य कर रहा है कि उसे रोकना चाहिये । अतः बांडुंग सम्मेलन ऐसे नैतिक बल को प्रस्तुत करने जा रहा है जिस का उल्लंघन यह लोग नहीं कर पायेंगे ।

च्यांग-काई-शेक और संयुक्त राज्य की सन्धि एशिया की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आक्रमण है ।

हम जानते हैं कि सीटो कितना खतरनाक है । हम कहते हैं कि हमारा मार्ग भिन्न है । हम यह भी कहते हैं कि आज बहुत से देश आपस में घनिष्ट सम्बन्ध रखने को तैयार हैं ; और वह पंचशील के सिद्धान्तों को भी मानते हैं । पर हम उन को भी आंग्ल-अमरीकी शक्ति गुट के ही समान मानते हैं । मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री यह कैसे कहते हैं कि सोवियत रूस और चीन का गणराज्य लगभग संयुक्त राज्य अमरीका की ही भांति ब्रिटिश सरकार का सच्चा रूप हमें पता लग गया है । उसने हाईड्रोजन बम और इस प्रकार के अन्य अस्त्रों के बनाने की स्वीकृति दी है । ब्रिटेन ने फ्रांस को भी अणुबम शक्ति के बल पर शान्ति का प्रलोभन दे कर अपने षड्यंत्र में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया है । हमें इस प्रकार ऐसे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में हिचकिचाहट होनी चाहिये । जो कुछ दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है उस के सम्बन्ध में हम, अपने माननीय प्रधान मंत्री से सहमत हैं, किन्तु वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आतीं । उस में लिखा है कि भारत सरकार ब्रिटिश उपनिवेशों सम्बन्धी ब्रिटिश सरकार की नीति का स्वागत करती है और आगे चल कर लिखा है कि भारत सरकार की यह इच्छा है कि अफ्रीका में हिंसा तथा प्रतिहिंसा का जो चक्र चल रहा है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाय । ब्रिटिश सरकार को कोई दोष नहीं दिया गया है । सारा दोष किक्यू आदित जाति पर डाला गया है । इस कारण मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती । इसी प्रकार से मलाया के बारे में भी ऐसा ही है । जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है यह सारी बातें उस के अनुरूप नहीं हैं ।

इस के बाद अणु शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है । हमारे देश में कितने आदमी इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील हैं किन्तु अमेरिका तथा ब्रिटेन का रवैया बहुत खराब है ।

प्रधान मंत्री ने मध्यपूर्व के देशों की ओर निर्देश किया । वहां भी अमरीका के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं । १२ सितम्बर, १९५४ के न्यूयार्क टाइम्स में यह समाचार छपा था कि मध्यपूर्व के बहुत से राज्य पश्चिमी गुट के साथ सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं । श्री डलेस की रोटी और मकान की योजना का उद्देश्य भी मध्यपूर्व के राज्यों पर कब्जा

करना ही है । इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को संयुक्त राज्य का अड्डा बनाया जा रहा है । भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मिलना चाहते हैं पर इन साम्राज्य-वादियों के कारण बाधा पड़ती जा रही है ।

हमारी सरकार से फ्रांस के सम्बन्ध में कुछ भ्रम है । फ्रांस ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को इसलिये छोड़ा कि वहां की जनता इस के लिये कटिबद्ध थी । गोआ के सम्बन्ध में हमारी नीति बिल्कुल नासमझी की है । हमारे प्रधान मंत्री कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई गड़बड़ी पैदा करे, पर गोआ भारत का पड़ौसी देश है । अतः यदि भारत सरकार यह प्रतिबन्ध हटा दे कि भारत के निवासी अपने गोआ निवासी भाइयों की निर्दयी पुर्तगालियों से रक्षा करने के लिये गोआ में जा सकते हैं तो इस में कोई अन्तर्राष्ट्रीय बाधा उत्पन्न नहीं होगी । यह सब हमारे प्रधान मंत्री के विचित्र विचारों के कारण हो रहा है ।

मैं आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि ६३ फ्रांसीसी भारतीयों ने फ्रांसीसी सेवा में नौकरी करने के लिये फ्रांसीसी अधिकारियों के पास आवेदनपत्र दिया था और उन्हें नौकरी करने की आज्ञा भी दी गई थी । पुराना औपनिवेशिक राज्य अब भी इसी प्रकार चल रहा है । पांडिचेरी के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की कुछ बातें हैं । कुछ दिनों पूर्व वैदेशिक कार्य उपमंत्री पांडिचेरी गये थे । वहां उन्हें बताया गया कि वहां के नगरपालिका आयोग में जनता को बिल्कुल विश्वास नहीं है । जनता नये चुनाव की मांग कर रही है ।

पांडिचेरी की जनता ने पुलिस के व्यवहार की बहुत आलोचना की है । वहां की भारती मिल्स की हड़ताल के सम्बन्ध में भी वैदेशिक-कार्य उपमंत्री को काफी सूचनायें मिली होंगी । फ्रांसीसी राज्य के पिठुओं को आज भी अधिकार प्राप्त हैं और पुलिस की धांधागर्दी वैसे ही चल रही है ।

हम देखते हैं कि हमारे देश में विदेशी विशेषज्ञ अनेक रूपों में आते हैं । सिडनी डी रिप्ले नाम का एक व्यक्ति जो युद्ध के समय सामरिक महत्व सेवाओं के कार्यालय में दक्षिण-पूर्व एशिया के कार्यों का निदेशक था और बाद में यह विभाग १९४६ में केन्द्रीय गुप्त वार्ता वर्ग में मिला दिया गया । वह नेपाल गया और उस ने नैशनल ज्यूग्राफिकल मैगज़ीन (राष्ट्रीय भौगोलिक पत्रिका) में 'पीयरलेस नेपाल' नाम का एक लेख छपवाया और इस वर्ष उस ने 'नागालैंड' नाम का एक और लेख प्रकाशित कराया इस प्रकार यह व्यक्ति और इस प्रकार के अन्य विदेशी विशेषज्ञ हमारे देश में सभी स्थानों में जा कर भेद लेते हैं और अपने राष्ट्र को देते हैं ।

उत्तर प्रदेश में अमरीकी विशेषज्ञों की कार्यवाहियों के बारे में नैशनल हेराल्ड और टाइम्स आफ इण्डिया ने भी संकेत किया है । यह अमरीकी विशेषज्ञ फोर्ड फाउण्डेशन, आदि नाम की संस्थाओं के नाम से गवेषणा के बहाने देहातों में जा कर ग्रामीणों से तरह तरह के सन्देहात्मक प्रश्न पूछते हैं । इसे भी रोकना चाहिये ।

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के विदेशी विशेषज्ञों के सम्बन्ध में कल बहुत कुछ कहा जा चुका है । काश्मीर के सम्बन्ध में भी हम ने सरकार से अमरीकी विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के बारे में सावधान किया । पर सरकार को इस बात के समझने में काफी देर लगी । सरकार ने अनिच्छा से १५ महीनों में अमरीकी कर्मचारियों को धीरे धीरे निकाला ।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

हमारे देश के मुख्य कांग्रेसी प्रवक्ता भी सोवियत रूस और चीन, जो पंचशील के सिद्धान्तों के समर्थक हैं, की ओर गलत समझ से देखते हैं। चुनाव के दिनों में वह इन देशों के सम्बन्ध में व्यर्थ की निन्दा करते हैं। एक सदस्य ने सभा में कहा था कि हमें सोवियत इस्पात परियोजना से सावधान रहना चाहिये क्योंकि इस योजना के द्वारा भारत में साम्यवादी प्रभाव पैदा किया जायेगा।

हमें उन देशों की निन्दा नहीं करनी चाहिये जो पंचशील को मानते हैं और शान्ति स्थापित करने के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में विदेशों से सम्बन्ध रखने में हमें जान लेना चाहिये कि किस देश से हमें मित्रता करनी है। इसी कारण मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री के मन में एक द्विविधा रहती है। मैं जानता हूं कि उन की नीति में कुछ आपसी विरोध है जिस के कारण खतरा पैदा होने का डर है। आखिर हमारी वर्तमान नीति का कोई फल क्यों नहीं दिखलाई पड़ता। हम उन देशों की निन्दा करते हैं जिन के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिये।

हम यह नहीं कहते कि हम अमुक गुट में हैं। हम सोवियत रूस या चीन से सैनिक या राजनैतिक सन्धियां न करें पर सांस्कृतिक वाणिज्यिक तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध तो सभी देशों के साथ रखे जाते हैं। और इसी प्रकार के सम्बन्ध रखना सह-अस्तित्व का सार है। प्रधान मंत्री के भाषण में बहुत सी अच्छी बातें हैं। उस में उन्हों ने कहा था कि साम्यवादी विध्वंसात्मक कार्य कर रहे हैं। विध्वंसात्मक से क्या अभिप्राय है? जब लोगों में परिवर्तन की आकांक्षा होगी तभी सामाजिक व्यवस्था में विध्वंस का आश्रय लेना पड़ेगा। आप विध्वंसक कार्यवाहियों की तब तक ही उपेक्षा कर सकते हैं, जब तक कि जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि आप को इस देश के कार्यों में किसी देश का हस्तक्षेप ज्ञात हो तो निःसन्देह उसे प्रगट कीजिये तथा उस का मूलोच्छेद कीजिये। सदैव हमें लक्ष्य बनाया जाता है तथा कहा जाता है कि हम ही अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के मूर्त रूप हैं। प्रत्येक आन्दोलन, चाहे वह जीवन की वास्तविकताओं से सम्बन्ध रखता है, अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है क्योंकि मनुष्यों की आवश्यकतायें सभी स्थानों में एक जैसी हैं। साम्यवाद निस्सन्देह एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है। विभिन्न देशों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार साम्यवाद अपने को अभिव्यक्त करता है। यह किस प्रकार होता है यह उस देश के निवासियों का कार्य है। यद्यपि प्रधान मंत्री यह जानते हैं, तथापि वह अपने को इस आंग्ल-अमरीकी सम्बन्ध से मुक्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण गोआ के सम्बन्ध में सरकार इतना संकोच कर रही है। इसलिये यदि हम वास्तव में ऐसा नैतिक बल चाहते हैं जो शान्ति को स्थायी रखे तो हमें एशिया को अमरीकी साम्राज्यवाद के चुंगल से मुक्त करना होगा। हमें अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में सारे संसार के सम्मुख यह घोषित कर देना है कि एशिया की जनता, जिन्हों ने सहस्रों वर्षों तक अन्याय एवं अत्याचार सहा है, अब जाग गई है तथा प्रगति एवं शान्ति की ओर दृढ़ता से बढ़ने को कटिबद्ध है।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर-दक्षिण) : श्री हीरेन मुकर्जी का भाषण सुन कर मुझे ऐसा जान पड़ा कि उन का वही पुराना राग है जो अब तक रहा है; हां, उस राग में स्वर का थोड़ा सा अन्तर

ज़रूर हुआ है । पहले वे हमारे प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति की हर प्रकार से निन्दा किया करते थे, अब जब उन्हों ने देखा कि जहां से उन का दल प्रेरित होता है, रूस और चीन, वहां भी हमारी वैदेशिक नीति की प्रशंसा होने लगी है, तब उन के स्वर में थोड़ा सा अन्तर आया है । अब वे यह कहते हैं, और बड़े आश्चर्य की बात उन्हों ने आज कही, कि हमारे प्रधान मंत्री तो अपनी वैदेशिक नीति के अनुसरण के सम्बन्ध में ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री को अपने साथियों का कुछ अधिक ख्याल है । प्रधान मंत्री से हट कर अब श्री हीरेन मुकर्जी उन के साथियों पर आये हैं । उन की आज की बात सुन कर मुझे सन् १९२० और १९३० के असहयोग और सत्याग्रह आन्दोलनों की याद आ गई । उस समय अंग्रेज़ सरकार इसी प्रकार की बात कहा करती थी कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, गांधी जी की नीति बिलकुल ठीक है, अपनी नीति का वे ठीक प्रकार से अनुसरण करते हैं लेकिन उन के आस पास के जो लोग हैं, उन के जो साथी हैं, वे गड़बड़ किया करते हैं । उन साथियों में हमारे देश का जिन्हों ने निर्माण किया वे सब थे । हमारे आज के प्रधान मंत्री, हमारे आज के राष्ट्रपति, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु दास, इस प्रकार के सब लोगों की ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस प्रकार निन्दा किया करती थी और कहा करती थी कि गांधी जी तो ठीक आदमी हैं, उन के साथी बुरे हैं, वही स्वर श्री हीरेन मुकर्जी का होता जा रहा है । किन्तु यह मैं स्वीकार करूंगा कि अब धीरे धीरे शायद उन में कुछ समझ आ रही है और जब कुछ समझ आती है तब थोड़ी उन्नति भी होने लगती है ।

डा० एस० एन० सिंह : वह समझ अभी नहीं आई ।

सेठ गोविन्द दास : उन्होंने यहां पर हमारी वैदेशिक नीति की असफलता के कुछ दृष्टान्त दिये । उन्हों ने गोआ के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा । मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि जो आज वे गोआ के सम्बन्ध में कह रहे हैं, वही बात वे फ्रांसीसी बस्तियों के विषय में कहा करते थे । जिस समय फ्रांसीसी बस्तियों का प्रश्न हल नहीं हुआ था उस समय फ्रांसीसी बस्तियों के सम्बन्ध में हमारी जो नीति थी, वह भी उन्हें पसन्द नहीं थी, परन्तु उन्हें देखना चाहिये कि आखिर फ्रांसीसी बस्तियों के प्रश्न का हल हमारी नीति के अनुसार ही हुआ । मैं उन से कहना चाहता हूं कि गोआ के प्रश्न का हल भी, जिस ढंग से वे सोचते हैं और जो बात वे हमें करने को कहते हैं, उस से होने वाला नहीं है । उस का हल भी हमारी नीति के अनुसार ही होगा ।

मैं सदा एक बात कहा करता हूं । कुछ चीजें ऐसी हैं जिन में हमें दलगत राजनीति को छोड़ कर कुछ ऊपर उठने की आवश्यकता है । कुछ बातें ऐसी हैं जिन को हम ऊपर उठ कर और सब मिल कर सकते हैं । हमारी वैदेशिक नीति भी एक ऐसा ही प्रश्न है । हमारी वैदेशिक नीति का सब दल इस देश में अनुसरण कर सकते हैं, बशर्ते कि वे दल शान्ति चाहते हों, समर न चाहते हों ।

जहां तक हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धान्तों का सवाल है, आप जानते हैं, सभापति महोदय, कि मैं ने सदा उस का समर्थन किया है । इस समर्थन करने का कारण यह है कि हमारी वैदेशिक नीति हमारी भारतीय संस्कृति के सिद्धान्तों के अनसार है । हम ने सदा "वसुधैव कुटम्बकम्" के सिद्धान्त का अनुसरण किया है । हम ने कभी एक को शत्रु

[सेठ गोविन्द दास]

और दूसरे को मित्र नहीं समझा । हम आज भी उसी नीति का अनुसरण करते हैं । गांधी जी ने उस नीति को हमारे सामने एक नये ढंग से रक्खा और इस समय की परिस्थिति के अनुसार जिस ढंग से गांधी जी ने उस नीति को हमारे सामने रक्खा, उसी ढंग से हमारे प्रधान मंत्री उस का अनुसरण कर रहे हैं । एक अन्तर अवश्य हो गया है । पहले जब हम परतंत्र थे उस समय भी हम अपने सिद्धान्तों को रखते थे और स्वतंत्र होने के बाद भी हम अपने सिद्धान्तों को रखते रहे । परन्तु जिस आवाज में हम उस समय अपने सिद्धान्तों को रखते थे जब हम पराधीन थे, या कुछ समय पूर्व हम उन सिद्धान्तों को जिन आवाज में रखते थे, उस की अपेक्षा अब हमारी आवाज कहीं अधिक बलशाली हो गई है । आज हम कहने लगे हैं, हम ने अभी थोड़े दिन पहले ही स्पष्ट शब्दों में यह कहा है, कि एक तो हम किसी भी युद्ध के विरुद्ध हैं और यदि कोई युद्ध हुआ तो भारत उस में शामिल होने वाला नहीं है । पहले हम ने इतने स्पष्ट शब्दों में इस बात को नहीं कहा था । दूसरी बात हम यह कहने लगे हैं कि इन अणु बमों और इन उद्जन बमों का विनाश होना आवश्यक है । उन का रहना ही हमारे संसार की शान्ति के लिये बाधक है । हम ने इस बात को भी पहले ऐसी आवाज में नहीं कहा था । हमारे जो पंचशील सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों के सम्बन्ध में आज हमारे प्रधान मंत्री ने बिल्कुल ठीक बात कही कि यदि कोई शान्ति चाहता है तो उसे इन सिद्धान्तों को स्वीकार करना ही होगा । इन सिद्धान्तों को मंजूर किये बिना हम इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि हम यथार्थ में शान्ति चाहते हैं ।

फिर हम एक बात और देखें । आज हम देखते हैं कि हमारे स्वर में संसार के लोग भी स्वर मिला रहे हैं । पहले जो बात हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं, दुनियां के दूसरे लोग भी उस का समर्थन करते हैं । हम ने अभी देखा कि जब चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ-एन-लाई भारत में आये तो उन्हों ने जो कुछ हमारे प्रधान मंत्री ने कहा उस का समर्थन किया । यूगोस्लाविया से जब मार्शल टीटो भारत आये तो उन्हों ने जो कुछ हमारे प्रधान मंत्री ने कहा उस का समर्थन किया, सर ऐंथनी ईडन ने इतने स्पष्ट शब्दों में तो उस का समर्थन नहीं किया पर यदि आप उन के वक्तव्यों को भी देखें तो दबे शब्दों में उन्हों ने भी उस का समर्थन किया है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : तब वह सीटो में नहीं होते ।

सेठ गोविन्द दास : फिर एशिया और अफ्रीका की हाल ही में परिषद् होने वाली है । मैं सदा कहता रहा हूं कि संसार का भविष्य अब एशिया और अफ्रीका पर निर्भर है । मेरा विश्वास है कि इन पंचशील सिद्धान्तों का एशिया और अफ्रीका की यह परिषद् भी समर्थन करने वाली है । अमरीका ने अब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यदि अमरीका भी शान्ति चाहता है, अमरीका भी यह चाहता है कि युद्ध न हो, तो उस को भी आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इन सिद्धातों को स्वीकार करना होगा ।

दुनिया की ओर हमारी स्थिति क्या है, इस विषय में भी अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है । पूर्व में फारमोसा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, वह प्रश्न हमारे लिये चिन्ता उत्पन्न कर रहा है । पश्चिम में जर्मनी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी हमारे

लिये चिन्ता उत्पन्न कर रहा है। परन्तु इन प्रश्नों के बावजूद भी आज मैं इस बात को मानता हूं, और दुनिया भी इस बात को मानती है कि निकट भविष्य में कोई बड़े भारी युद्ध की सम्भावना नहीं है।

हमारे छोटे छोटे मसले अवश्य रह गये हैं, पाकिस्तान के और हमारे सम्बन्ध अभी तक वैसे मैत्रीपूर्ण नहीं हो सके जैसे कि होने चाहियें। काश्मीर का प्रश्न भी मौजूद है। गोआ का सवाल भी हमारे सामने है। किन्तु मेरा विश्वास है कि यदि सिद्धान्तों के अनुसार हमारी नीति ठीक है तो जिस प्रकार फ्रांसीसी बस्तियों का निपटारा हुआ या दूसरी चीजों का निपटारा हुआ, उसी प्रकार इन चीजों का भी निपटारा होने वाला है।

आज के संसार के वायुमंडल को आप देखें, हमारे देश के वायुमंडल को आप देखें, और आप देखें कि संसार के अन्य देशों के वायुमंडल और हमारे देश के वायुमंडल में कितना अन्तर है। आज तमाम दुनियां दो दलों में विभक्त है। आप कहीं जायें, मैं ने अनेक बार बाहर जा कर देखा, सारे देश आज युद्ध के भय से त्रस्त हैं, युद्ध के आतंक से कांप रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का वायु-मंडल आप को हमारे देश में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता कि तमाम दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है, जो देश दोनों दलों में विभक्त हैं, वे भी कभी खुले शब्दों में और कभी कुछ दबे शब्दों में इस बात को मंजूर करते हैं कि यथार्थ में भारतवर्ष शान्ति चाहता है। दुनिया आज हमारी ओर देख रही है। संसार के दो ही भविष्य हो सकते हैं, या तो इस संसार का नाश होने वाला है या उन्नति। जिस समय बारूद बारूद विस्फोटक पदार्थ के रूप में ईजाद हुई थी उस समय कोई यह नहीं जानता था, किसी को यह कल्पना नहीं थी, किसी ने स्वप्न में सोचा तक नहीं था कि यह विस्फोटक पदार्थ आगे चल कर अणु बम और उद्जन बम के रूप में आ जायेगा। यदि हिंसा की यही अवस्था रही तो आगे चल कर ऐसा बम भी बन सकता है जिस से इस भूमंडल और हमारे इस प्लेनेट के ही टुकड़े टुकड़े हो जायें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा, और बिल्कुल ठीक कहा कि इस प्रकार की हिंसा का मुकाबला हिंसा नहीं कर सकती, इस प्रकार की हिंसा का, मुकाबला तो अहिंसा ही कर सकती है। तो हम जिस सिद्धान्त को मानते हैं, उस सिद्धान्त पर चल रहे हैं, और दुनिया आज उस सिद्धान्त को मानने लगी है। मैं कुछ ऐसे सुझावों को भी पेश करना चाहता हूं जिन को कार्य रूप में परिणत करने से शायद हमारी नीति और अधिक सफल हो सकेगी।

हमारे लिये यह जरूरी है कि हम एक दूसरे को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयत्न करें तथा एक दूसरे को सहानुभूतिपूर्वक समझने के बाद कुछ बातों को कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करें। इस विषय में मेरे कुछ सुझाव हैं। शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों और शिक्षकों का आदान-प्रदान होना चाहिए। सांस्कृतिक क्षेत्र में विद्वानों और कलाकारों का आदान-प्रदान होना चाहिए। वैज्ञानिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, चिकित्सा और विज्ञान सम्बन्धी सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों का आदान-प्रदान होना चाहिए। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में परस्पर लाभ क लिए आयात-निर्यात आदि की वृद्धि का भी प्रयत्न होना चाहिए। इसी प्रकार के और भी कई उपाय निकाले जा सकते हैं जिन से कि हमारी वैदेशिक नीति व्यवहार में आ सकती है और हम इस दिशा में सफल हो सकते हैं।

अन्त में मैं आप से एक ही बात और कहूंगा वह यह कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी भाषा का प्रयोग हो। मैंने यू० एन० ओ० में देखा कि चार भाषाओं का उपयोग होता

[सेठ गोविन्द दास]

है : अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश और रशियन यदि इन चार भाषाओं का वहां पर प्रयोग होता है तो हम इस बात की कोशिश करें कि हिन्दी भाषा, जो कि इस ३६ करोड़ वाले देश की भाषा है, जिसको कि हमने राजभाषा स्वीकार कर लिया है, का भी प्रयोग यू० एन० ओ० में हो हिंदी भाषा को भी वह स्थान मिले जो कि संसार की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं को प्राप्त है।

मैं ने सदा अपनी वैदेशिक नीति का समर्थन किया है; आज फिर मैं उस का समर्थन करता हूं, और अपने मित्र हीरेन मुकर्जी से कहता हूं कि अभी उनमें जरा और अधिक समझ आने की आवश्यकता है तथा उस समझ के अनुसार उन्हें अपनी एवं अपने दल की उन्नति करने की जरुरत है।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : सदैव की भांति मुझे आज भी आशा थी कि प्रो० मुकर्जी का भाषण उत्तेजनापूर्ण होगा। किन्तु आज का भाषण मेरी आशा से भी अधिक उत्तेजनापूर्ण रहा। उन्हों ने कहा है कि कुछ कांग्रेसियों ने हाल के चुनावों में कुछ अन्य देशों को गालियां दी हैं। वास्तव में, तथ्य यह है कि वह साम्यवादी दल के मंत्री द्वारा कल के प्रेस सम्मेलन में की गई गलतियों का प्रतिहार करना चाहते हैं। कल श्री अजय घोष ने बड़े प्रयत्नपूर्वक यह सिद्ध करना चाहा था कि साम्यवादी दल का भारतेतर किसी देश से सम्बन्ध नहीं है। आज श्री मुकर्जी ने ठीक उस के विपरीत बातें कही हैं। और वे इस सभा एवं समस्त मतदाताओं को यह बताने को उत्सुक दिखाई देते हैं कि भारत का साम्यवादी दल उस संगठन का अंग है, जिसकी जड़ें भारत के बाहर हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दल से यही अभिप्राय होता है कि वह विशुद्ध राष्ट्रीय दल नहीं है; तथा यह एक बाह्य देश से सम्बद्ध है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसे श्री मुकर्जी निराधार सिद्ध करना चाहते थे यह थी कि कल साम्यवादी दल के मंत्री ने यह कहा कि चुनाव आन्दोलन में दल से एक बड़ी भूल यह हो गई थी कि उस ने मतदाताओं को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के शान्ति प्रयत्नों को बताने का प्रयत्न नहीं किया। मुझे आशा थी कि श्री मुकर्जी नेहरू की वैदेशिक नीति का समर्थन करेंगे किन्तु उन्हों ने वही परम्परागत विचारधारा अपनाई।

वह रूस को शान्ति गुट का मानते हैं तथा केवल अमरीका को युद्ध समर्थक गुट मानते हैं। उनका अभीप्राय यह है कि भारत का विश्व शान्ति का समर्थन करने का अभिप्राय यह है कि वह रूसी गुट में है किन्तु यहीं पर हमारा तथा साम्यवादी दल के दृष्टिकोण का अन्तर है, क्योंकि साम्यवादी दल की नीति रूस एवं चीन की नीति का अन्धाधुन्ध समर्थन करना है, जब कि भारत, रूस तथा चीन की नीति का वहीं तक समर्थन करता है जहां तक उन का, उस की विश्व शान्ति सम्बन्धी नीति से सामंजस्य हो।

श्री मुकर्जी ने कहा है कि हमने चुनावों के दौरान, दूसरे देशों के प्रति विद्वेष का प्रचार किया तथा उनके प्रति अपशब्द कहे इस के विपरीत मैं कहता हूं कि साम्यवादी दल ने हमारे देश तथा नेताओं के प्रति विद्वेष भावना का प्रचार किया तथा प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस संगठन के सम्बन्ध में जो बातें उन्हों ने कहीं, मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता; किन्तु मतदाताओं ने अपना निश्चय दिया।

श्री मुकर्जी ने बड़े आवेश में आ कर कहा है कि आप फारमोसा के लिए क्या कर रहे हैं ? मैं उन से पूछता हूं कि आप रूस और चीन में जा कर यही प्रश्न क्यों

नहीं पूछते कि आप गोआ के लिये क्या कर रहे हैं ? आप को फारमोसा के सम्बन्ध में गोआ से अधिक चिन्ता क्यों है ? फारमोसा का ज़िक्र आने पर वे सदैव उत्तेजित हो जाते हैं । यदि ऐसा ही है तो वे अपने अन्न-दाताओं से गोआ की रक्षा करने के लिये क्यों नहीं कहते

पंचशील का प्रश्न ऐसा है जहां पर हम दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं । मुझे आशा है कि बांडुंग के सम्मेलन में इसे समर्थन प्राप्त होगा इस के साथ साथ उपनिवेशवाद तथा अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने के लिये यह सम्मेलन सक्रिय सहयोग से तत्काल कार्यवाही करेगा । मुझे आशा है कि इस सम्मेलन द्वारा विश्व इतिहास में एक नये अध्याय का सूत्रपात होगा तथा अन्ततोगत्वा श्री मुकर्जी उस के प्रस्तावों का समर्थन करेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : प्रधान मंत्री ने वैदेशिक कार्य की समस्याओं को वास्तविकता की दृष्टि से देखने का आग्रह किया है तथा अपने भाषण में देश के बाहर एवं भीतर की समस्याओं का एक व्यापक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है । किन्तु मुझे उस से सन्तोष नहीं हुआ है ।

यह हर्ष का विषय है कि बांडुंग में एशिया एवं अफ्रीका के स्वतंत्र देशों का एक सम्मेलन होने जा रहा है । मुझे आशा है कि वहां उपनिवेशवाद के अवशेषों को विश्व से समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे । मैं चाहता हूं कि वे लोग नई भावना से तथा नया विश्व निर्माण करने के उद्देश्य से मिलें । इस की सफलता प्रतिनिधियों के नैतिक आदर्शों, विश्वास तथा दृढ़ आस्था पर ही निर्भर है । क्योंकि मेरे मतानुसार इस समय संसार में केवल अमरीकी अथवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही नहीं है प्रत्युत रूसी साम्राज्यवाद भी है । किन्तु स्थायी शान्ति के लिये हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है न कि थोथे करारों एवं संधियों की । भूखे पेट को भोजन, निठल्ले हाथ का काम और शून्य हृदयों को नई विचारधारा की आवश्यकता है । भारत ने सदैव चेतन शक्ति-अध्यात्म का पक्ष लिया है और भौतिक शक्तियों के आक्रमण से उस की रक्षा की है । इसी शक्ति से संसार का विध्वंस चाहने वाली शक्तियों में गतिरोध पैदा होगा ।

कुछ समय पूर्व, सर एन्थोनी ईडन भारत पधारे थे । संसद् में भाषण देते हुए उन्हों ने विश्व शान्ति के सम्बन्ध में अपनी सद्भावनायें तो अभिव्यक्त की थीं, परन्तु इस उद्देश्य के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिया । फारमोसा समस्या के सम्बन्ध में उन्हों ने केवल यही कहा था कि फारमोसा के सम्बन्ध में दोनों विरोधी विचारधाराओं का समन्वय करना कोई असम्भव कार्य नहीं है । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं, कि उस के उपरान्त इस समस्या को हल करने के लिये सर एन्थोनी ईडन ने कौन सी कार्यवाही की है ? आज तुर्की-इराकी सन्धि को प्रभावहीन बनाने के उद्देश्य से सीरिया और मिश्र एक संघटन बना रहे हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के सैनिक समझौतों के प्रभाव को शून्य करने के उद्देश्य से हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

दुःख की बात यह है कि हम अभी तक अपने देश के निकट की समस्याओं को हल नहीं कर सके हैं । हमारे प्रधान मंत्री इस बात पर शोक प्रकट कर रहे हैं कि दक्षिणी अफ़्रीका से एक लाख व्यक्तियों को इस आधार पर निकाला जा रहा है कि वे अश्वेत व्यक्ति हैं । परन्तु हमारे प्रधान मंत्री इस ओर क्यों नहीं ध्यान देते कि पूर्वी पाकिस्तान में इधर कुछ महीनों में एक लाख पचपन हज़ार से

[श्री एन० सी० चटर्जी]

भी अधिक व्यक्तियों को केवल इस आधार पर निकाल दिया गया है कि वे अल्प संख्यक वर्ग के हैं। इस प्रकार से हमारे प्रधान मंत्री संसार भर के अन्य व्यक्तियों के तो दुःखद समाचार सुन कर मकर के आंसू बहाते हैं, परन्तु अपने व्यक्तियों की उन्हें कोई चिन्ता नहीं। मुझे स्मरण है कि जिन दिनों पाकिस्तान का जन्म हुआ था, हमारे प्रधान मंत्री ने डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को लिखा था कि हम पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं के सुख और दुःख दोनों के सच्चे भागी होंगे। परन्तु मैं पूछता हूं इस आपत्ति काल में आप उन की कौन सी सहायता कर रहे हैं ? तीन लाख साठ हज़ार व्यक्तियों ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने के लिये आवेदन-पत्र दे रखे हैं। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री उलटा संसद् के विरोधी दल के सदस्यों को ही डांटते रहते हैं। पुलिस कार्यवाही के विषय में हम ने कोई सुझाव नहीं दिया था। हां, लाला अन्चित राम ने ये शब्द कहे थे कि यदि इस समस्या को हल करने से सम्बन्ध रखने वाले हमारे सभी उचित और मानवीय प्रयत्न असफल हो जाते हैं, तो ऐसे अवसर पर हमारे प्रधान मंत्री को आगे बढ़ कर पाकिस्तान से ऐसी मांग करनी चाहिये कि इन विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये पूर्वी पाकिस्तान में एक उपयुक्त क्षेत्र प्रदान किया जाय। तो इस में कौन सी बुराई है ? पूर्वी पाकिस्तान की स्थापना करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया था कि वहां पर मुस्लिम जनता के अतिरिक्त १२० लाख हिन्दू जनता भी सुख और शान्ति से रह सके और नागरिकता के पूरे अधिकार प्राप्त करे। अब जब उन्हें वहां से निकाल दिया गया है तो उन के लिये भूमि खण्ड की मांग करने में क्या बुराई है ? हमारे प्रधान मंत्री ने क्रोध में आ कर हमारे लिये जो कठोर और अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उन का घोर विरोध करता हूं। यह मांग एक कांग्रेसी सदस्य के द्वारा रखी गई थी और वास्तव में यह एक उचित मांग है। आज न्याय की भी यही मांग है कि इन असहाय विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि खण्ड प्राप्त किया जाय। यदि आज लौह पुरुष सरदार पटेल जीवित होते, तो वे ज़ोरदार शब्दों में इस की मांग करते। अतः मैं अपने प्रधान मंत्री से यही कहूंगा कि जब उन की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से भेंट हो तो वह उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दें कि ताली दोनों हाथों से बजा करती है। यदि हम पश्चिमी बंगाल के मुसलमानों की पूर्ण रूप से रक्षा कर रहे हैं तो आप पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की रक्षा क्यों नहीं करते। मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे यथार्थवादी दृष्टिकोण से इस स्थिति पर विचार करने का प्रयत्न करें। आज पूर्वी पाकिस्तान से प्रति मास २४,००० व्यक्तियों को खदेड़ा जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्री, वहां के मुख्य मंत्री और देश के नये पुनर्वास मंत्री—सभी आज एक स्वर से यह कह रहे हैं कि इस स्थिति को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। अतः आप पाकिस्तान सरकार से स्पष्ट शब्दों में यह क्यों नहीं कहते कि मैं तब तक काश्मीर के सम्बन्ध में बातचीत करने को तैयार नहीं हूं जब तक कि पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का निकाला जाना बन्द न हो। यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है, यह एक मानवीय समस्या है। वे पाकिस्तानी जान बूझ कर नेहरू-लियाकत सन्धि को तोड़ रहे हैं। अतः यदि आप इस अन्याय का विरोध नहीं करेंगे तो यह आप की कायरता होगी। आप फारमोसा जैसे दूर-स्थित देशों की समस्याओं को हल करते फिरते हैं, परन्तु अपने यहां की

गोआ, काश्मीर और श्रीलंका की समस्याओं को हल करने के बारे में आप मौन हैं। हमारी सरकार वीरता से काम नहीं ले रही है। यह तो वास्तव में एक लज्जास्पद बात है।

अतः मैं यह कहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र खुलना के ज़िले की मांग की जाय, जिस में हिन्दू बहुसंख्या में रहते थे और यह भारत की सीमा के साथ ही है। और फिर, वास्तव में, यहां पर हिन्दुओं की संख्या अधिक थी, परन्तु गत जनगणना में, जोकि मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल के अधीन हुई थी, कई कूटनीतियों के द्वारा इस जनगणना का परिणाम प्रकट यों किया था—हिन्दुओं की संख्या ४९.५ प्रतिशत, और मुस्लिम संख्या ५०.५ प्रतिशत। न्याय की दृष्टि से यह एक हिन्दू क्षेत्र है और अब इस क्षेत्र की मांग करना अनुचित न होगा।

काश्मीर के सम्बन्ध में बख्शी गुलाम मुहम्मद ने अपनी नीति को स्पष्टतया घोषित कर दिया है, और काश्मीर की संविधान-सभा ने भी सर्व सम्मति से यह पारित कर दिया है कि काश्मीर राज्य पूर्ण रूपेण भारत में ही प्रवेश करेगा और फिर उन्हों ने यह भी कहा है कि यह निर्णय अपरिवर्तनीय है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री उन के इस निर्णय के अनुसार काश्मीर का भारत में प्रवेश अन्तिम रूप से क्यों नहीं मान लेते हैं? गत वर्ष जब मैं काश्मीर गया था तो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने आ कर मुझे यही सम्मति दी थी कि काश्मीर के सम्बन्ध में मत-गणना के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि वहां पर भारत-विरोधी कई ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जोकि काश्मीर को भारत के हाथ से छीन कर रूस अथवा अमरीका को समर्पित करना चाहती हैं। अतः काश्मीर के प्रधान मंत्री और वहां की संविधान-सभा के निर्णय को ही अन्तिम निर्णय मान लेना चाहिये। वहां की जनता पहले ही कई संकटों में से गुज़र चुकी है, अब उन्हें फिर से मत-गणना के संकट में डाल कर उन के भाग्य का क्रय-विक्रय नहीं करना चाहिये। अतः काश्मीर की समस्या पर अब पाकिस्तान से और अधिक बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्वी पाकिस्तान में जब फ़ज़लुलहक़ का शासन स्थापित हुआ था तो उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में सम्बन्ध ठीक होने लगे थे। हम उन के शत्रु तो नहीं हैं। वहां के निवासी भी हमारे ही भाई हैं।

अतः हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय अपनाया जाय जिस से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में रहने वाली जनता का आर्थिक विकास हो, जिस से शोषण और अत्याचार दूर किये जा सकें।

डा० एस० एन० सिंह : सर्वप्रथम, मैं रूस के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे देश और यहां की जनता का सम्बन्ध है, यदि रूस के कोई सच्चे मित्र हैं, तो वे संसद् के इस पक्ष के सदस्य हैं। संसद् के साम्यवादी सदस्य तो रूस के सब से बड़े शत्रु हैं। निकट भविष्य में हमारे प्रधान मंत्री रूस जा रहे हैं। संसद् का एक शिष्ट मंडल भी रूस जा रहा है। रूस से हमारी पूरी मित्रता है।

हमारी वैदेशिक-नीति की सर्वाधिक सराहना मास्को ने की थी, परन्तु आश्चर्य है कि भारत के किसी भी पत्र अथवा इस सभा के किसी भी सदस्य ने उस का उल्लेख तक नहीं किया है।

८ फरवरी को साथी मोलोटोव ने रूस की संसद्-सभा में रूसी भाषा में भाषण देते हुए यह कहा था कि संसार की सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना यह है कि स्वतंत्र

[डा० एस० एन० सिंह]

भारत आज दिन-प्रति-दिन प्रगति करता जा रहा है और विश्वशान्ति और विश्व-मैत्री के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है। लगभग दो मास के भीतर ही बांडुंग में लगभग ३० अफ्रीकी और एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाला है जोकि स्पष्ट-तया प्रकट करता है कि अब एशिया की कितनी जागृति हो रही है। भारत, बर्मा और चीन ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के जो पांच सिद्धान्त बनाये हैं, रूस उस की सराहना करता है। रूस तो प्रारम्भ से ही इन सिद्धान्तों का अनुसरण करता आ रहा है। अतः हम सभी देशों को यही सम्मति देंगे कि वे इन्हीं पांच सिद्धान्तों को अपना कर सारे संसार में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करें।

९ फरवरी, १९५५ को रूसी संसद् ने अपनी घोषणा की प्रतियां हमारी संसद् को भेजी थीं, जिन में उन्हों ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि रूसी सरकार ऐसे अन्त-र्राष्ट्रीय सिद्धान्तों को अत्यधिक महत्व देती है जोकि संसार में शान्ति और सह-अस्तित्व का प्रचार करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि संसार के सभी देशों के मध्य इन्हीं सिद्धान्तों पर ही सम्बन्ध आधारित हों। रूस, चीन, भारत और अनेकों अन्य देश इन शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं।

रूस और भारत में पृथक् पृथक् प्रणालियों के होने के उपरान्त भी दोनों देश सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मान सकते हैं।

इसी प्रकार से रूसी संसद् इस बात का भी उल्लेख करती है कि विश्व शान्ति स्थापित करने का सारा उत्तरदायित्व संसार के सभी देशों की संसदों पर है रूसी संसद का ऐसा विचार है कि सभी देशों की संसदों में प्रत्यक्षतया सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये ताकि विभिन्न देशों की जनता में मैत्री-भाव उत्पन्न किया जा सके। रूसी संसद् अन्य देशों की संसदों द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करेगी।

हमारे प्रधान मंत्री रूस जा रहे हैं और मई के प्रथम सप्ताह में ही हमारी संसद् का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां जा रहा है। इसीलिये आज मैं भारत-रूसी सम्बन्धों पर ही अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। यह बड़े हर्ष की बात है कि रूस ने भी पंच-शील के सिद्धान्तों को मान लिया है।

कुछ ही दिनों में हमारे लोग रूस जा रहे हैं परन्तु जब तक वे पुष्किन नाम के महान रूसी लेखक की विचारधारा से परि-चित नहीं होते, तब तक वे वहां की सामाजिक विचारधाराओं को नहीं समझ सकेंगे, जैसे भारत में आने वाला कोई भी व्यक्ति तब तक भारत को समझ नहीं सकता जब तक कि वह गांधी जी और रवीन्द्र नाथ ठाकुर की विचार धाराओं को न समझ ले।

पुष्किन ने एक स्थान पर कहा है कि हम जितने ही कम परमाणु बम के पास जायेंगे उतने ही अधिक हम प्रकृति के निकट आयेंगे। इसलिये क्यों न हम इन भयंकर अस्त्रों को समाप्त कर के आनन्द और शान्ति के गीत गायें ?

वहां पर जा कर उन्हें एक और बात का ज्ञान होगा कि रूसी संगीत भैरवी आदि भारतीय राग-रागनियों के समान ही है।

यद्यपि मैं वादविवाद के विषय से ज़रा दूर चला गया हूं, तथापि मैं इन सभी बातों द्वारा वास्तव में इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि हमारी वैदेशिक-नीति ऐसी होनी चाहिये कि जिस से हमारा अन्य देशों से मैत्री का सम्बन्ध स्थापित हो सके।

संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की वैदेशिक-नीतियां अपनाई गई हैं,

उदाहरणार्थ साम्राज्यवादी वैदेशिक नीति, औपनिवेशिकतावादी नीति, आक्रमणकारी विदशी नीति, आदि । परन्तु भारत की अपनी एक अलग सी वैदेशिक नीति है । अन्य किसी भी देश में कोई भी उपनिवेश स्थापित करने के विषय में हमारी कोई आकांक्षा नहीं है । जहां तक भारत में पुर्तगाली सरकार द्वारा उपनिवेशों पर अत्याचार करने का सम्बन्ध है, हम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझ रहे हैं और उचित समय आने पर इस बारे में पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

अत: मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि इन शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा संसार की सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है । संसार को हमारे देश की सब से बड़ी देन यही है कि हम ने संसार को शान्ति का सन्देश दिया है । परमाणु बमों और उद्जन बमों पर आधारित कोई भी वैदेशिक-नीति आज संसार का हित नहीं कर सकती । बांडुंग में होने वाले सम्मेलन में निर्धारित की गई नीति के अनुसार ही संसार का भला हो सकेगा ।

इस प्रकार से अन्त में संसार के सभी शान्तिप्रिय देशों के प्रति सद्भावनायें प्रकट करते हुए, मैं इस बात का पूर्ण विश्वास प्रकट करता हूं कि अन्त में, हमारी वैदेशिक नीति की सफलता से ही सारे संसार में शान्ति का प्रकाश दिखाई देगा ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री (डा० सैय्यद महमूद) : जनाब चेयरमैन साहब, दुनिया के बाज़ गोशों में हिन्दुस्तान की तरफ से और हिन्दुस्तान की पालिसी के मुताल्लिक हिन्दुस्तान के प्रायम मिनिस्टर की तरफ से जो पालिसी अख्तियार की गई है उस के मुताल्लिक बहुत सी गलतफहमियां अब भी फैली हुई हैं । बाज़ मौकों पर तो ऐसा कहा गया है कि सुलह और शान्ति के लिये आवाज उठाना कम्यूनिस्ट होना है या कम्युनिज्म की तरफ कदम बढ़ाना है । हिन्दुस्तान ने पहली मरतबा इस सरे-ज़मीन में ग़ालिबन कई हज़ार बरस प्रेम और मुहब्बत का पैगाम दुनिया को सुनाया—कई हज़ार बरस पहले शायद पहली मरतबा ही हिन्दुस्तान ने दुनिया को अमन और शान्ति का पैगाम सुनाया था । हिन्दुस्तान ने यक़ीनन पहली मरतबा अपनी आजादी निहायत नान वाइलंट तरीके से हासिल की । इन ट्रेडीशन्स को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि जो कदम हम ने अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिये उठाये, अगर आज हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के प्रायम मिनिस्टर ने अपने मुल्क के लिये — न सिर्फ अपने लिये, बल्कि दुनिया के लिये—इन्सानियत के लिये—सुलह और शान्ति के लिये आवाज उठाई है तो उस में क्या जुर्म है । अमरीका को खास तौर से शायद एतराज रहा है और हमारी पालिसी के मुताल्लिक गलतफहमी भी रही है लेकिन खुद अमरीका ने क्या किया । अमरीका ने अपनी आजादी हासिल करने के बाद तकरीबन डेढ़ सौ बरस तक दुनिया से कोई ताल्लुक या मेल जोल नहीं रखा । वाशिंगटन से ले कर वुडरो विलसन तक अमरीका अमरीका से बाहर नहीं निकला और उस ने अपने आप को अलग रक्खा । बुडरो विलसन भी बहुत मुशकिलात के बाद १९१४ की जंग में अपनी पुरानी मुनरो पालिसी को छोड़ कर शरीक हुआ । अगर हिन्दुस्तान अब इस पालिसी को जोकि अमरीका बरत चुका है और जिस में उस को कामयाबी मिली है अपने मुल्क के लिये—न सिर्फ अपने मुल्क के लिये बल्कि दुनिया के लिये—और दुनिया में जो बातें हो रही हैं और जो हमें तबाही की तरफ ले जा रही हैं और वह तबाही जोकि १९१४ और १९३९ की जंग से भी ज्यादा होगी, अख्तियार करता है और इस

[डा० सैय्यद महमूद]

के हक में आवाज उठाता है तो इस में अमरीका को कोई एतराज नहीं होना चाहिये और इस को ग़ालिबन दूसरे मुल्कों को समझाना चाहिये कि इस में कोई बुरी चीज नहीं है क्योंकि अमरीका खुद इस पालिसी पर अमल कर चुका है ।

आजकल हर मुल्क यह कह रहा है कि हम ईस्ट और वेस्ट में सुलह कराने के लिये काम कर रहे हैं और हम जो कदम उठाते हैं वह दुनिया में अमन के काज़ को बढ़ावा देने के लिये उठाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो कदम उठाये जाते हैं उन का उलटा असर होता है और हमारे कदम हम को सुलह और शान्ति की तरफ नहीं ले जाते, बल्कि लड़ाई की तरफ ले जाते हैं । इस सिलसिले में जैसाकि आप को मालूम है टर्की-इराकी पैक्ट हुआ । बेशक हर मुल्क को अख्तियार है कि वह किसी भी मुल्क से पैक्ट करे लेकिन यह देखना चाहिये कि इस का नतीजा क्या होता है ; इस का असर क्या होता है ; क्या इस पैक्ट के जरिये इराक अपने को या टर्की को दुश्मन से बचा सकेगा और क्या यह भी देखा गया है कि इस पैक्ट का फ़ौरी असर क्या हुआ ?

इस का फ़ौरी असर यह हुआ कि अरब लीग में—जो एक जमाने से कायम थी, जिस को कई बड़ी बड़ी कौमों ने मदद दी थी—जो एक अरसे से निहायत अच्छा काम कर रही थी—जो एक अरसे से बिखरे हुए अरबों को एक लड़ी में पिरोने का काम निहायत उमदगी के साथ कर रही थी, जो मुख़तलिफ़ अरब क़ौमों के इख्तिलाफ़ात को कम कर रही थी—और उन को एक दूसरे के नजदीक ला रही थी इस में फूट पड़ गई । तो पहला असर इस का इस ऐरिया पर यह हुआ कि वहां के लोग जो अपने इख्तिलाफ़ात को मिटा कर एक दूसरे के क़रीब आना चाहते थे—उस काम में रुकावट पड़ गई, और उन लोगों में फूट पड़ गई । यह तो इस के मानी नहीं होने चाहियें । मुमकिन है, अरब लीग ने कुछ गलतियां की हों लेकिन ज्यादातर इस ने बहुत अच्छा काम किया है । उस ने अरबों को आपस में मिलाने की कोशिश की थी । खुद इराक के प्रायम मिनिस्टर फ़ाज़िल जमाली ने अरब लीग में जा कर एक तहरीक पेश की थी कि तमाम अरब कौमों की एक कुव्वत होनी चाहिये, दूसरे मुल्कों में इन की तरफ से एक अम्बैसेडर जाना चाहिये, उन की एक फौजी पालिसी होनी चाहिये, उन की एक फ़ारेन पालिसी होनी चाहिये । जो इराक इन बातों पर जोर देता था और समझता था कि इस से ज्यादा बेहतर चीज़ अरबों के लिये कुछ और हो ही नहीं सकती—आज वह ऐसे पैक्ट में शरीक हो गया है जिस का फ़ौरी नतीजा यह है कि अरबों में फूट पड़ गई है । मिडिल ईस्ट के जो मुल्क इस पैक्ट में शरीक नहीं हुए हैं उन को तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं—लेकिन सीरिया अब तक अड़ा हुआ है कि वह अरब लीग के असूलों पर अमल करेगा, वह अरबों का सिक्योरिटी पैक्ट बनायेगा । वह अरबों से अलाहिदा होना नहीं चाहता । लेकिन बाज गोशों में ऐसा कहा जा रहा है कि सीरिया का यह एटीट्यूड होस्टाइल एटीट्यूड है । सीरिया को कमज़ोर समझ कर उस पर ज़ोर डाला जा रहा है, वह अपने नैशनल असूलों पर चलना चाहता है । उस को इन असूलों से अलाहिदा करने की कोशिश की जा रही है । एक ज़माने की कोशिशों से जो कुछ अरब लीग ने हासिल किया था उस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है । यों तो हर एक मुल्क को अख्तियार है कि वह चाहे जिस के साथ पैक्ट करे । मगर इस का यह नतीजा निकल रहा है

इतना ही नहीं, आज ही की शायद यह खबर है कि इंगलिस्तान का तुर्की के साथ कुछ मुआहिदा हुआ है । इस के क्या मानी ? तुर्की का इराक से मुआहिदा है और तुर्की का पाकिस्तान से मुआहिदा है और इंगलिस्तान का मुआहिदा तुर्की से है तो यह एक कड़ी बन रही है । क्या इस का असर यह होगा कि इस से दुनिया में सुलह होगी । क्या इस कड़ी का, जो तैयार की जा रही है, यह असर होगा कि इस से दुनिया में सुलह और आश्ती का जज़बा फैलेगा । हम देख रहे हैं कि इस के बिलकुल बरखिलाफ़ असर हो रहा है । अरबों में फूट पैदा हो गई है । यह समझा जा रहा है कि जो इस पैक्ट में शरीक नहीं होगा वह होस्टाइल है । इजिप्ट (मिश्र) को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है । लेकिन मालूम नहीं आइन्दा इन पर भी क्या जोर डाला जायगा । उम्मीद है कि सीरिया इन्सानियत के लिये--सीरिया खुद अरबों की बेहबूदी के लिये--अरब लीग की बेहबूदी के लिये--और खुद अपनी बेहबूदी के लिये--जो राय इस ने कायम की है कि वह अरब लीग के असूलों को नहीं छोड़ेगा--उस पर कायम रहेगा । अगर आज की यह खबर सच है कि इंगलिस्तान भी तुर्की के साथ मुआहिदे में शरीक हो गया है तो इस के बड़े नताइज पैदा होने वाले हैं । इस खबर ने सनसनी पैदा कर दी है—इस खबर का--अगर यह सही है, उन मुल्कों पर जो कि ब्रिटिश कामनवेल्थ में शामिल हैं, अजीब-व -गरीब असर होगा । इंगलिस्तान एक बहुत पुराना और मुदब्बिर मुल्क है । वह चीज़ों को खब समझता है । मुझे उम्मीद है कि वहां के लोगों ने इन मसाइल को अच्छी तरह से सोच लिया होगा कि इस का क्या असर दुनिया पर पड़ेगा, क्या असर हिन्दुस्तान पर पड़ेगा और क्या असर और मुल्कों पर पड़ने वाला है । एक अजीब बात यह है कि यह क़दम जो दुनिया में सुलह और आश्ती के लिये रखे जा रहे हैं उन का उलटा असर पैदा हो रहा है । उन का नतीजा यह हो रहा है कि बजाय इस के कि दुनिया में सुलह और आश्ती की लहर बढ़े--वह दूसरी तरफ बढ़ रही है ।

इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ है, कहा जाता है कि वहां पर जो कदम उठाया गया है वह भी सुलह की तरफ बढ़ने के लिये है । ज़ाहिर है कि जो कुछ वहां पर हुआ है उस का असर चीन पर अच्छा नहीं होगा । दावा यह है कि इस कदम को उठा कर सुलह और आश्ती की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ज़ाहिर है कि उस का वह असर नहीं होगा --और चीन पर नहीं हुआ है । इस तरह की कार्रवाई का उलटा असर पड़ रहा है । हम चैन और अमन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं ।

अभी आप ने इस को प्रायम मिनिस्टर की तकरीर में अच्छी तरह से सुना है कि इन कार्रवाइयों से मिडल ईस्ट में एक अजीब चीज़ पैदा हुई है । वह मुल्क जोकि सुलह और आश्ती की तरफ चल रहे थे--जो इत्तिहाद की तरफ बढ़ रहे थे, उन में फूट पड़ गई है । उस का दुनिया पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है । दुनिया यह नहीं समझेगी कि यह बड़ी बड़ी ताकतें सुलह और आश्ती के लम्बे काम कर रही हैं । क्योंकि इन कदमों का असर उलटा पड़ रहा है । अगर वह ताकतें यह चाहती हैं कि दुनिया में सुलह और आश्ती हो और दुनिया अमन और चैन की तरफ बढ़े, तो यह क़दम गलत है । जो कार्रवाई की जाती है उस का वह असर नहीं होता जो वह चाहते हैं । अगर वह दरअसल यह चाहते है कि दुनिया में सुलह और आश्ती कायम हो तो उन को यह महसूस करना चाहिये कि उनकी कार्रवाई

[डा० सैय्यद महमूद]

का उलटा असर हो रहा है, और उस को ठीक करना चाहिये । लेकिन अगर यह गलती नहीं है और जान बूझ कर ऐसा किया जाता है तो बड़े अफसोस की बात है ।

एशिया और अफ़्रीका की तारीख़ में हम आज पहली मरतबा बांडुंग में इतने मुल्क मिलने जा रहे हैं । आज पहली मरतबा पंचशील की आवाज़ को सुन कर एशिया के मुल्क और अफ़रीका के मजलूम मुल्क बांडुंग में इकट्ठा हो रहे हैं । जैसाकि हमारे प्रायम मिनिस्टर ने कहा—मुमकिन है इस से किसी को गलतफ़हमी हो, लेकिन क्या दुनिया का कोई इन्सान कह सकता है कि इन पांच चीज़ों में से हम को यह नहीं चाहिये या वह नहीं चाहिये । वह तो सेल्फ एवीडैन्ट ट्रुथ हैं । इनको तो हर शख्स को और मुल्क को मानना हर होगा । उन से तो किसी को ऐतिराज हो ही नहीं सकता । तो हिन्दुस्तान के प्रायम मिनिस्टर ने एक ऐसी चीज़ जारी की है कि जिस को सब ने लबैक कहा है । मारशल टीटो यहां आये, उन्हों ने इस को लबैक कहा । कम्बोडिया के राजा यहां आये । उन्हों ने इस को लबैक कहा, और भी बहुत से मुल्क इस को पसन्द करेंगे और मानेंगे । यह तो एक ऐसी चीज है जिस के बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि इस में यह बुराई है । जो कान्फ्रेन्स बांडुंग में होने वाली है वह एशिया और अफ़रीका की तारीख़ में एक ज़री चीज होगी और एशिया और मजलूम अफ़रीका की एक मुत्तहिदा आवाज उठेगी जिस से दुनिया में अमन और चैन फलेगा । एशिया का अभी तक यही रोल रहा है कि वह दुनिया में अमन-चैन फैलावे । जैसाकि मैं ने पहले कहा था—हिन्दुस्तान का यह रोल हज़ारों बरस से रहा है । और आज भी इस का वही शान्ति का रोल है । आज हिन्दुस्तान की सरकरदगी में एशिया आगे बढ़ेगा । लेकिन शायद सरकरदगी का लफ्ज़ हमारे प्रायम मिनिस्टर को पसन्द न आये गोकि दूसरे मुल्क आज यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान हमारा लीडर है तो मैं कहूंगा कि हिन्दुस्तान की हजारों बरस पुरानी इस सुलह और आश्ती की आवाज़ पर एशिया आगे बढ़ेगा । इस असूल को एशिया ने लबैक कहा है और अगर यह असूल इस कान्फ्रेन्स में मंजूर हो जाता है तो यह एशिया और अफ़्रीका दोनों के लिये फ़ख्र की चीज होगी और अगर इस के ज़रिये एशिया वाले अमन क़ायम न कर सके या इस के जरिये दुनिया से इस मुहीब हथियार को हटा सके तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी और जो दुनिया की तबाही होने वाली है उस को बचा सकेंगे वरना वही होगा जैसाकि प्रायम मिनिस्टर ने बतलाया । एक बार आइनस्टाइन ने कहा था कि आइन्दा जो लड़ाई होगी वह बजाये एटम बम या तोप और बन्दूक और हवाई जहाजों के तीर और कमान से होगी ।

इस के मानी यह हैं कि ज़ाहिर है कि दुनिया तबाह होने वाली है और फिर नये सिरे से दुनिया को अपना सबक शुरू करना होगा नये सिरे से दुनिया को आगे बढ़ना होगा और यह ऐसी चीज है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस को कौन ऐसा शख्स है और कौन ऐसा मुल्क है जो यह नहीं समझता होगा—लेकिन बहर हाल जो क़दम हम उठा रहे हैं, उस क़दम का उलटा ही असर हो रहा है । हमारी नीयतें कुछ भी हों, काम जो हो रहा है, उस का बुरा असर पड़ रहा है, उम्मीद है कि यह कान्फ्रेन्स अपने मक़सद में कामयाब होगी और ख़ुदा करे, इस कान्फ्रेंस को अपने काम में कामयाबी मिले । एक मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ आवाज़ जो पंचशील को ले कर उठेगी तो तमाम दुनिया समझेगी

कि एशिया ने आज पहली मरतबा मुत्तफ़िक़ और मुतहिदा आवाज़ दुनिया के लिये उठाई है और अपना वही रोल इन्डिया और एशिया प्ले कर रहा है जोकि हजारों बरस से उस का रोल रहा है ।

श्री अशोक मेहता (भण्डारा) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कामों के बारे में कुछ आलोचना करूंगा और कुछ सुझाव दूंगा, जिन्हें उचित दृष्टिकोण से अपनाया जाना चाहिये ।

मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में पिछले वर्ष कई आक्रमण हुए और उन लोगों को बन्धुत्व के बन्धन में बांधने में असमर्थ रहे हैं । पिछले कुछ महीनों के अन्दर आसाम के समाचारपत्रों में वहां के प्रशासन और प्रशासकीय अधिकारियों की बड़ी आलोचना हुई है और उन पर अनेक आरोप लगाये गये हैं । खेद की बात है कि इस प्रतिवेदन से भी यह प्रतीत नहीं होता कि वहां के प्रशासन को सुधारने और वहां योग्य व्यक्ति भेजने के लिये कोई प्रयास किया गया है । कितनी लज्जा की बात है कि हमें वहां जाने भी नहीं दिया जाता और वहां तलवार की नोक पर विधि और व्यवस्था कायम की जाती है । मैं प्रधान मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि यदि वहां की अवस्था अच्छी नहीं है तो वहां पर एक संसदीय शिष्टमण्डल भेजने का विचार किया जाय । हम उन लोगों को अपने समीप लाने में उन्हें पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं ।

प्रधान मंत्री ने बताया है कि गोआ में पुर्तगाली अपनी सशस्त्र सेनायें जमा कर रहे हैं और सत्याग्रहियों को वहां से निकाला जा रहा है । मेरा वहां के स्वतंत्रता आन्दोलन से कुछ सम्बन्ध रहा है और मुझे मालूम है कि जो युवक मेरे पास आया करते थे, उन्हें देश से निकाले हुए सात या आठ वर्ष हो गये हैं और अभी तक उन का कोई पता नहीं चला है कि वे कहां हैं ? सत्याग्रहियों को, जिन में कुछ भारतीय नागरिक भी सम्मिलित हैं, देश से निकाल दिया गया है । निश्चय ही, इन बातों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री केवल कूटनैतिक दबाव का रुख़ नहीं अपना सकते ।

मुझे प्रधान मंत्री के ये शब्द सुन कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि हमें काश्मीर की जनता और काश्मीर की आत्मा की परवाह करनी चाहिये । परन्तु मुझे दुख से कहना पड़ता है कि काश्मीर की जनता का गला घोंटा जा रहा है । जब तक वहां की प्रशासन प्रणाली में सुधार नहीं होता, वहां की जनता हम से नहीं मिल सकती । वहां की विधान सभा का सदस्य श्री अब्दुल-गनी, आचार्य जी और मुझ से परामर्श करने के लिये दिल्ली आना चाहते थे, तो उन्हें दिल्ली आने की अनुमति तो दे दी गई, किन्तु वापिस जाने की अनुज्ञा नहीं दी गई । श्री करीम शाह की हत्या कर दी गई । मुझे वहां मारा गया और विरोधी-पक्ष के कई सदस्यों को बुरी तरह पीटा गया । वास्तव में काश्मीर की आत्मा बख़्शी गुलाम मुहम्मद नहीं, बल्कि वहां की जनता है, जो अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करती ।

मैं उदारतापूर्वक उन को धन देने का विरोध नहीं करता, किन्तु देखना यह है कि अपेक्षाकृत फल क्या उस धन का होता है या नहीं । मुझे इस में सन्देह है । मैं इस बात का विरोधी हूं कि किसी व्यक्ति को नज़रबन्द रखा जाये । हमें वही बातें नहीं दुहरानी चाहियें, जिन के कारण शेख़ अब्दुल्ला के शासन काल में अव्यवस्था फैली थी ।

प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये संयुक्त शान्ति की

[श्री अशोक मेहता]

स्थापना के सम्बन्ध में हमें बताया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी एशिया के लिये भी कोई स्थापना की गई है । हमारा समीपतम देश मिश्र भी हमारी नीति को समझने में असमर्थ है । वहां के प्रधान मंत्री ने केवल तीन क्षेत्रों का वर्णन किया है, एक अरब मण्डल, दूसरा अफरीका, तीसरा मुसलिम जगत । हमारा यह दृष्टिकोण नहीं है । मिश्र भिन्न भिन्न प्रकार की संधियां कर रहा है, और इस का कारण यह है कि भारत की नीति के प्रति उन के मन में भ्रांति है । 'संयुक्त राज्य समाचार तथा विश्व प्रतिवेदन' के सम्पादकों ने श्री नासिर से पूछा था कि "साम्यवादी लोगों का यह विश्वास है कि यदि वे पहले भारत पर आक्रमण न करें, तो वे दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे भागों में जो चाहें कर सकते हैं, और भारत उन के आक्रमण का मुकाबला नहीं करेगा ।" तो इस के उत्तर में मिश्र के प्रधान मंत्री ने इस कथन का पुष्टिकरण किया था और कहा था कि यदि भारत की किसी देश से सन्धि न हो तब वह किसी की सहायता नहीं करेगा । एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि मिश्र भी आक्रमण के समय अपने पड़ौसी देशों की सहायता प्राप्त कर सकता है । किन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि हम इस प्रकार की सन्धियों का विरोध करते हैं । परन्तु मिश्र के प्रधान मंत्री को हमारी नीति के सम्बन्ध में भ्रम है ।

चीन के प्रधान मंत्री और युगोस्लाविया के प्रेज़िडेंट के साथ हमारे प्रधान मंत्री ने दो संयुक्त वक्तव्य दिये थे, उन में कुछ साम्य होते हुए भी मूलतः अन्तर दिखाई देता है । दोनों में पंचशील, शान्ति क्षेत्र की अनिवार्यता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था । परन्तु केवल युगोस्लाविया और भारत के संयुक्त वक्तव्य में ही गुटबन्दी न करने की नीति का उल्लेख था । संयुक्त शान्ति और सह-अस्तित्व की विचारधाराओं में अन्तर है । भारत जिस संयुक्त शान्ति का समर्थक है, वह किसी प्रकार के गुट बनाने का विरोध करती है । किन्तु चीन और मिश्र इस बात को स्वीकार नहीं करते और युगो-स्लाविया इसे मानता है । दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देशों ने इसे भली भांति समझे बिना ही मान लिया है ।

अफ्रीका-एशियाई सम्मेलन में इस अंतर को मौनता में छपाया नहीं जाना चाहिये । मुझे आज प्रधान मंत्री को इन दोनों के अन्तर से इनकार करते हुए देख कर आश्चर्य हुआ । मैं चाहता हूं कि यह सम्मेलन इस अन्तर को अनुभव करे और भारत के नेतृत्व में नहीं, अपितु कतिपय ठोस नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित संयुक्त शान्ति को अपनाये, जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्राण था ।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में, जिसे प्रधान मंत्री शान्ति क्षेत्र कहा करते थे, आज मनिला सन्धि और साम्यवादियों के दलों द्वारा युद्ध का ढोल पीटा जा रहा है । हम इन दोनों रुकावटों को दूर करने के लिये क्या कर रहे हैं ? हिन्दचीन की घटनाओं का इस बात पर प्रभाव पड़ेगा कि क्या दक्षिण-पूर्वी एशिया शान्ति क्षेत्र रहेगा या युद्ध-क्षेत्र बनेगा ।

प्रोफैसर स्पैंसर हिन्दचीन को कई समस्याओं का देश कहते हैं । हिन्दचीन में भारत और चीन की दो सभ्यताओं का सदियों से मिलाप होता रहा है और कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ । हिन्दचीन के प्रति चीन को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिये कि दोनों राष्ट्र मित्र के नाते स्वतंत्रता एवं

समृद्धि की दिशा में एक दूसरे के सहायक हो सकें ।

कम्बोडिया के साथ हमारे जो सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं, मुझे आशा है वे बढ़ते रहेंगे । आर्थिक सहयोग और परस्पर सहायता के विषय पर अफ्रीका-एशियाई सम्मेलन में भी विचार किया जायेगा । हमें उन के अविकसित क्षेत्रों को कई ढंग से सहायता और सहयोग देना चाहिये । क्या हम इन सब बातों का हिसाब लगा रहे हैं ?

बर्मा के प्रधान मंत्री दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में आर्थिक समन्वय और परस्पर सहायता के सिद्धान्त पर पुनः पुनः ज़ोर दे रहे हैं, परन्तु हमारे प्रधान मंत्री कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं । हमारे लिये बर्मा के प्रधान मंत्री के साथ मिल कर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम करने का समय आ गया है । मुझे आशा है इस सम्मेलन में इन सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने का विचार किया जायगा ।

इस सम्मेलन के प्रवर्त्तकों ने केन्द्रीय अफ्रीकी संघान को निमंत्रण दिया, जो उस द्वारा ठुकरा दिया गया । मैं नहीं समझता कि उसे निमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि वह उच्च कुलतंत्र के सिद्धान्त में विश्वास करता है ।

जिस ढंग से पंचशील का सिद्धान्त कार्यान्वित किया जा रहा है, उस से वह बृयां-कैलौग सन्धि के समान सारहीन बन जायगा । इस सिद्धान्त को मानने वालों को यह समझना चाहिये कि यह उपनिवेशवाद और दासतां वृत्ति का विरोधी है । अमरीका और रूस से इस सिद्धान्त का नाम सुन कर मुझे हंसी आती है । यदि सिंहों के बीच गीदड़ों की तरह रहने से पंचशील सिद्धान्त का पालन हो सकता है तो मैं कहूंगा कि यह बृयां-कैलौग सन्धि से अधिक कुछ नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जब मास्को जायेंगे तो वह अपने प्रभाव द्वारा उन्हें यह अनुभव कराने का प्रयत्न करेंगे कि छोटे छोटे राष्ट्रों को भी जीवित रहने का अधिकार है । हमें उपनिवेशवाद और उच्चकुलतंत्र की स्थापना तथा विशाल शक्तियों की स्थापना के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिये ।

श्री ग. डगिल (पूना–केन्द्रीय) : मैं केवल दो विषयों पर बोलूंगा, एक है पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का प्रव्रजन और दूसरा गोआ का मामला । पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं के प्रव्रजन की समस्या दिन प्रति दिन गम्भीर होती जा रही है । हर छः महीनों के पश्चात् वहां से हिन्दुओं का प्रव्रजन आरम्भ हो जाता है, जिस से यह प्रतीत होता है कि इस के पीछे कोई योजना काम कर रही है । शरणार्थियों की यथाशीघ्र समस्या हल करने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं, परन्तु आर्थिक सहायता देने की भी कोई सीमा होती है । कारोबार दिलाने और पुनर्वास की सुविधायें देने की कोई सीमा होती है । यदि यही अवस्था जारी रही तो इस का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं की संख्या और सम्पत्ति यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या और सम्पत्ति से कहीं अधिक है, इसलिये हमें इस समस्या का कोई अच्छा हल निकालना चाहिये ।

आगामी मई में दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की बैठक होने वाली है । उस के लिये मैं सुझाव देता हूं कि लोगों के विनिमय की एक सुव्यवस्थित योजना बनाई जाय । इस समस्या को सन्तोषजनक रूप में हल करना ही चाहिये । यूरोप में भी प्रथम विश्व-युद्ध के बाद ऐसा हुआ था और असहायावस्था

[श्री गाडगिल]

पंजाब में भी यही हुआ जिस से यह समस्या कम से कम पंजाब में तो उत्पन्न नहीं हुई । मैं पूर्व घटनाओं की नैतिकता या वांछनीयता का पक्ष नहीं ले रहा, किन्तु व्यवहारिक पुरुष के नाते मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि इस सुझाव पर विचार किया जाय, और यदि यह हल ठीक न जंचे, तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वहां पर अल्पसंख्यकों का जीवन और स्वतंत्रता अच्छी हालत में नहीं है । इसी कारण पूर्वी बंगाल से लोग भाग कर भारत में आ रहे हैं ।

मेरे राज्य में गोआ के सम्बन्ध में दिन प्रति दिन बैठकें होती रहती हैं और वहां से सत्याग्रही जाते रहते हैं । खेद की बात है कि जिस गोआ के प्रश्न पर सब लोगों को राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करना चाहिये, उसे कांग्रेस और वर्तमान सरकार का विरोध करने के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है । चाहे गोआ छोटा प्रदेश है, परन्तु हमें इस मामले को बड़ी सावधानी के साथ निपटाना चाहिये ।

पुर्तगाली सरकार के गोआ सम्बन्धी इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि गोआ राजधानी वाले राज्य का एक भाग है । हम गोआ को शान्तिपूर्ण उपायों से भारत के साथ मिलाना चाहते हैं । पुर्तगाल के प्रधान मंत्री ने कहा है कि या तो पुर्तगाली सरकार को स्वयं स्वायत्तता हस्तांतरित कर देनी चाहिये या वहां की जनता ऐसा जोरदार आन्दोलन करे कि वहां की वर्तमान सरकार के लिये शांसन कार्य संभालना असंभव हो जाय । इस के अतिरिक्त वह और कोई हल नहीं समझते ।

सभ्यता की दृष्टि से भी गोआ भारत का अंग है । वहां अब यह स्थिति है कि न शान्ति है न व्यवस्था है । वहां बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है । यदि वहां कोई भयानक घटना हो गई तो पड़ौसी होने के नाते उस का निपटारा करने का हमारे ऊपर उत्तरदायित्व आ जाता है, जिसे हमें पूरा करना ही पड़ेगा ।

हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि गोआ के लोग भारत के साथ मिलना नहीं चाहते, बल्कि ऐसा करने की कांग्रेस दल और स्वयं प्रधान मंत्री की आकांक्षा है । देश के उत्तरदायी नेताओं ने कई बार यह बात स्पष्ट की है कि सत्याग्रह का भार या स्वतंत्रता आन्दोलन का भार गोआ के राष्ट्रजनों को ही उठाना चाहिये । सौलहवीं शताब्दी से ही गोआ के लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये आन्दोलन कर रहे हैं, अतः यह कहना सर्वथा गलत है कि वे भारत के साथ मिलना नहीं चाहते ।

पुर्तगाल के प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य, कि गोआ के लोगों को विलय के सम्बन्ध में अपनी रुचि रखने का कोई अधिकार नहीं है, प्रजातंत्रात्मक भावना के नितान्त विरुद्ध है । इस से यही प्रतीत होता है कि वह भूतकाल के अनुभव से शिक्षा नहीं लेना चाहते ।

इस समस्या को हल करने के तीन ही उपाय हैं, वार्ता, सैनिक कार्यवाही या गोआ को पूर्ण स्वतंत्र राज्य बनाना । हमारे प्रधान मंत्री ने पुर्तगाल के साथ वार्ता आरम्भ की थी, किन्तु पुर्तगाल सरकार के दुर्व्यवहार के कारण वह असफल रही । युद्ध के सम्बन्ध में यह बात है कि पुर्तगाल सरकार स्वयं मानती है कि इतना छोटा सा राज्य कायम नहीं रह सकता । जहां तक वहां के लोगों का सम्बन्ध है, वे बहुत पहले से ही पूर्णतः

स्वतंत्र होना चाहते हैं, और उन्हों ने १९३४-३५ के आसपास पुर्तगाल सरकार को कहा था कि यदि उन्हें भारत के साथ मिलने नहीं दिया जाता, तो उन्हें स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने दिया। ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इस सिद्धान्त को मानते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से जागरूक हो जाने पर किसी भी उपनिवेश के लोगों को स्वशासन स्थापित करने का अधिकार होता है । परन्तु पुर्तगाल के प्रधान मंत्री इस सर्वमान्य सिद्धान्त को स्वीकार करने से इनकार करते हैं । जब वहां की जनता पुर्तगाली शासन नहीं चाहती, फिर उसे कब तक बलात वश में रखा जा सकता है ? कल के समाचार पत्र को पढ़ने से पता चलता है कि कुछ ही सप्ताहों या महीनों के अन्दर वहां की जनता प्रभावशाली आन्दोलन करने वाली है, और उस का समस्त उत्तरदायित्व पुर्तगाली सरकार पर पड़ेगा ।

भारत सरकार की शान्तिवाद की नीति बहुत लाभदायक है । इसलिये हमें अपने विश्वास को भंग करने अथवा अपनी ख्याति को नष्ट करने वाली कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । भारत सरकार इतनी शान्ति और नर्मी के साथ इस प्रश्न को हल करना चाहती है, परन्तु फिर भी उस के विरुद्ध अनेक प्रकार के लांछन लगाये जा रहे हैं कि भारत सरकार ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को भेज दिया है और वह इन बस्तियों को मुक्त कराना चाहती हैं, इत्यादि । इतना सब कुछ होते हुए भी हम उसी नीति का पालन कर रहे हैं । मुझे पूर्ण आशा है कि इस नीति का पालन करते हुए शीघ्र ही एक या दो वर्ष के अन्दर गोआ भारत में मिल जायगा ।

श्री डी० एन० सिंह : (मुजफ्फरपुर उत्तर-पूर्व) श्री अशोक मेहता ने अपने भाषण में काश्मीर के बारे में जो बातें कहीं, उन्हें सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । ऐसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की गम्भीर समस्याओं को बढ़ा-चढ़ा कर अधिक उलझनें नहीं पैदा करनी चाहियें ।

उन्होंने सेन्ट्रल अफरीकन फेडरेशन के बांडुंग सम्मेलन में उपस्थित होने से इन्कार करने के बारे में भी कहा । यह उन की इच्छा पर निर्भर है ।

राष्ट्रमंडल के साथ हमारे सम्बन्ध से हमारा राष्ट्रीय हित और आत्म-सम्मान भी बना रहता है और यह विश्व की शान्ति के लिये भी हितकर है । राष्ट्रमंडल के साथ हमारे सम्बन्ध राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों से विभिन्न हैं । हम न तो सम्राट् के प्रति कोई निष्ठा रखते हैं और न दूसरे राष्ट्रमंडलीय देशों की भान्ति ब्रिटेन की सरकार तथा संसद् के अधीन हैं । वे सम्राज्ञी के नाम पर काम करते हैं परन्तु हम गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर । राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते हमें राष्ट्रमंडलीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है; परन्तु उन के विनिश्चय अथवा किसी राष्ट्रमंडलीय देश द्वारा युद्ध की घोषणा से हम बाध्य नहीं हैं । मैं अनुभव करता हूं कि राष्ट्रमंडल की नीति पर हमारे प्रधान मंत्री का बड़ा प्रभाव रहा है । यह बात अमरीकी पत्रिका 'लुक' में भी स्वीकार की गई है । मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण न केवल ब्रिटेन की नीतियों पर बल्कि अमरीका की नीतियों पर भी प्रभाव पडा है ।

जर्मन पुनर्शस्त्रीकरण की भी बहुत गम्भीर समस्या है और इस में कई खतरे हैं । ९ शक्तियों ने यह विनिश्चय इसलिये किया कि उन्हें विश्वास हो चुका था कि चार शक्तियों के शान्ति सम्मेलन में जर्मनी का संगठन नहीं किया जा सकेगा । जर्मनी के हाथों में वे ही हथियार दिये जा रहे

[श्री डी० एन० सिंह]

हैं जो बड़ी कठिनाई से उन से छीने गये थे । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यूरोप में कोई युद्ध किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता । वह सारे विश्व में फैलेगा । नाटो शक्तियों को जर्मन सेना के १२ डिवीज़न तैयार करने में चार पांच वर्ष लगेंगे और श्री विस्टन चर्चिल का कहना है कि तब तक अणु शक्ति सम्बन्धी प्रभुत्व, जो पश्चिमी देशों को प्राप्त है, नष्ट हो जायेगा और १२ डिवीज़न जर्मन सेना किसी भी काम नहीं आयेगी । फिर भी चार शक्तियों की शान्ति-वार्ता से आशा की एक किरण दिखाई देती है ।

के० एम० टी० और फारमोसा के बीच जो सन्धि हुई है, उस से युद्ध का खतरा और भी बढ़ गया है ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि युद्ध का एकमात्र विकल्प विश्व शान्ति और सह-अस्तित्व की भावना है । विश्व शान्ति हमारे प्रधान मंत्री द्वारा घोषित किये गये पंचशील के सिद्धान्त पर ही स्थापित की जा सकती है जिस का चीन और एशिया की शक्तियों ने पालन किया है ।

डा० लंका सुन्दरम् : श्री एच० एन० मुकर्जी और श्री अशोक मेहता की टिप्पणियों के अतिरिक्त ऐसा जान पड़ता है कि सभा इस देश की विदेश नीति को ठीक समझती है ।

पंचशील की भाषा मुझे बड़ी अस्पष्ट प्रतीत होती है । उस में अनुसमर्थन की तो बात छोड़िये उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया भी नहीं दी गई है ।

जिस समय पंचशील का दस्तावेज़ तैयार किया गया था, उन दिनों प्रधान मंत्री ने मार्शल टीटो और कर्नल अबदुल नासिर से मिल कर दो घोषणायें की थीं । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन दो घोषणाओं और पंचशील के दस्तावेज़ में कुछ अन्तर है इस के परिणामस्वरूप मुझे यह कहना पड़ता है कि कैल्लग-ब्रियंड पैक्ट अथवा घोषणा जैसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिये । अब जब प्रधान मंत्री बांडुंग जा रहे हैं और उस सम्मेलन में एशिया और अफरीका के २५ राष्ट्रों के प्रतिनिधि आयेंगे, कुछ नियमयुक्त ढंग उपलब्ध किया जाना चाहिये ताकि पंचशील को कार्यान्वित किया जा सके ।

बांडुंग के बारे में मुझे यह चिन्ता है कि २५ देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा गया है, जिन में सीटो और मीडो को चलाने वाले और उन में भाग लेने वाले देश भी होंगे । इन सब की उपस्थिति से कोई उलटी बात न हो जाय ।

बांडुंग सम्मेलन सरकारों द्वारा बुलाया गया है ; अतः यह गुप्त रूप से होना चाहिये । अन्यथा इस प्रकार का सम्मेलन सफल नहीं हो सकता । सीटो और मीडो में भाग लेने वाले देशों की उपस्थिति से भयानक परिणाम निकल सकते हैं । किसी प्रकार का झगड़ा न हो, इस का पहले से ही प्रबन्ध कर लेना चाहिये ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि बांडुंग सम्मेलन स्वतंत्र एशिया की ओर से समस्त संसार को चुनौती है । मैं उन से सहमत हूं । मैं जानता हूं कि गत वर्षों में भारत, नेपाल, बर्मा और थाइलैंड की आर्थिक तथा टेक-निकल सहायता करता रहा है । जब बांडुंग सम्मेलन एक स्थायी संघटन बन जायेगा तो मुझे विश्वास है कि इस के द्वारा एशिया और अफरीका की भावनायें और इच्छायें व्यक्त की जा सकेंगी और उन की ध्वनि दूर क्षितिज तक सुनाई देगी ।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि काश्मीर के लोगों की आत्मा को कुचला जा रहा है ; परन्तु मैं ने स्वयं काश्मीर जा कर वहां की हालत को देखा है । वहां से लौट कर मैं ने प्रधान मंत्री को एक लेख दिया जिस में उन लोगों के नाम थे जो शासन में गुप्तचरों का काम कर रहे हैं । काश्मीर में इन पाकिस्तानी और अन्य भारत-विरुद्ध तत्वों से भारत को खतरा हो सकता है । कुछ दलों के कारण काश्मीर में कुछ बुरी घटनायें हो रही हैं । पाकिस्तान की ओर झुकाव रखने वाले लोग भारत के खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं । हमें ठंडे दिल से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना चाहिये ।

हाल ही में समाचार पत्रों में एक बयान निकला कि कम्बोडिया के राजप्रमुख ने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग, भारत जिस का सभापति है, के हस्तक्षेप का विरोध किया । क्या वह विरोध अब भी चल रहा है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि ऐसा कोई विरोध नहीं किया गया है । केवल समाचारपत्रों ने इस बारे में लिखा था और कम्बोडिया के नरेश ने स्वयं इस का उत्तर दिया था ।

डा० लंका सुन्दरम् : धन्यवाद ।

दूसरी बात यह है कि दक्षिण वियतनाम सरकार और वहां की सेनाओं में जो मुठभेड़ हो रही है उन से उस काम में कोई अड़चन पैदा होगी जो हम तीनों आयोगों के सभापति होने के नाते कर रहे हैं ।

श्रीलंका संसद् में रक्षा तथा वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव ने उत्प्रवासी तथा आप्रवासी (संशोधक) विधेयक के सम्बन्ध में कहा था कि :

> "श्रीलंका ने प्रस्तावित संशोधन पर भारत का परामर्श प्राप्त कर लिया था और उस की सहमति प्राप्त कर ली थी ।"

मैं नहीं सोच सकता कि भारत ने इस संशोधनार्थ विधेयक पर अपनी सम्मति दी होगी परन्तु यदि प्रधान मंत्री इस बयान से इन्कार कर दें तो श्रीलंका में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों का उत्साह बढ़ जायेगा ।

उस समय जब जापानियों ने बर्मा पर कब्ज़ा किया भारतीय उद्भव के हज़ारों निष्क्रमणार्थी अपना सब कुछ छोड़ कर भारत आये । अब तक प्रतिकर के रूप में उन्हें एक भी पाई नहीं दी गई है । मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री इस विषय में कुछ कार्यवाही करेंगे क्योंकि अब भारत और बर्मा के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं ।

पाकिस्तान में जो हालत हो रही है उस से हमें चेतित होना चाहिये ताकि वहां के लोगों के रुख को बदलने के लिये कहीं वे जिहाद शुरू न कर दें और भारत, विशेषकर काश्मीर की, सुरक्षा खतरे में न पड़ जाय ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि बातचीत करने के लिये पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को दिल्ली में आने का निमंत्रण दिया गया है । क्या यह तिथि निश्चित करने से पूर्व भारत सरकार को विश्वास दिलाया गया था कि काश्मीर का मामला स्वयं तय किया जायेगा और इसे सुरक्षा परिषद् में नहीं ले जाया जायेगा ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :–

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
२१	श्री शिव मूर्ति स्वामी (कुष्टगी)	आदिम जाति के क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी धर्मप्रचारकों के प्रति नीति ।	१००
२१	श्री एच० एन० मुकर्जी .	आदिम जाति के क्षेत्रों के कल्याण के लिये सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था	१००
२२	श्री साधन गुप्त .	पुर्तगाल के क्षेत्र से बाहर रहने वाले भारतीयों को पुर्तगाल द्वारा अधिकृत हमारे देश के भाग को स्वतंत्र कराने के आन्दोलन में भाग लेने की स्वीकृति देने से लगातार इनकार किया जाना ।	१००
२२	श्री शिव मूर्ति स्वामी .	विदेशों में हमारे दूतावासों तथा विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों द्वारा फिजूल-खर्च ।	१००
२२	श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा)	हमारी वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्त .	१००
२२	श्री खर्डेकर .	पुर्तगाल के नियंत्रणाधीन भारत के भागों को स्वतंत्र कराने का प्रश्न	१००
२२	श्री खर्डेकर .	गत्यात्मक तटस्थता की नीति जिस से विश्व शान्ति हो	१००
२२	डा० लंका सुन्दरम् .	राज्यों द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय नियम के रूप में पंच शील को लागू करने और अनुसमर्थन करने के हेतु अपनाना	१००
२२	श्री एच० एन० मुकर्जी .	मध्यपूर्व में साम्राज्यवादी चालबाजी	१००
२२	श्री एच० एन० मुकर्जी .	सीटो योजनायें और उन का एशिया की स्वतंत्रता तथा शान्ति पर प्रभाव	१००
२२	श्री एच० एन० मुकर्जी .	पांडिचेरी में भारतीयों की फ्रांसीसी सेना में भर्ती।	१००
२२	श्री एच० एन० मुकर्जी .	सुदूरपूर्व में आणविक और नवीन शस्त्रों को आवश्यकता पड़ने पर अभिसमय युक्त शस्त्रों के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में अमरीका का निश्चय, जिस का समाचार मिला है ।	१००

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया पूर्व) : मैं ने प्रधान मंत्री का भाषण बहुत ध्यान से सुना है। उन्हों ने बहुत स्पष्ट बातें कही हैं। किन्तु एक बात समझ में नहीं आई। जहां तक एशिया के गैर-साम्यवादी देशों के सम्बन्ध हैं, उनका किसी बात पर सहमत होना बहुत कठिन है। यदि दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्यपूर्व के राष्ट्रों के बीच मतभेद जारी रहा, तो उन्हें विपत्ति और आक्रमण का सामना करना पड़ेगा।

मैं यह नहीं समझ सकता कि सह-अस्तित्व क्यों सम्भव नहीं है। सह-अस्तित्व से मेरा अभिप्राय भारत, चीन, रूस और अमेरिका के सह-अस्तित्व से है। यह इतना आवश्यक है कि अमेरिका को भी अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा है। प्रधान आइज़नहावर अब रूसी प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिये तैयार हैं। किन्तु मैं ऐसी बातचीत के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इस में एशिया को फिर प्रभाव क्षेत्रों में बांटा जायेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया अमरीकनों को मिलेगा।

शान्त महासागर में जापान से अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेरिका अपना साम्राज्य स्थापित करेगा और इस के बदले में रूस मध्यपूर्व में अपने प्रभाव क्षेत्र बनायेगा। इस शंका को ध्यान में रखते हुये मेरा सुझाव यह है कि बांडुंग में कोई ठोस पग उठाया जाये और एक संयुक्त रक्षा परिषद् बनाई जाये। यदि भारत और चीन इकट्ठे हो गये, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश भी साथ आ मिलेंगे। उन के लिये और कोई चारा नहीं होगा क्योंकि यदि रूस ने प्रभाव क्षेत्र बांटना मान लिया, तो दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्यपूर्व के सब देश एक एक कर के नष्ट हो जायेंगे। इसीलिये मैं पिछले ९ सालों से कहता आ रहा हूं कि हमें चीन और रूस के अधिक निकट आना चाहिये।

श्री खर्डेकर : मैं इस देश की विदेशी नीति का बड़ा समर्थक हूं, क्योंकि यह शान्ति, मैत्री और तटस्थता की नीति है। हमारे प्रधान मंत्री ने इसे बहुत सुदृढ़ बनाया है। इस से अधिक अच्छी या भिन्न कोई नीति नहीं हो सकती थी।

प्रधान मंत्री के कुछ वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इस नीति की जांच करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या ये उन सिद्धान्तों के, जिन का मैं समर्थन करता हूं अनुकूल हैं। मेरे विचार में उन में से कुछ ऐसे हैं, जो यदि न दिये गये होते तो अधिक अच्छा होता।

प्रधान मंत्री ने अमरीकी सहायक सचिव राबर्टसन के उस भाषण पर बहुत आपत्ति की थी जिस में उन्होंने कहा था कि अमेरिका एशिया पर अधिकार जमाना चाहता है। मैं इस कथन को इमानदारी का कथन समझता हूं। दोनों गुट अधिकार जमाना चाहते हैं। हमें इस के कारण समझने चाहियें। वे अपने आदर्श और विचारधारा फैलाने के लिये अधिकार जमाना चाहते हैं, हमें इन दोनों खतरों से बचना चाहिये, बल्कि मैं यह कहूंगा कि हमें इन दो गुटों की अच्छी बातों से लाभ उठाना चाहिये—व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनतंत्रात्मक संस्थाओं का इंग्लैंड और अमेरिका से और आर्थिक न्याय का रूस से।

प्रधान आइज़नहावर के पत्र के उत्तर में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि सहायता का सुझाव देने में प्रधान आइज़नहावर ने हमारे या अपने प्रति न्याय नहीं किया। मेरे विचार में ऐसा कहना व्यंगपूर्ण है क्योंकि यह सच है कि अमेरिका ने हमें समझा नहीं

[श्री खंडेकर]

है । किन्तु क्या हम ने अमेरिका को समझने का प्रयत्न किया है । हमें यह जानना चाहिये कि वह हर कीमत पर साम्यवाद को रोकना चाहता है । प्रधान मंत्री ने वहां के कुछ लोगों को पागल कहा है । हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये बल्कि मंत्री की भावना रखनी चाहिये । प्रधान मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान द्वारा अमेरिकन सैनिक सहायता को स्वीकार करना इतिहास से उलट है । यदि भारत ऐसी सहायता स्वीकार कर लेता तो यह बात सच होती । परन्तु पाकिस्तान द्वारा इसे स्वीकार किया जाना केवल इतिहास की पुष्टि करता है । हमें पाकिस्तान को समझने और उस से सहानुभूति प्रकट करने की चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि उस के कोई नेता नहीं है और उस की आर्थिक स्थिति खराब है । जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा था हम पाकिस्तान के लिये शुभ-कामनायें रखते हैं । मैं तो उन्हें यह सलाह दूंगा कि वह प्रतिवर्ष एक या दो मास पाकिस्तान में गुज़ारें, ताकि वहां नेतृत्व की कमी को पूरा किया जा सके और उचित संतुलन स्थापित किया जा सके ।

उपनिवेशवाद के बारे में प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि इस पर हमें बहुत क्षोभ है । यह हमारे लिये स्वाभाविक है किन्तु मेरा सुझाव है कि हमें जो कुछ करना हो, बहुत सोच समझ कर और सावधानी से कहना चाहिये क्योंकि हम शान्ति स्थापित करना चाहते हैं और वातावरण बहुत अनुकूल नहीं है । यदि प्रधान मंत्री अपने महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी वक्तव्य पढ़ कर दिया करें, तो ऐसा कोई शब्द नहीं निकलेगा ।

अन्त में मैं गोआ की ओर निर्देश करूंगा । गोआ के लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं । पूछा गया है कि भारतीय सत्याग्रहियों को गोआ में क्यों न प्रवेश करने दिया जाये ? हम जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा । पुर्तगाली सरकार उन के साथ बुरा व्यवहार करेगी और इस से हमारा देश कठिनाई में पड़ जायेगा यदि हम ने कोई प्रत्यक्ष पग उठा लिये या युद्ध के लिये तैयार हो गये, तो यह हमारे सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । गोआ के लोग समझदार हैं परन्तु बहुत गरीब हैं । हमें उन्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिये । यदि वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गये, तो गोआ की सब समस्यायें हल हो जायेंगी ।

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : इस प्रतिवेदन के साथ एक विमति टिप्पण संलग्न है जोकि श्री सुरेन्द्र महन्ती ने प्रतिवेदन पर विचार समाप्त होने से एक दिन पहले ही कार्यालय को दे दिया था । अतः मेरे विचार में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । मैं इस मामले को माननीय अध्यक्ष पर छोड़ता हूं । वह इस मामले में अन्तिम आदेश देंगे ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के बारे में मांगें

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहली बात तो मैं बहुत अदब से यह पेश करना चाहता हूं कि न हमारी इच्छा है और न हमारी शक्ति है कि हम सब दुनिया को अपनी

मर्जी से चलायें । अक्सर लोक-सभा के सदस्य हम से नाराज होते हैं कि यह क्यों नहीं किया, वह क्यों नहीं किया, उस मुल्क में यह आफत क्यों आई और वहां किसी ने गलत बात क्यों की ? गोया सारी दुनिया हमारे कब्जे में है और हम से सलाह मशविरा कर के काम किया करती है । ज़ाहिर है, कि यह बात नहीं है । दुनिया तो बहुत बड़ी चीज है, हमारे देश में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि हर देश में हुआ करती हैं, जोकि हमारे काबू में नहीं हैं । अगर इस लोक-सभा की शक्ति होती कि जो हमारे मन में है उस को हम एक दम से देश में कर दें, तो हम देश के सारे दुःख खत्म कर देते, सब बातें पूरी हो जातीं और यहां के सब ३६, ३७ करोड़ लोग खुशहाल होते, उन के लिये काम काज होते और कोई कठिनाई या तकलीफ नहीं रहती । ज़ाहिर है कि हम यह नहीं कर सकते । समय लगता है, काम कठिन है । अगर्चे हम उस रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समय लगता है इन बातों के करने में । कम से कम मैं तो इस में विश्वास नहीं करता कि इस में आसमान, तारों या ज्योतिष की कुछ जिम्मेदारी है और जो लोग इस में विश्वास रखते हैं वह ग़ालिबन असलियत नहीं देखते, इसी विश्वास में पड़े रहते हैं । तो टीका करनी इस बात की कि वहां यह क्यों नहीं हुआ और वहां क्यों यह खराबियां हैं, ठीक है, खास कर जनता के द्वारा । लेकिन जो बात हमें देखनी है वह यह नहीं कि हमारे दिमाग की बातें, हमारे स्वप्न, हमारे ख्वाब क्यों नहीं पूरे हुए, बल्कि यह कि जिधर हम जा रहे हैं वह ठीक रास्ता है या नहीं । मुमकिन है कि हल्के हल्के काम हो, आखिर दुनिया में कोई बात हो, कोई मुल्क तरक्की की तरफ अपने को ले जाय, तो यहां कोई ऐसा नहीं है जो न चाहे कि और देशों की तरक्की न हो । जरूर होनी चाहिये, जल्दी से जल्दी होनी चाहिये, लेकिन अगर आप मुझ से कहें कि मैं इस बात को कहूं कि वह जल्दी हो जाय, तो मैं ऐसा कहने के लिये तैयार नहीं हूं । इस के माने यह नहीं हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है, यकीनन अच्छा लगता है, लेकिन हो सके, तब ना । अगर हम ऐसा कहते हैं तो अपने को असलियत से हटाते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं और महज एक ख्वाब की दुनिया में ही हो जाते हैं । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इस तरह की बातें कहने से कोई फायदा नहीं होता । हमें आज कल के प्रश्नों को देखना है, और आज कल के प्रश्नों और सवालों को देख कर उन को हल करने की कोशिश करनी है । उन को हल करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं, इस वास्ते हम उन को हल नहीं कर सके हैं, सारी दुनिया के विद्वान् कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी उन को हल नहीं कर सके, और दुनिया एक गलत रास्ते पर चली जाती है । अगर हमारी लोक-सभा के साथी जो उस पार बैठे हैं समझते हैं कि अगर दुनिया उन की राय पर चले तो सब सवाल हल हो जायें, तो मुमकिन है कि यह बात हो लेकिन कठिनाई यह है कि उन की बात पर लोग चलने को तैयार नहीं होते हैं, मैं क्या करूं ? या तो एक खास राय पर सारी दुनिया चले जिस से सारे सवाल हल हो जायें, इधर या उधर, लेकिन एक राय पर आज दुनिया चलने को तैयार नहीं है । अलग अलग देश अलग अलग राय पर चलते हैं जिस की वजह से कशमकश होती है, लड़ाई, दंगे और फिसाद होते हैं । तो इन सवालों को देखने में हमें इस बात को याद रखना चाहिये कि अगर मैं एतराज़ करूं भी तो किस बात पर ? मैं यह इसलिये नहीं कहता कि जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं या वेस्ट एशिया के लोग हैं उन की चालें हलकी हैं बल्कि इसलिये कि चालें उलट गई हैं । एक हमारे माननीय सदस्य

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ने, शायद श्री खर्डेकर ने, याद दिलाया कि मैं ने कहा था रिवर्सल आफ हिस्ट्री । यानी जो अमरीका की फौजी मदद पाकिस्तान में आई थी उस के लिये मैं ने कहा था कि यह रिवर्सल आफ हिस्ट्री है । उन्होंने कहा कि अगर हिन्दुस्तान के लिये मैं ऐसा कहता तो सही हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान के लिये वह सही नहीं था । मैं उन की बात से मुत्तफिक नहीं हूं । हिन्दुस्तान ने यह हर्कत बहुत दफे की है, हिन्दुस्तान का दामन कोई साफ नहीं रहा है, हज़ार दफे झुका है, गन्दा हुआ है, काफी कीचड़ उछला है । लेकिन सवाल यह है कि आजकल उस का दामन कैसा है ? इतिहास का सवाल यहां पर नहीं है । बहरहाल जो मैं ने रिवर्सल आफ हिस्ट्री की बात कही थी वह हिन्दुस्तान या पाकिस्तान के लिये नहीं कहा था । मैं ने कहा था कि एशिया बाज़ हिस्सों में अब यूरोप अमरीका वगैरह मुल्कों की हुकूमत से अलग ज़रूर हो रहा है । एशिया जाग रहा है, और इतिहास की यह तेज रफ्तार उसे एक तरफ ले जा रही है, यानी आज़ादी की तरफ । तो मेरा मतलब यह था कि अगर यहां पर कोई एशिया का हिस्सा बजाय आज़ादी की तरफ जाने के दूसरी तरफ जाय तो वह दरिया का बहाव उलट जाना है । मेरे दिल में कोई शक नहीं है कि किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क से फ़ौजी मदद पाना अपनी आजादी को खत्म कर देना है । इस सिलसिले में मैं ने यह कहा था और इसी सिलसिले में मुझे यह बात परेशान करती है और किसी कदर यह खयाल दिक़ करता है, कि आज जो बातें साउथ ईस्ट एशिया और वैस्ट एशिया में हो रही हैं उन के लिये कहा तो यह जाता है कि वह मुल्कों को आज़ाद करने के लिये हो रही हैं, लेकिन असल में वह मुल्क बड़े मुल्कों के दबाव में आते जाते हैं । इस मामले में मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ दूसरे बड़े मुल्कों की निसबत नुक्ताचीनी करूं या निन्दा करूं क्योंकि इस से कुछ लाभ नहीं होता है, और ख्वाहमख्वाह के लिये लोग चिढ़ते हैं, लेकिन साफ बात यह है कि श्री मुकर्जी ने बड़े जोरों से कहा कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा मुकाबिला करते हैं दो वार ब्लाक्स का, वार ब्लाक तो एक ही है, दूसरे का दामन साफ है । वार का शब्द आप छोड़ दें । हालत तो यह है कि इस वक्त दुनिया में दो बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली मुल्क हैं, इस में मुझे कोई शक नहीं है, और वह दोनों एक दूसरे से डरते हैं, घबराते हैं । दोनों इस अन्देशे में कि शायद दूसरी तरफ से लड़ाई शुरू हो जाय, लड़ने की तैयारी करते हैं । जब दूसरे को ख़ौफ़ होता है तो वह पहले से भी ज्यादा तैयारी करता है और उस को देख कर पहले वाला और भी ज्यादा तैयारी करने लगता है । आज हम इस पेंच में पड़ गये हैं और इसलिये वह बड़े मुल्क छोटे मुल्कों को अपने साये में लाना चाहते हैं, उस तरह से नहीं जैसे पहले लाते थे, अपना साम्राज्य बढ़ा कर, वह ज़माना गया । लेकिन दूसरी तरह से अपने साये में लाना चाहते हैं । ताकि अगर लड़ाई हो तो आने वाली लड़ाई में वह उन से फायदा उठायें । इस के दो जुज़ हैं और वह यह कि दूसरे मुल्कों को अपने साये में लाना चाहते हैं ताकि दूसरे मुल्क उन को अपने साये में न ले जायें । इस कशमकश में चला जाता है और फ़िज़ा खराब होती जाती है । इस में किसी को बुरा भला कहने का सवाल नहीं है । पंच शील का ज़िक्र हुआ । पंचशील का खास मक़सद यह है कि युद्ध रुके । इस के साथ ही साथ दूसरे मुल्कों के अन्दरूनी मामलों में दखल न देना, बाहिरी हमला न करना । नान इंटरफीयरेंस इन दी एफेयर्स आफ़ दी अदर कंट्रीज़ बड़ी जरूरी बात है,

युद्ध रोकने की बात है, क्योंकि असलियत यह है कि इस वक्त इंटरफीयरेंस बहुत ज्यादा होती है, बड़े ज़ोरों से होती है, ज़ाबते से होती है और बेज़ाबते से होती है, हर तरह से होती है, हर तरफ से होती है, दोनों फरीक़ों की तरफ से होती है ।

हम अक्सर सवाल उठाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का । हमारे लोक-सभा के कुछ लोग उन की कार्रवाइयों से बहुत परेशान होते हैं । वे यह बात भूल जाते हैं कि क्रिश्चिएनिटी हिन्दुस्तान का एक बहुत पुराना मज़हब है और हमें उन्हें यहां रहने का पूरा मौका देना है और यह हमारे कान्स्टीट्यूशन (संविधान) में भी माना गया है और वह हमारी नीति भी है । हां अगर पोलिटिकल ढंग से कोई शख़्स पर्दे के पीछे कुछ करे तो दूसरी बात है । इस तरह से कई क्रिश्चियन मिशनरीज़ की चर्चा होती है, लेकिन आजकल जो असल में मिशनरीज़ हैं वह दूसरी किस्म के हैं । मैं बाहर के मिशनरीज़ के बारे में कह रहा हूं अन्दरूनी लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि अन्दर हर एक को हक है कि वह अपने विचारों का शान्तिमय तरीकों से प्रचार करे । लेकिन बाहर के लोग जब आ कर ऐसा करते हैं तब वह जो पंचशील का असूल है टूटता है । याद रखिये जो लोग बाहर के आते हैं चाहे एक तरफ के हों चाहे दूसरी तरफ के, कम्युनिस्ट शास्त्र को पढ़ाने आते हों या ऐंटी कम्युनिस्ट शास्त्र को पढ़ाने आते हों, तरीके चाहे उन के अलग अलग हों लेकिन दोनों आ कर बड़े ज़ोरों से हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं । मैं चाहता हूं कि वे हमें पढ़ायें माकूल चीज़ें और नामाकूल चीज़ों में हम नहीं पड़ना चाहते । आखिर किताबों से भी हम पढ़ सकते हैं । विचारों को हम रोक नहीं सकते लेकिन मुझे इस बात पर एतराज़ है कि बाहर से इस तरह का हमारे ऊपर दबाव डालन के लिये हमारे मुल्क में लोग अयें चाहे वह कम्युनिस्ट हों चाहे एंटी कम्युनिस्ट हों, चाहे वे रूस से आयें, चाहे अमरीका से आयें और चाहे वह चीन से आयें, इस में मुझे एतराज़ है और मैं यह नहीं चाहता । मैं यह चाहता हूं कि वे दोस्ताना तौर पर हमारे पास आयें, हमारे साथ बातें करें और बहस करें, इस में मुझे कोई एतराज़ नहीं है । आप जानते भी हैं कि हमारे यहां बहुत लोग आ भी रहे हैं । लेकिन इस नियत से अगर कोई आये कि हमारे अन्दरूनी काम में चाहे वह स्यासी हो, चाहे आर्थिक हो चाहे कोई और हो और चाहें कि हम इधर से उधर जायें या उधर से इधर जायें तो यह बात झगड़े की है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन झगड़े की है और इस से झगड़ा पैदा होता है और फ़िज़ा खराब होती है । हम चाहते हैं कि प्रोफेसर आयें, बातें करें, लेक्चर दें और लोग जो कहते हैं सुनें । लेकिन पंच शील का जो बुनियादी उसूल है अगर उस को ईमानदारी से स्वीकार कर लिया जाय और वह यह है कि बाहर के लोग दखल न दें, अगर आप इस को मान लेते हैं और दुनिया मान लेती है तो यकीनन आज जो झगड़े हैं उन में से ९० फीसदी हल हो सकते हैं, इस में कोई शक की बात नहीं है । इस मोटी बात को याद रखिये । मैं तो बहुत अदब से उन मुल्कों से जोकि इस तरह से अपने मिशनरीज़ भेजते हैं कहूंगा कि वह ज़माना गुज़र गया और अब उन का उलटा असर होता है जिस से न तो उन को फायदा होता है और न किसी और को, खाली झगड़ा ही बढ़ता है । आजकल मिशनरीज़ से काम नहीं चलेगा बल्कि जो कोई मुल्क कुछ कर के दिखायेगा और वह अच्छी बात होगी तो उस का असर दुनिया पर अच्छा होगा, इस में कोई शक की बात नहीं है । हम जो अच्छी बातें अंग्रेज़ों के मुल्क में देखते हैं और जो हमें अच्छी लगती हैं उन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का हमारे ऊपर असर होता है और मुमकिन है उन की हम नकल भी करें। हम ने अमरीका में जा कर देखा कि उन्होंने बड़ी तरक्की की है और हमारे ऊपर असर हुआ है। अगर हम अमरीका सीखने जायें उन से सीखेंगे, उन के लेक्चरों से और देख कर। इसी तरह से रूस जायें, जो रूस की बातें हमें पसन्द आयेंगी उन का हम पर असर पड़ेगा। असल बात यह है कि वह ज़माना गया कि किसी की कागज़ी और हवाई बातों पर चला जाये। आजकल जो कोई मुल्क कुछ काम कर के दिखायेगा, अपने मुल्क की तरक्की कर के दिखायेगा उस मुल्क का यकीनन असर दूसरों पर पड़ेगा, चाहे वह रूस हो चाहे चीन हो, चाहे अमरीका हो चाहे कोई और मुल्क हो। जिस मुल्क के तरक्की करने का तरीका हमारी समझ में आ जायगा उस का हमारे ऊपर असर होगा। यह बात कि इस खिड़की से देखा जाय और उस खिड़की से न देखा जाय, गलत है। अगर हम ने किसी मुल्क पर असर डालना है तो हम सिर्फ पंचशील से ही नहीं, या बहस कर के ही नहीं और और कोई ऐसी बात कर के नहीं डाल सकते बल्कि मुल्क में जो काम करते हैं उन से डालेंगे। अगर इस वक्त दुनिया के अकसर लोग हिन्दुस्तान आ रहे हैं——बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं और बहुत से लोग जिन का अखबार में नाम नहीं आता, छोटे दलों में आते हैं, डैपुटेशन्स आते हैं, वे काफी तादाद में क्यों आ रहे हैं। यह इसलिये है कि दुनिया में हमारी शोहरत है कि हिन्दुस्तान तरक्की कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है जिस का कि उन पर बहुत असर पड़ा है। लेकिन इत्तिफाक़ की बात यह है कि यह खबर अभी तक इधर बैठे चन्द भाइयों तक नहीं पहुंची और दुनिया तक पहुंच गई है। ये बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये ऐसी कोई कोठड़ी में दरवाज़ा बन्द कर के बैठे हैं कि ज़रा भी रोशनी अगर अन्दर आती है तो सुराखों में भी रूई डाल देते हैं और उन को बन्द कर देते हैं। अजीब हालत है। चुनाचे हिन्दुस्तान का जो असर दुनिया पर हुआ है वह मेरी स्पीचों के कारण नहीं हुआ है, ना ही लोक-सभा ने जो प्रस्ताव पास किये हैं और जो कानून बनाये हैं उन के कारण हुआ है। हिन्दुस्तान के लोग क्या करते हैं, जिस तरह से दिखाते हैं कि हम एक मज़बूत मुल्क हैं, मेहनती हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम मुल्क को ऊंचा कर रहे हैं, इन सब बातों से असर हुआ है।

हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं। इन का असर दुनिया पर हुआ है और शायद बहुत ज्यादा हुआ है। वैसे तो बड़ी बड़ी और भी चीज़ें बन रही हैं जैसे भाखड़ा, दामोदर घाटी योजना जिन का असर दुनिया पर हुआ है लेकिन सब से ज्यादा कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स से हुआ है, क्योंकि यह चीज़ एक ऐसी है जो खास तौर पर एशिया के लिये मौज़ूं हैं, पिछड़े हुए मुल्कों के लिये मौज़ूं है। एशिया के कितने ही मुल्कों के लोगों ने इन को आ कर देखा है। हम आज-कल परेशान हैं, हमारे पास कम लोग हैं। चारों तरफ से मांग आ रही है। एशिया के आधे मुल्कों से हमारे पास मांगें आई हैं और यह हमारी पालिसी की वजह से नहीं है बल्कि हम ने जो तरक्की की है उस की वजह से है।

मैं फिर पंचशील पर आता हूं कि यह जो पंचशील नाम रखा गया। एक बहुत पुराना नाम है और पंच शील के एक दूसरे मायने भी हैं। इंडोनेशिया में उन की हुकूमत पंच शील पे मुबनी है और वह उन के दूसरे पंच शील हैं। यह पुराना शब्द है, अच्छा भला है, मौज़ूं है, इस लिये रखा गया है।

इस के असल में मायने यह हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के अन्दरूनी मामलों में दखल न दे, बेजाबता दखल न दें, जबरन दखल न दे, पैसे से, फौजों से या किसी और ज़रिय से दखल न दे । लेकिन जहां एक मुल्क पर दूसरे मुल्क की तरफ देखने से असर पड़ता है तो वहां पर दबाव नहीं रहता और न ही डर की भावना ही रहती है और आज़ादी से एक चीज़ बढ़ती है जैसे कि एक पौदा बढ़ता है या एक दरख्त बढ़ता है ।

दो एक बातें अशोक मेहता जी ने कही थीं, उन का मैं ज़िक्र कर दूं । उन्होंने "नेफा" यानी नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बारे में जिक्र किया था उन्होंने कहा कि वहां पर तीन बलवे हुए, अन्दरूनी झगड़े हुए, इस साल भर के अन्दर, और हम लोग वहां नहीं जाने पाये । उन्होंने कहा कि वहां का बहुत खराब हाल है, वगैरह वगैरह । मुझे यकायक याद नहीं आता कि वह कौन तीन झगड़े हैं जिन का उन्हों ने जिक्र किया है । आप याद रखें कि वहां पर किसी हुकूमत का इन्तिजाम नहीं रहा है । हजारों सैकड़ों वर्षों के बाद वहां पर कोई गवर्नमेंट का इन्तिजाम किया जा रहा है । और मुझे शक है कि दुनियां में कहीं भी इतनी शान से और इतनी शान्ति से इन्तिजाम शुरू किया गया हो जैसाकि इस इलाके में किया जा रहा है । मैं अशोक मेहता जी से इस तरह की कोई मिसाल चाहता हूं । हम ने वहां पर इतनी शान्ति के साथ इन्तिजाम करना शुरू किया है कि मुझे दुनिया में इस की कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती । मैं चाहता हूं कि वह मुझे ऐसी कोई मिसाल दें ।

आप कहते हैं कि वहां पर तीन झगड़े हुए । तीन झगड़ों के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक झगड़ा जरूर हुआ है । यामटिंग गांव वालों ने पांगशा गांव के एक आदमी को मार दिया । वह पहाड़ी डाकिया था । पांगशा गांव वालों ने भी जोश में आ कर यामटिंग गांव पर धावा बोल दिया और वहां पर ५० आदमी मार दिये । यह गांव वालों का आपस का झगड़ा था, इस में गवर्नमेंट का कोई सवाल नहीं था । याद रखिये कि ये वे जगहें हैं जहां पर कि कल परसों तक हेड हंटिंग होता था । वहां पर सिर काट कर टांग देने का एक मामूली खेल था । वह बमुश्किल खत्म हुआ है । जो झगड़ा हुआ वह यह था कि एक आदमी एक गांव वालों ने मार दिया, दूसरे गांव वालों ने आ कर उस गांव के चालीस पचास आदमी मार दिये । यह बहुत बुरा हुआ । लेकिन यह दो गांवों का झगड़ा था जोकि पहले से चला आता था । इस के लिये अशोक मेहता जी ने गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया । हां, वह इल्जाम लगा सकते हैं कि क्यों उन लोगों को इतना ऊंचा नहीं उठाया गया कि वह ऐसा न करते, या यह कि एक ए गांव में गवर्नमेंट का इन्तिजाम क्यों नहीं था । लेकिन अगर आप गौर करें तो यह ऐतराज़ बहुत जा नहीं है ।

अभी तीन चार रोज़ की बात है कि हमारे दो तीन आदमी जा रहे थे । यकायक जंगल में उन पर हमला हुआ और उन में से एक या दो आदमी मारे गये । अभी पूरे वाकयात नहीं आये हैं । तो ऐसे इलाके का, जोकि इतना पिछड़ा हुआ है और जहां इस तरह के लोग रहते हैं, आप आसाम हिल्स वालों से मुकाबला नहीं कर सकते । आसाम हिल्स के लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं । लेकिन जहां यह झगड़े हुए वहां की हालत ऐसी नहीं है । आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो मैं आप को दावत देता हूं कि आप वहां जायें । लेकिन मैं आप को एक बात बतला दूं । पिछली दफा, मैं अपनी याद से कह रहा हूं, कुछ आप की पार्टी के

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लोगों ने वहां जाने को कहा था । लेकिन जो साहब वहां जाना चाहते थे वह वहां पर झगड़ा कराने के लिये जाना चाहते थे, वह इस किस्म की तकरीरें कर रहे थे । अब आप याद रखिये कि दिल्ली में अगर ऐसी स्पीचेज़ की जायें तो उन को कोई असर नहीं होता । लेकिन उस इलाके में उन का बहुत बुरा असर हो सकता है । नार्थ ईस्ट फ्रांटियर एजेंसी के लोगों ने अभी तक कोई स्पीचेज़ नहीं सुनी हैं । अगर वहां पर आप अपनी पालिटिक्स ले जायें और घर घर जा कर स्पीचेज़ दें तो मैं नहीं कह सकता कि उस का क्या असर हो । हो सकता है कि जो स्पीचेज़ देने जायें उन्हीं का हेड हंटिंग हो जाय । उन स्पीचेज़ का यह भी असर हो सकता है । तो यह खतरनाक चीज़ है । उन से कहा गया कि आप बखुशी आइये, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल पैदा किया । सिर्फ उन के जाने का सवाल नहीं था, उस के साथ ही उन के जाने का इन्तिजाम भी करना था । उन्हों ने मांग की थी कि दस पन्द्रह फौज के सिपाही उन की देखभाल करने को उन के साथ भेजे जायें, क्योंकि उन को सौ पचास मील अन्दर जाना था । हम ने कहा कि इस वक्त तो हम कोई इन्तिज़ाम नहीं कर सकते । तो सिर्फ दो एक आदमियों का जा कर देख आने का सवाल नहीं था । हम तो चाहते हैं कि लोग वहां जा कर देखें और खुद अन्दाजा करें, और फिर हम को बतलावें कि क्या करना चाहिये ।

उन्होंने काश्मीर का ज़िक्र किया और जो कुछ काश्मीर के बारे में बहुत सी बातें कहीं उन को सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ । उन्हों ने कहा कि "दी सोल आफ काश्मीर इज़ बींग सफोकेटेड" (The soul of Kashmir is being suffocated) ज़ाहिर है कि काश्मीर दूर है । मैं हिन्दुस्तान की निसबत भी यह नहीं कह सकता कि यहां सब जगह ठीक ही हो रहा है । लेकिन काश्मीर के बारे में मैं उन से बहुत अदब से यह कहना चाहता हूं कि इन दो तीन सालों में काश्मीर ने बहुत तरक्की की है । हर तरफ तरक्की की है । और यह न समझिये कि हम ने जो पैसा दिया है उसी से तरक्की हुई है । यह ठीक है कि हम ने कुछ पैसा दिया है, पहले भी दिया था और अब भी दिया है, लेकिन सिर्फ पैसे से बहुत काम नहीं होता । जब तक लोग उस पैसे को ठीक तरह से इस्तैमाल कर के आगे बढ़ने की कोशिश न करें तब तक कुछ नहीं हो सकता । यह ठीक है कि किसी कदर हमारी मदद से वह तरक्की हुई है, और अगर उस के बारे में मालूम करना है तो आप वहां के लोगों में जा कर देखिये कि वे उस की तारीफ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उस से उन को ही फायदा हुआ है । इस में कोई शक नहीं कि लोक सभा के बहुत से सदस्य वहां गये होंगे और जो कुछ वहां हो रहा है उस को देखा होगा । डा० लंका सुन्दरम् भी वहां गये थे और जो कुछ उन्हों ने देखा उस की बहुत लम्बी रिपोर्ट मेरे पास भेजी । और उन्होंने उस काम की बहुत तारीफ की । ज़ाहिर है कि उन्होंने ऐसा किसी के कहने से नहीं किया । लेकिन बदकिस्मती से हमारे अशोक मेहता जी वहां गये तो उन को वहां कुछ नहीं दिखलाई दिया । एक बात मैं बहुत अदब से अर्ज़ करूंगा । उन्हों ने अपनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का ज़िक्र किया । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान की एक मुअज्ज़िज़ और बड़ी पार्टी है । लेकिन उस पार्टी ने जो रंग काश्मीर में जमाया है वह एक नया ही रंग है । जो लोग कल तक प्रजापरिषद् में थे वे ही आज प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं । प्रजापरिषद

जो निहायत कम्युनल संस्था थी, उस के मेम्बर टोपी बदल कर उधर से इधर आ गये हैं। अगर कोई यह समझे कि ऐसा करने से उन का दिमाग बदल गया होगा, तो यह गलत है।

श्री अशोक मेहता : यह सच नहीं है। जो कल तक नेशनल कानफरेंस में थे वह आज प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : और प्रजा परिषद् का कोई नहीं है ?

श्री अशोक मेहता : प्रजा परिषद् का कोई सदस्य नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या अर्ज़ करूं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि वहां पर जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है उस के उसूल अलग ही हैं, उस के सिद्धांत कुछ अलग ही हैं। और मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि कई इंटरनेशनल मामलों में तो उन्हों ने हिन्दुस्तान की शान को बढ़ाया नहीं है। बल्कि जो हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं उन को अपने ख्यालात से मदद पहुंचाई है। तो यह मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि काश्मीर का दरवाजा बन्द नहीं है। काश्मीर में लोग आया जाया करते हैं। पारसाल कोई ३०,००० टूरिस्ट वहां गये थे और इस साल भी जायेंगे। उस को सब कोई देख सकता है। लेकिन मैं एक पेच में पड़ जाता हूं, क्योंकि वहां पर काश्मीर की गवर्नमेंट है जिस के ऊपर वहां की जिम्मेदारी है, और उस में हम बहुत दखल नहीं दे सकते। यह ठीक है कि वे हमारे दोस्त हैं और हम उन को सलाह दे सकते हैं, लेकिन हम उन के काम में ज्यादा दखल नहीं दे सकते। हम अपने यहां की स्टेट्स के काम में भी एक हद तक ही दखल दे सकते हैं। ज्यादा दखल देना कांस्टीट्यूशन के भी खिलाफ होगा, और भी किसी उसूल के खिलाफ होगा। काश्मीर का सवाल ज्यादा पेचीदा है। वह एक इंटरनेशनल सवाल हो गया है। वहां पर लड़ाई हुई, वहां पर जासूस आते हैं और अपना काम करते हैं। तरह तरह की बातें होती हैं। वहां की हुकूमत की जिम्मेदारी वहां की गवर्नमेंट की है। वहां के मामलात में बहुत दखल देना कोई सही बात नहीं होगी। क्या हम उन पर हुक्म चलावें अव्वल तो हमको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, और अगर हम ऐसा करें भी तो उसके लिए जिम्मेवार कोन होगा? इसलिए यह ज़रूरी है कि जो वहां है उसी की जिम्मेदारी रहे। हम उनको थोड़ी सलाह दे सकते हैं। और अगर वे हमारी सलांह लें तो हमको खुशी होगी।

मुझे शैख अबदुल्ला की गिरफ्तारी से रंज हुआ यह सही है कि डेढ़ बरस हुआ शेख अबदुल्ला ने बहुत गलती की, और उससे अपने को और काशमीर को बहुत नुकशान पहुंचाया। लेकिन गलती हर एक कर सकता है। इससे मेरे दिल में जो उनकी मुहब्बत थी उसको धक्का लगा, लेकिन वह कम नहीं हुई, क्योंकि आखिर शेख अबदुल्ला ने काशमीर के इतिहास में बड़ा हिस्सा लिया कि जो जा नहीं सकता है और इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास का हिस्सा जो होता है वह भी गलती कर सकता है। फिर भी मैं काशमीर में होता तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर क्या करता, वह दूसरा सवाल है। में तो वहां पर नहीं था, वहां पर जो कुछ हुआ उसकी मुझे इत्तिला हुई और उस को सुन कर मुझे रंज हुआ। मुझे तो खुशी होगी जिस दिन शेख अब्दुल्ला छोड़ दिये जायें, लेकिन मैं इस ज़िम्मेदारी को नहीं ले सकता कि मैं इन बातों पर अपना हुक्म चलाऊं, जब कि इन बातों की ज़िम्मेदारी वहां की गवर्नमेंट पर है। मैं एक बात और बताऊं कि इस सिलसिले में यहां डेढ़ वर्ष पहले जो गिरफ्तारियां हुई थीं, उनमें शायद तीन या चार हजार शख्स गिरफ्तार हैं, यानी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

शेख अबदुल्ला और दो, तीन और लोग, और यह दो तीन जो हैं यह शेख अबदुल्ला के साथ खिदमत करने को हैं और इसलिए कि वह अकेले नहीं रहे । आप सब लोग हंसने लगे। वह तो उनके साथी हैं। मतलब यह है कि जो असल में उनमें मशहूर आदमी है, वह शेख साहब है, मतलब यह कि जो इम्पोर्टेंट आदमी थे, वह सब छटे हुए हैं और मुझे तो खुशी हो अगर शेख साहब छोड़ दिये जायें लेकिन जैसा मैंने पहले कहा मैं अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं ओढ़ सकता हूं और यह मुनासिब नहीं मालूम होता कि जो हुकूमत इस बोझे को उठाये हुई है, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ़ कुछ करूं, उलट पुलट करूं। हमें बहुत सारी बातें अपने प्रदेशों और सूबों की बर्दाश्त करनी होती हैं, और ऐसी बातें बर्दाश्त करनी होती हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन क्या किया जाय, आखिर वह एक जिम्मेदार हुकूमत होती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि यह जो कहा गया है कि "दी सोल आफ काश्मीर इज़ बीइंग सफ़ोकेटेड" यह मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं । मैं तो यह कहूंगा कि जितनी खुशहाली से वहां पर एक 'सोल' खुलती है और दबती नहीं है, उस तरह से एक जमाने से वहां नहीं हुआ है । अब मैं सिर्फ़ एक दो बातें मुख्तसर में कह कर खत्म करूंगा ।

श्री अशोक मेहता ने बहुत जोरों से कहा कि सेन्ट्रल अफ्रीकन फ़ेडरेशन क्यों बुलाई गई ? मैं उन से कहूं कि उस को इसलिये बुलाया गया कि हम एक शानदार लोग हैं और हम फ़र्क नहीं करते हैं । उस को इसलिये बुलाया गया था कि हम ने तय किया था कि हम एक उसूल बनायेंगे और उस के लिये हम ने सब लोगों को चाहे हमें कोई पसन्द हो या न हो, सब को बुलाया । अब अगर हम लोगों को उस में बुलाने के लिये कोई उसूल रखते तो यही होता कि हम जिसे पसन्द करते हैं उसे बुलाते हैं और जिसे नापसन्द करते हैं उसे नहीं बुलाते हैं । अब अगर कोई आता है तो ऐसा कर के हमारा कोई नुक़सान नहीं करता, और अगर नहीं आता तो उन को घर पर रहना मुबारिक हो । हां एक जगह आप ने जरूर इशारा किया था कि साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं बुलाया गया ? उस के लिये मैं कहूंगा कि ज़ाब्ते से उस के ताल्लुक़ात एशिया से दूसरे क़िस्म के हैं, वे ज़ाब्ते से और जगह भी हो सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् ने कुछ कम्बोडिया कमीशन के बारे में कहा, कम्बोडिया की हुकूमत ने खुद उन का जवाब दे दिया है, वहां की हुकूमत ने इस बारे में हम से कोई शिकायत नहीं की और वहां के प्रिंस का यहां आना ही ज़ाहिर करता है कि उन्हें हम से कोई शिकायत नहीं थी ।

मुझ से पूछा गया है कि सेगांव में जो सिविल वार हो रही है, उस में क्या बनेगा ? अब मैं क्या बताऊं, क्या कहूं, कुछ कह नहीं सकता, उस जगह के हालात को देख कर मुझे तो "सुल्लीवान एन्ड गिल्बर्ट ओपेरा" याद आता है । एक अजीब तमाशा है । उन्हों ने कहा कि वहां कहा गया था कि हमारी सलाह से, मशविरे से कोई उन का इम्मिग्रेशन बिल रक्खा गया था ।

डा० लंका सुन्दरम् ! क्या आप मुझे समझ रहे हैं ?

डा० लंका सुन्दरम् : यह आप की मंत्रणा पर नहीं किया गया ; मैं ने कहा था कि संशोधक विधेयक के उपबन्धों के लिये आप की सहमति ली गई थी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यही कुछ लंका सरकार ने कहा था ।

डा० लंका सुन्दरम् : यह ठीक है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह ठीक नहीं है । यह किसी विधेयक या विधेयक के भाग की चर्चा का प्रश्न नहीं है । जब प्रधान मंत्री यहां आये थे, तो इस पर उस समझौते के अनुसार विचार किया गया था । यह उस का भाग है । उदाहरणतया, जैसे कि मैं ने पहले कहा था, लंका में पहले भारतीय उद्भव के सब लोगों और भारतीयों का एक रजिस्टर बनाया जाये । संभव है वे एक मास या दो मास या पांच मासों के लिये वहां गये हों । उन की राष्ट्रीयता के प्रश्न का निर्णय बाद में किया जा सकता है । यदि वहां कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाये, जिस का नाम रजिस्टर में नहीं है, तो संभव है वह कोई अवैध आप्रवासी हो । इस को गलत सिद्ध किया जा सकता है और यह बताना उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह वहां कैसे आया । यदि कोई रजिस्टर न हो और किसी व्यक्ति से कहा जाये कि वह सिद्ध करे कि वह अवैध आप्रवासी नहीं है, तो उस के लिये बहुत कठिन हो जायेगा । इस मामले का निर्णय करना तो लंका सरकार का काम है, किन्तु हम ने कहा है कि मामला हमारे उच्चायुक्त को निर्दिष्ट किया जाये ताकि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में उस की आलोचना प्राप्त की जा सके ।

मेरे विचार में डा० लंका सुन्दरम या किसी अन्य सदस्य ने मुझ से पूछा था कि क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि उन्हों ने काश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद से वापस ले लिया है । उन्हों ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया । न मैं ने उन से पूछा है और न मेरा पूछने का इरादा है । इस के अतिरिक्त मुझे मालूम भी है कि ऐसी चीज़ें कैसे वापस ली जाती हैं । वास्तव में बहुत देर से कोई कार्यवाही नहीं की गई । जब कोई बातचीत होती है, तो उस का सुरक्षा परिषद् या किसी बाहर के प्राधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा शेष मांगें संख्या २१, २२, २३, २४ और ११३ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

[लोक-सभा द्वारा स्वीकृत मांगें नीचे दी जाती हैं . . . **संपादक**]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२१	आदिम जाति क्षेत्र	५,३४,११,०००
२२	वैदेशिक-कार्य . . .	६,२१,००,०००
२३	पांडिचेरी राज्य . .	१,८९,८३,०००
२४	वैदेशिक कार्यालय के अधीन विविध व्यय .	१,८८,०००
११३	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२,९२,०००

इस के पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।